खण्ड-212, अंक-6
सोमवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1882
(11 अप्रैल, 1960 ई0)

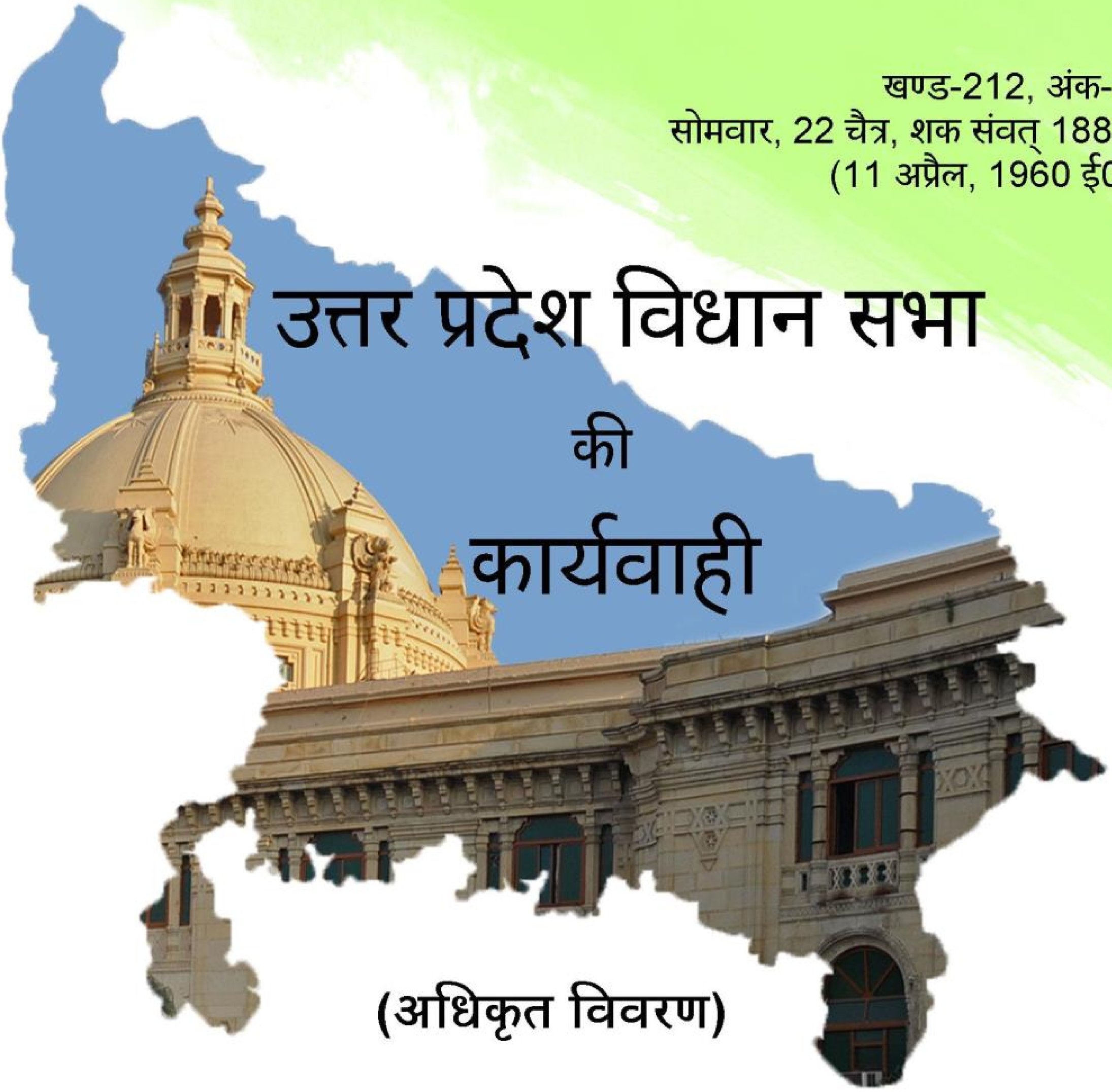

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 212 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ११ अप्रैल, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री,
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेश चन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण , श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रपापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा' श्री
शीधर, शुक्ल, श्री
बंबलदेवसिंह श्री,

दलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपा । त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्री ष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह कुंवर,
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री

सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कान्डपाल, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

(श्री भीमसेन को शपथ ग्रहण के लिये बुलाया गया)

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओथ के सम्बन्ध में ही एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी आप बैठें, इस के बाद कहें।

(श्री भीमसेन ने शपथ ग्रहण की।)

श्री वीरसेन—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना था कि अभी जो माननीय सदस्य ने शपथ ग्रहण की है उन्होंने १२-१२-५७ को ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक भी पहले ओथ ली थी। उस के बाद हाई कोर्ट का फैसला हुआ और उस के मुताबिक श्री गोपाली घोषित हुए और बाद में हाई कोर्ट में केस गया और उसने माननीय सदस्य का एलेक्शन या ट्रिब्युनल का फैसला रद्द कर दिया और अब फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पहले ट्रिब्युनल के फैसले को ही रेस्टोर किया है और हाई कोर्ट का फैसला रद्द हो गया है। इस तरह से बीच में सिर्फ कुछ दिनों के लिये मेम्बरशिप इनकी ससपेंड रही बाकी वह तो अभी तक चली आ रही है। इसलिये मेरा खयाल है कि इस वक्त नई फिर से ओथ लेने की जरूरत नहीं थी, पहली ओथ ही काफी है। इस ओथ का अर्थ तो यह होगा कि अब फिर से नई मेम्बरशिप उन की आरम्भ हुई और चूंकि शब्द 'रेस्टोर' का प्रयोग किया गया है इसलिये उससे पुरानी मेम्बरशिप अलग हो जाती है। इसलिये मेरे खयाल से मेम्बरशिप तो १२-१२-५७ से ही रहनी चाहिये और उस हालत में ओथ की भी जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप के कहने का मतलब केवल इतना है कि यह शपथ जो ली गई वह 'रिडन्डेंट' है और बेकार में ली गई क्योंकि वह एक बार पहले ली जा चुकी है। कोई रिडन्डेंट चीज करने से, या दोबारा ओथ ले लें तो उससे पुरानी मेम्बरशिप खत्म हो गई ऐसी बात नहीं है। इस रिडन्डेंट कहने से वह अवैध नहीं हो जाती। यह बात कह सकते हैं कि रिडन्डेंट है, लेकिन अगर कोई शक रह जाता है फर्ज कर लीजिये उनको आज ओथ लेना लाजिमी है कोई कानूनी मत अगर यह हो तो फिर उनके यहां बैठने पर उनके ऊपर जुर्माना हो सकता है। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि रिडन्डेंट चीज कर लेनी चाहिये, लेकिन अवैध चीज न हो सके। इसलिये उनको शपथ ग्रहण करने के लिये कहा गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं एक बात जानना चाहता हूं। जहां तक ओक का सम्बन्ध है, आपने जो कुछ किया वह सही था क्योंकि रिडंडेंट होने से कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर बाधा पड़ती तो गलत होता। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तब से सदस्यता मानी जायगी तो क्या यह उचित नहीं होगा कि इनका वेतन भी तभी से दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य ने अभी शपथ ली है, मैं समझता हूं कि उस चीज को यदि स्वयं ही वह उठायेंगे, मेरे दफ्तर में उठायेंगे, तो उस पर कानूनी राय ली जायगी। यहां पर बहस करने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इसमें मूल प्रश्न इतना ही था। माननीय पालीवाल जी ने खोल दिया यह अच्छा ही किया।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ११ अप्रैल, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राशन की दुकानों पर अनाज वितरण में विभिन्नता

****१---श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---ढाई सौ रुपये से अधिक और कम पाने वालों को गेहूं के वितरण के बारे में प्रश्न संख्या ७८, दिनांक २१ मार्च, १९६० के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ७ जिलों में २५० रुपये के ऊपर आमदनी वालों को गल्ला कन्ट्रोल रेट से दिया जाता है उनके अलावा प्रदेश के और जिलों में २५० रुपये से अधिक आय वालों को कंट्रोल रेट से गल्ला न देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---पंच महानगरों, तथा मेरठ एवं बरेली नगर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य किसी नगर में २५० रुपये से अधिक मासिक आय वालों को सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला देने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

****२---श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार विचार कर रही है कि कन्ट्रोल को relax कर शीघ्र समाप्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो उस पर कितना अमल किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---प्रश्नकर्ता का कंट्रोल को रिलैक्स करने का क्या आशय है और किस विषय से संबंधित है इसका ठीक अनुमान लगाना कठिन है परन्तु यदि प्राइस कन्ट्रोल और प्रोक्योरमेन्ट से है तो उसमें ढिलाई करने का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---२५० रुपये से अधिक आय वालों को छोटे नगरों में गल्ला न देने का क्या कारण है ? क्या वहां लोग हवा खाकर रहेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---और नगरों में १५० रुपये की लिमिट है, उसके अन्दर मिलता है। २५० रुपये की आमदनी वाले कम हैं। मगर कार्ड इस तरह से बनाये गये हैं कि करीब-करीब सभी उसके अन्तर्गत आ जाते हैं और हवा खाने की जरूरत नहीं है, खाना खाते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार के पास गल्ले के मूल्य निश्चित करने की कोई योजना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---गेहूं और चावल का मूल्य निर्धारित किया जा चुका है और हर साल बदलता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अभी जो मंत्री जी ने उत्तर दिया, क्या उनका उत्तर इस प्रकार माना जाय कि बाकी शहर जो हैं कबाल टाउन्स के अलावा, इन सब शहरों में कायदा तो यह है कि १५० रुपये तक के कार्ड बनें लेकिन २५० रुपये तक के बनाये गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नहीं, १५० रुपये तक के ही बने हैं, उससे ऊपर नहीं। यहां पर भी २५० रुपये से ऊपर वालों के नहीं हैं। लेकिन टैम्पोरेरी तौर पर कुछ आटा वगैरह देते हैं और उसकी आवश्यकता समझी इसलिये दिया ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---मेहता कमेटी रिपोर्ट में जिस तरह के प्राइस स्टेबिलाइजेशन बोर्ड को स्थापित करने की सिफारिश की गई है उस तरह का कोई बोर्ड स्थापित करने की योजना विचाराधीन है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---माननीय सदस्य ने पढ़ा होगा, यह सेंट्रल गवर्नमेन्ट के हाथ की बात है और प्लानिंग कमीशन इस बात पर विचार करता है। वह देख रहे होंगे कि कहां तक मुनासिब होगा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार चावल भी देहात की दुकानों पर देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---प्रदेश के जिस स्थान और जिस अंचल में चावल खाया जाता है वहां देहातों की दुकानों पर चावल दिया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सभी शहरों में स्थिति समान है और कास्ट आफ लिविंग इंडैक्स ज्यादा है, इसको ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी सभी शहरों में २५० रुपये तनख्वाह पाने वालों के लिये व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---१० मन से नीचे के लेन-देन में कोई मुमानियत नहीं है। फ्री मार्केट में काफी मिल सकता है, इसलिये नहीं कर रहे हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि ढाई सौ रुपया आय वालों को दूसरा गेहूं दिया जाता है। और कम आय वालों को दूसरा गेहूं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कम आय वालों को बढ़िया गेहूं दिया जाता है और ऊपर वालों को कालपी वगैरह सब जगह का दिया जाता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि कबाल शहरों के अलावा दूसरे शहरों में ढाई सौ रुपये से अधिक आमदनी वालों को गल्ला इसलिये नहीं दिया जाता कि सरकार के पास कंट्रोल की दुकानों में गल्ले की कमी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह बात नहीं है। बात यह है कि कबाल टाउन्स में केन्द्रीय सरकार का गल्ला आता है, हमारा नहीं इसलिये यह भेद है।

तराई फार्म पर कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर की स्थापना

**३---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई फार्म, जिला नैनीताल को रुद्रपुर कृषि विश्वविद्यालय को देने का निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

कृषि उपमन्त्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)--तराई फार्म पर कृषि विश्व विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर निर्णय करते समय ही यह भी निश्चय किया गया था कि तराई फार्म को कृषि विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कर दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तराई फार्म के द्वारा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को स्वावलम्बी बनाने की भी कोई योजना है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)--जी हां, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं "अर्न व्हाइल यू लर्न" ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्म को विश्वविद्यालय को किन शर्तों के आधार पर ट्रांसफर किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल पेश किया गया था तो इस सदन में इस विषय पर काफी वाद-विवाद हो चुका है कि किस तरह से ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात शुरू हुई, किन शर्तों पर यहां मिली और यह भी उसमें एक शर्त थी कि तराई फार्म उसको दे दिया जायगा । इन सब बातों पर काफी वाद-विवाद यहां हो चुका है । अब अगर आप आज्ञा दें····

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप नोटिस ले लीजिये । अगर फिर प्रश्न पूछें तो आप बतला दीजियेगा । इस वक्त मैं उस तमाम ब्योरे को बताने की इजाजत नहीं दूंगा ।

बन्जर भूमि को कृषि योग्य बनाने की जानकारी

****४--श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कपा करेंगे कि निकट भविष्य में राज्य की २५ लाख एकड़ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--२५ लाख एकड़ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोई योजना इस सरकार के विचाराधीन नहीं है । ऊसर और कृषि योग्य भूमि को खेती में लाने की केवल दो योजनायें हैं । एक तो पीलीभीत जिले में १० हजार एकड़ भूमि पर भूमिहीनों को बसाने की योजना चल रही है और दूसरी योजना ऊसर भूमि को सरल साधनों द्वारा कृषि योग्य बनाकर भूमिहीनों तथा छोटे किसानों को देने के उद्देश्य से अभी चालू की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत दस जिलों के एक एक (N. E. S) ब्लाक में पांच-पांच गांव चुने गये हैं और प्रत्येक गांव में १०० एकड़ भूमि पर काम किया जायेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह १० जिले कौन कौन हैं जहां पर यह योजना लागू होगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--हरदोई, उन्नाव, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर ज्यादा तादाद में ऊसर भूमि है, तो उस भूमि को अच्छी बनाने के लिये क्या कोई योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--सम्भव हो सकता है लेकिन प्रयोग सारी जगहों में तो प्रारम्भ नहीं हो सकता, कुछ ही जिलों में हम शुरू कर सकते हैं ।

श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दस जिलों के प्रत्येक गांव में १०० एकड़ बंजर भूमि कृषि योग्य बनाने की योजना है इसका तरीका क्या होगा ? क्या इसको मदद दे कर किया जायगा अथवा किसी अन्य तरीके से ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--यह टेक्निकल चीजें हैं। जिन-जिन चीजों की कमी जमीन में होती है उनको वहां देना और जो चीजें ज्यादा होती हैं उनको वहां से निकालना, यही काम है उसको कृषि योग्य बनाने के लिये।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि जिन दस जिलों में १००-१०० एकड़ भूमि के फार्म एन०ई०एस० ब्लाक्स में खोले जा रहे हैं, वह कृषि योग्य भूमि में खोले जायेंगे या बंजर भूमि में खोले जायेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--श्रीमन्, प्रश्न यह है कि बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि कैसे बनाया जाय। कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य कैसे बनाया जाय यह प्रश्न नहीं है।

जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर में आर्थिक गोल माल

५--श्री मदन पांडेय तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह सत्य है कि गोरखपुर जिला सहकारी बैंक में आर्थिक गोलमाल की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है तथा उसकी जांच भी करायी गयी है। यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त जांच से कितने रुपयों की सम्भावित गोलमाल की सूचना सरकार को मिली है ?

सहकारिता उपमन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--हां, जांच के फलस्वरूप लगभग ८,४०० (आठ हजार चार सौ) रुपये की गड़बड़ी मालूम हुई है।

६--श्री मदन पांडेय तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिला सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक तथा संचालक मंडल के सदस्य कौन-कौन लोग हैं तथा उक्त रिपोर्ट में किसके ऊपर कौन-कौन सी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी आई हुई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर के संचालक मंडल के सदस्यों की एक सूची मेज पर रक्खी है।

संचालक मंडल के सदस्यों पर बैंक के धन में गड़बड़ी करने का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का विषय विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५९३ पर)

७--श्री मदन पांडेय तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या सरकार उक्त बैंक के संचालक मंडल के विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही करने जा रही है जिस से उक्त बैंक के हितों को आगे नुकसान न पहुंचे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--यह प्रश्न भी विचाराधीन है।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री ए०पी०वर्मा पर भी इस रिपोर्ट में प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ठहराई है इस आर्थिक गोलमाल की ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा--जी हां, ६,९७९ रुपये ४१ नये पैसे की।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि मैनेजिंग डाइरेक्टर के ऊपर जब जिम्मेदारी रखी गई है तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाया उठाया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---पहले तो जब यह मालूम हुआ तो इसकी जांच कराई गई । अब उनसे जवाब तलब किया गया है और १० अप्रैल को बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स की मीटिंग थी । उन्होंने अगर अपना जवाब दे दिया होगा तो उस पर आगे कार्यवाही करने की हम सोचेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ३० तारीख के "आज" में जो छपा है कि....

श्री अध्यक्ष---मैं अखबार पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा । अपनी जानकारी से प्रश्न कीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि उनके कारण मैनेजर और कई कर्मचारी निकाले गये और वर्मा जी ने अनुचित उपयोग किया, धोखाधड़ी की और जो रिकार्ड नाजिर के पास रखा गया तो वह नाजिर उनके ही यहां रहता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---कुछ शिकायतें हैं जिनकी जांच हो रही है । अभी विस्तार से कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुये कि जिस तरह का गोलमाल स्वीकार किया गया है, ऐसी बातें और भी उठती रहती हैं, सरकार कोई सख्त कदम उठाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मोहनलाल गौतम---जहां तक विभाग का सम्बन्ध है काफी सख्त कदम उठाने की कोशिश है । लेकिन कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं क्योंकि यह आटोनोमस बाडीज हैं कोआपरेटिव आर्गनाइजेशन्स और उनकी अपनी स्वतंत्रता है और हमारे अधिकार सीमित हैं । जहां तक मुझे याद है यह अधिकार हमें नहीं है कि इस तरह की कोई चीज हो तो हम डिसक्वालीफाई कर दें कि वह आगे खड़ा नहीं हो सकता है । बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को ससपेंड करने से दिक्कत होती है क्योंकि रुपया मिलने में दिक्कत होती है और किसान परेशान होते हैं । एक आध जगह बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को ससपेंड करने से दिक्कत हुई । लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक सख्ती हो सकती है कायदे कानून से, उसमें कोई रू-रियायत नहीं होगी ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि बैंक की उक्त गड़बड़ी की शिकायत कब आई और जांच कब की गई और किस आफिसर ने की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---२९-११-५९ को पारसनाथ राय और सात अन्य व्यक्तियों ने शिकायत की थी अतिरिक्त जिलाधीश महोदय को । इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार को १६-१-६० को भी इसी तरह की शिकायत दी ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब डिप्टी रजिस्ट्रार का हेडक्वार्टर वह है और गड़बड़ी पुराने कई वर्षों से थी तो पहले से विभागीय जांच क्यों नहीं कराई गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---मैंने अभी उत्तर में बतलाया कि २९-११-५९ को शिकायत प्राप्त हुई और दूसरी शिकायत जो डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय से प्राप्त हुई वह १६-१-६० को प्राप्त हुई थी जिस पर तुरन्त कार्यवाही की गयी ।

सिंचाई की दरों में कमी करने पर विचार

**८---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है कि नलकूपों तथा नहरों की वर्तमान सिंचाई दरों में भिन्न-भिन्न फसलों के लिये कमी की जाय ताकि लोग ज्यादा पानी ले सकें ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--सिंचाई की मामूली दरों में कमी करने की तो कोई योजना सरकार के सामने नहीं है। हां, एक ऐसा विचार सरकार के सामने है कि सिंचाई की नयी योजनाओं से पानी मिलने पर पहले दो तीन साल में सिंचाई की दर कुछ कम रखी जाय।

**९--श्री मुक्तिनाथराय--यदि हां, तो इस योजना की रूप-रेखा क्या है?

श्री धर्मसिंह--अभी यह विचार बिलकुल प्रारम्भिक अवस्था में है और इसकी रूप रेखा स्पष्ट नहीं है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके लिये निश्चित आदेश कब तक जारी हो जायंगे और योजना की स्पष्ट रूपरेखा कब तक बन जायगी?

श्री धर्मसिंह--इसमें विचार हो रहा है। कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया क्या उसमें वे इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि कपास की खेती या इस तरह की फसलों को जिन्हें सरकार फैलाना चाहती है उन पर कोई विशेष छूट देने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री धर्मसिंह--अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या यह सही है कि प्लानिंग कमीशन ने कोई ऐसी सिफारिश की है कि शुरू के एक दो साल पानी का रेट न लिया जाय और फिर धीरे धीरे रेट बढ़ाया जाय?

श्री धर्मसिंह--जी हां, इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह पूछ रहे हैं कि यह सिफारिश की गयी है कमीशन के जरिये या नहीं?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)--यह कहना मुश्किल है लेकिन जैसा बतलाया इससे पहले के जवाब में, यह प्रश्न सामने है और इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बजट भाषण में उत्तर देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि नहरों में दर कम की जा रही है सिंचाई की, उस उत्तर का आधार क्या था जब कि आज उत्तर दूसरा दिया गया?

श्री धर्मसिंह--यह तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि उस वक्त क्या उत्तर दिया गया था और जैसा निवेदन किया इन चीजों पर पूरे तौर से विचार किया जा रहा है कि दर कम की जाय या न की जाय, और अगर की जाय तो कितनी की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि दोहरीघाट पम्प कैनाल तथा आजमगढ़ के जो नहरें हैं उनमें सिंचाई रेट ज्यादा होने से किसानों ने सिंचाई कम की है?

श्री अध्यक्ष--आजमगढ़ को आपने खाहमखाह घसीटा। मूल प्रश्न में वह है नहीं।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जमीन के लिहाज से कुछ कम या ज्यादा पानी लेते हैं और पूर्वी जिलों में रबी की सिंचाई के लिये छिड़काव करते हैं तो नहर के रेट में सरकार कुछ कमी करने का विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष—इन सभी बातों पर विचार हो रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिले के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यह घोषणा की है कि गंगा में पानी कम है और शायद लोग पानी कम लें, इस चीज को देखते हुए क्या नहर की दरों में कमी करने का कोई विचार सरकार के सामने आया है?

श्री अध्यक्ष—हरएक विचार के मामले में प्रश्न करने की मैं इजाजात नहीं देता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के सेवा नियमों पर विचार

*१—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मन्त्री कृपा करके बतायेंगे कि सहकारिता विभाग के राज्य कर्मचारियों के सेवा नियम नहीं बने हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—निम्न लिखित स्तर के कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी स्तर के कर्मचारियों के सेवा नियम बने हुए हैं—

(१) नान गजटेड एकाउन्ट्स स्टाफ।
(२) सहकारी कृषि एवं दुग्ध सुपरवाइजर।

*२—**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित)—यदि सेवा नियम अब तक नहीं बने हैं, तो उसका कार्य-संचालन किस प्रकार अब तक होता है और अब तक न बनने का कारण क्या है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—नान गजटेड एकाउन्ट्स स्टाफ के सेवा नियम सरकार की स्वीकृति के लिये विचाराधीन हैं। कार्य का संचालन Draft rules तथा अन्य शासकीय आदेशों के अनुसार होता है। सहकारी कृषि तथा दुग्ध सुपरवाइजरों की नियुक्ति सहकारी प्रशिक्षित सुपरवाइजरों में से की जाती है और वह Deputation पर कार्य करते हैं।

यह सेवायें विभाग में नए रूप से स्थापित हुई हैं तथा आरम्भ में कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम थी इसलिये इनके सेवा नियम अलग नहीं बने सके।

*३—**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित)—ऐसे कर्मचारियों या अधिकारियों की संख्या क्या है जिनके लिये सेवाओं के नियम नहीं बने हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नान गजटेड एकाउन्ट्स स्टाफ	..	..	६७
कृषि सुपरवाइजर	..	..	९०
दुग्ध सुपरवाइजर	..	..	६

श्री गौरीशंकर राय—उन अधिकारियों के सेवा नियम न बनने के कारण क्या है?

नोट—तारांकित प्रश्न १–३ श्री गौरीशंकर राय ने पूछे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--मैंने तो अभी उत्तर दिया है कि रजिस्ट्रार महोदय ने उनके नियमों को बनाकर सरकार के सामने भेजा और सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनायी है कि जिसके विभाग में कम कर्मचारी रहेंगे उसके लिये कोई सेवा नियम न बनाये जायं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी नहीं, जो दूसरे विभागों में इसी प्रकार के विभागीय कर्मचारियों के लिये नियम होते हैं उन्हीं को वहां लागू किया जाता है।

श्री नारायणदत्त तवारी--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ड्राफ्ट रूल्स पहले कभी बनाये गये थे और अब यह फायनलाइज कब तक हो जायंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला बीरो)--अभी सरकार ने जवाब दिया कि नियम जो बनकर आये थे वह विचाराधीन हैं, तो वह कितने दिनों से विचाराधीन हैं और कब तक रहेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--कब आये थे, वह खास डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जल्दी करने की कोशिश की जा रही है।

[११ अप्रैल, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सीतापुर चुंगी चौकी पर खांडसारी लदी ट्रक रोकना

*१--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २०-८-५९ को ट्रक नं० ६६३५ यू० एस० क्यू० पर ८१ बोरी देशी शक्कर बरेली से सिधौली जाते समय मार्केटिंग इन्सपेक्टर, सीतापुर के द्वारा सीतापुर चुंगी चौकी पर २०/२१ अगस्त, १९५९ की रात में पकड़ी गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां।

*२--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ट्रक पर दाना शक्कर थी या देशी शक्कर और क्या यह सत्य है कि शक्कर के व्यापारी ने बरेली के जिस दूकानदार के यहां से उक्त शक्कर खरीदी थी उसके बीजक इत्यादि मार्केटिंग इन्सपेक्टर को दिखलाये थे बावजूद कि वह शक्कर देशी ही थी किन्तु फिर भी मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने उसको छोड़ा नहीं ? इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--पकड़ी जाने वाली शक्कर खान्डसारी थी । मार्केटिंग इन्सपेक्टर के संकेत करने पर जब ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोकी तो उसका सन्देह बढ़ा और उसने चुंगी पर गड़े खम्भे को खींच कर रास्ता रोक दिया और ट्रक को रुकना पड़ा । इन्सपेक्टर को बीजक इत्यादि तो दिखाया गया किन्तु यह नहीं बताया गया कि उसके पास शक्कर का कारोबार करने का लाइसेन्स है । ऐसी अवस्था में अधिक जांच की आवश्यकता थी अतः उसने गाड़ी को थाने में खड़ा कर दिया । दूसरे दिन जिला पूर्ति अधिकारी ने आवश्यक जांच के पश्चात् शक्कर ले जाने की आज्ञा प्रदान कर दी ।

*३--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त मार्केटिंग इंस्पेक्टर के विरुद्ध उसी दिन कोतवाली, सीतापुर में ५० रुपया रिश्वत मांगे जाने की रिपोर्ट भी उक्त ट्रक के ड्राइवर ने लिखाई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने ट्रक ड्राइवर से रिश्वत मांगी और ट्रक ड्राइवर ने मार्केटिंग इन्सपेक्टर की इस मांग की सूचना शकर के मालिक तक पहुंचा दी, शकर के मालिक ने . . . .

श्री अध्यक्ष---आप एक-एक सवाल करें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात हैं कि मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने ट्रक ड्राइवर से रिश्वत मांगी थीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह उसने शिकायत पुलिस में की थी। पुलिस ने हमारे विभाग को दे दिया। विभागीय जांच की गयी और पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब बीजक इत्यादि को शकर के मालिक ने दिखला दिया तो लाइसेंस न दिखलाने का क्या कारण था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आप खुद कह रहे हैं कि मालिक नहीं था, मालिक के पास खबर भेजी गयी। उस पर शक हुआ। उसको जब कने के लिये कहा तो रुकी नहीं, जबरदस्ती खम्भा लगा कर रोका गया। कने पर मालूम हुआ कि उसके पास लाइसेंस नहीं था।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब पुलिस में रिपोर्ट हो गयी तो उस मामले की मुहकमे से किस प्रकार जांच करवायी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पुलिस ने खुद मुहकमे के पास भेज दिया कि यह विभागीय बात है, जांच कर ली जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस आदमी की शकर थी वह मोटर में बैठा हुआ था, यह बात सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब रिश्वत की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज थी तो डी-वाई० एस० पी० (कम्प्लेंट्स) के पास भेज कर क्यों नहीं जांच करवायी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पहले अपने को संतुष्ट किया गया कि आया यह बात सही है या नहीं। जब पता चला कि उसकी कोई बुनियाद नहीं है तो भेजने की आवश्यकता क्या थी ?

आगरे में सरकारी डेरी स्थापित करने का आयोजन

*४---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा में सहकारी डेरी स्थापित करने का १९५७-५८ में या उसके आस-पास जो निश्चय किया गया था उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---वर्ष १९५७-५८ में आगरे में स्थापित होने वाली सहकारी डेरी अब सरकारी डेरी होगी। इसके लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है। भवन निर्माण को लिये पी० डब्लू० डी० (P. W. D.) को आदेश जारी कर दिये गए हैं। डेरी के वास्ते २,०४,००० रुपये के दुग्ध यंत्र और दुग्ध साज सज्जा की भी इस समय तक खरीदारी हो गई है।

*५---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसके लिये स्थान प्राप्त करने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये गये और अभी स्थान मिला या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---आगरा डेरी की स्थापना के लिये पहले कन्टूमेन्ट में जगह लेने का विचार था और उसके लिये केन्द्र सरकार से स्वीकृति के लिये लिखा-पढ़ी की गई लेकिन केन्द्र सरकार के सुरक्षा मंत्रालय ने उक्त भूमि को मुक्त करने की स्वीकृति नहीं दी। तदोपरान्त विन्दु कटरा के भूमि खण्ड को अर्जन (acquire) के हेतु कार्यवाही की गई जिसमें १६-१२-५९ को कार्यवाही पूरी हो गई और उस पर अधिकार पी० डब्लू० डी० को डेरी भवन निर्माण के हेतु ८-१-१९६० को दे दिया गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि पी० डब्लू० डी० ने अभी भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया है या नहीं ? अगर प्रारम्भ किया तो कब से ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---कार्य तो प्रारम्भ कर दिया है। दस हजार रुपय के करीब उसके ऊपर व्यय भी हो चुका है।

श्री शिवप्रसाद नागर---इस पर सब कुल कितना व्यय होने की आशा है और यह कब तक कम्पलीट हो जायगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---४० हजार रुपये के करीब की जमीन खरीदी है। साढ़े तीन लाख रुपया साज-सज्जा के लिये है जिसमें २ लाख ४ हजार रुपय का साज-सज्जा का सामान खरीद लिया गया है। तीन हजार रुपया फर्नीचर वगैरह के लिये हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस डेरी फार्म में अलीगढ़ डेरी और दूसरी जगह के पुराने प्रासेसिंग प्लांट इस्तेमाल में लाये गये हैं या कोई नये लिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये नया लिया गया है।

आजमगढ़ जिले के कोआपरेटिव इन्स्पेक्टर का स्थानान्तरण रोकना

*६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कितने कोआपरेटिव इन्सपेक्टरों के स्थानान्तरण का आदेश अप्रैल, सन् १९५९ से अगस्त, १९५९ तक हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---दो।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इनके स्थानान्तरण का आदेश रोका गया ? यदि हां, तो कब ?

श्री मोहनलाल गौतम---श्रीमान् जी, इसके बारे में पहले प्रश्न इस सदन में हो चुका है कि यह आदेश क्यों रोका गया। अगर आप आज्ञा दें तो मैं फिर इसको दोहरा दूं।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त जो आपके पास सूचना हो वह दे दें।

श्री मोहनलाल गौतम---इस सदन में पहले उत्तर दिया जा चुका है। पहले कुछ अप्रैल या अगस्त में था और फिर उस समय कुछ तारीख बढ़ाई गई थी सितम्बर या अक्तूबर की। उस समय यह सवाल हो चुका है कि क्यों रोका गया।

श्री अध्यक्ष---अगर दुबारा भी कुछ हो जाय तो नियम में यह है कि वह प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिये अगर आपको मालूम न हो तो सूचना मांग लें अन्यथा उत्तर दे दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--२-७-५९ को उन दोनों के स्थानान्तरण का आदेश हुआ था, जिनमें से एक श्री नरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव ने आजमगढ़ में अपना चार्ज ले भी लिया है और दूसरे जो थे उनके विरुद्ध एक पत्रकार ने मानहानि का दावा किया था। जिला मैजिस्ट्रेट ने रजिस्ट्रार साहब को यह लिखा कि अपने उस केस की पैरवी करने के लिये फिलहाल इनको रोक लिया जाय। तो उनको कुछ समय के लिये रोक लिया गया। लेकिन फिर उनका तबादला कर दिया गया पर यह समझ कर कि मई और जून में जब बच्चों के स्कूल की शिक्षा समाप्त हो जाय तब उनका स्थानान्तरण किया जाय, तब तक के लिये उसको रोक दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि जिनका स्थानान्तरण रोका गया है उनके बाल बच्चे वहां पर नहीं हैं और कोई उनकी पढ़ाई लिखाई का सवाल नहीं है और केवल स्थानान्तरण रोकने के लिये पत्रकार पर वह मुकदमा दायर किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--सरकार को इस बात की तो जानकारी नहीं है जो आपने अभी कही लेकिन जो दूसरा उनके स्थान पर आयेगा उसके बाल बच्चे हो सकते हैं।

*७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[हटा दिया गया।]-

कोआपरेटिव एवं केन सोसाइटियों के एकीकरण पर विचार

*८-- **श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सहकारिता मन्त्री ४-८-५८ के अल्पसूचित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव एवं केन सोसाइटी के एकीकरण का प्रश्न सरकार के विचार धीन कब तक रहेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है। आशा की जाती है कि जल्द ही इस पर फैसला हो जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जल्दी से जल्दी से क्या मुराद है ? सन् ६० में हो जायगा या इससे और आगे जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह फैसले इतनी आसानी से नहीं हुआ करते। एक प्रोसेस होता है जो डेवलप होता जाता है, उनमें प्राबलम्स आती जाती हैं और उनका सल्यूशन होता जाता है, और फिर यह केवल एकीकरण नहीं है, बल्कि उनका बेटर कोआर्डिनेशन कैसे हो, कैसे वह पहले से अच्छे ढंग से काम कर सकें, इन सब बातों पर विचार करना है, इसलिए उसका अन्तिम रूप इतनी आसानी से होना मुश्किल है।

सहकारी बीज गोदामों में गबन के मामले

*९--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले बीज गोदामों के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्ष में पृथक-पृथक कितने गबन के मामले रिपोर्ट किये गये थे और कितने रजिस्टर किये गये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--तीन वर्षों में क्रमशः २१, २२, और ४ गबन के मामले रिपोर्ट तथा रजिस्टर किये गये।

*१०--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--क्या सरकार बताने का कृपा करेगी कि उपरोक्त गबन के मामलों में कितनी रकम गबन की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--९९,३३९ रुपये (निन्यान्वे हजार तीन सौ उन्तालिस रुपये)।

*११—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन गबन के मामलों में क्या कार्यवाही की गई ? ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—४७ मामलों में से २७ पुलिस को रिपोर्ट किये गये जिसमें से ६ मामले पुलिस द्वारा जांच के पश्चात् न्यायालय भेज दिये गये । न्यायालय ने दो मामलों पर निर्णय दे दिया है । २१ मामले अब भी पुलिस की जांच में है । २० मामले विभागीय कार्यवाही में हैं जिसमें से ८ मामलों पर निर्णय हो चुका है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सब मामलों में कुल कितनी रकम का गबन हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—यह तो बताया कि ९९,३३९ रुपया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बतायेगी कि जिन ४७ मामलों में से ३७ का मुकदमा चलाया गया और कुछ पर विभागीय कार्यवाही की गई तो विभागीय कार्यवाही वाले मामलों में गबन कितने रुपये का हुआ था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है ।

बन्शी ग्राम के नल कूप को चालू करने की प्रार्थना

*१२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि ग्राम बंशी, तालुका बीरपुर, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर में एक सहकारी नलकूप कई वर्षों से बनकर बेकार पड़ा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां ।

*१३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या यह सही है कि उक्त नलकूप के सुधार एवं चालू करने के लिये ग्रामीण जनता ने कई प्रार्थना-पत्र गत वर्षों में अधिकारियों को दिये जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं ।

*१४—श्री मुक्तिनाथ राय—सरकार उक्त नलकूप को चालू करने के बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—समस्त बेकार नल-कूपों को चालू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सहकारिता मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नलकूप कितने वर्षों से बनकर के बेकार पड़ा हुआ है और इसकी देखरेख के लिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति यू० पी० सरकार ने की है ? यदि हां, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी इसके बारे में ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सन् १९५४-५५ में इस प्रकार की एक योजना प्रदेश भर में चली थी किस साल में यह बना है, इसकी सूचना इस समय सरकार के पास नहीं है । लेकिन यह इर्रीगेशन कोआपरेटिव सोसाइटी का ट्यूबवेल है जिसमें उनको सर्वाधिकार है अपने उस ट्यूबवेल का । अब इस सिलसिले में कोई रिपोर्ट सरकार के पास प्राप्त नहीं हो रही है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सहकारिता मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय कुल कितने सहकारी नलकूप बेकार पड़े हैं जिनकी चालू करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—४६२ हैं प्रदेश भर में ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जितने कोआपरेटिव नलकूप हैं इनको सरकार अपने हाथ में लेले, इसके बारे में कोई विचार हो रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---काफी दिनों से सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। इसके लिये एक कमेटी भी डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी है। अलावा इसके इरीगेशन के सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार महोदय और केन कमिश्नर में आपस में बातचीत हो रही है और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस मामले में एक हल ढूंढ़ लिया जायगा।

*१५-१६---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)---[हटा दिये गये।]

उरई के श्री शत्रुघ्नसिंह व श्री बाला को दुग्धशाला के लिये ऋण तथा सहायता

*१७---**राजा वीरेन्द्रशाह**---क्या यह सही है कि सन् १९५२ से १९५६ तक कोई सहायता व कर्जा दूधशाला बोहदपुरा-उरई जिला जालौन को सरकार द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो कितनी रकम सहायता में तथा कितनी कर्जे में दी गई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जी नहीं। दूधशाला बोहदपुरा, उरई, जिला जालौन को सन् १९५२ से ५६ तक कोई सहायता व कर्जा नहीं दिया गया।

*१८---**राजा वीरेन्द्रशाह**---उपरोक्त रकम जो कर्जे में दी गई वह १९५९ तक कितनी वसूल हुई व कितनी अभी बाकी है ? जो बाकी है उसकी वसूली का क्या प्रबन्ध सरकार ने किया है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---प्रश्न ही नहीं उठता।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या यह सही है कि इस दूधशाला के वास्ते श्री शत्रुघ्नसिंह और श्री बाला अध्यासी उरई को १० हजार रुपया सहायता और १० हजार रुपया कर्जे के लिये दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, यह सही है।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या सरकार बतलायेगी कि जो कर्जा दिया गया था वह कितना वसूल हो गया और कितना अभी बाकी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---कर्जा जो १० हजार रुपया दिया गया था वह इन्टरेस्ट के साथ वसूल हो गया है। जो सबसिडी थी उसमें जितना खर्च हो गया था उसको छोड़कर बाकी सब वसूल हो गया है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सबसिटी जो दी गई थी वह किस नियम के अनुसार और क्यों वसूल करनी पड़ी ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी टर्म्स और कंडीशंस ऐसी थीं जो सख्त थीं उसमें कोई भी नहीं चल पाया। इसलिये इनसे वसूल कर लिया गया। उसमें उन्होंने ५,३७७ रुपये ८ आना ६ पाई तो खर्च कर दिया था वह छोड़ दिया गया। बाकी ४,६२२ रुपये ७ आना ६ पाई वसूल कर लिया गया।

राजा वीरेन्द्रशाह---जब दुग्धशाला नहीं चली तो यह ५,००० रुपया जो सरकार ने माफ कर दिया वह किन कारणों से माफ किया ?

श्री मोहनलाल गौतम---जब दुग्धशाला चलाने की योजना बनती है तो यह १० हजार रुपया लोन और सब्सिडी के लिये इसीलिये होता है कि अगर कुछ घाटा भी हो जाय तो उसमें सरकार की सब्सिडी का भी अंश हो जाय। यह ५३७७ रुपया खर्च हो गया था इसलिये कम कर दिया गया और बाकी वसूल कर लिया गया।

श्री गौरीशंकर राय---यह जो ५३७७ रु० खर्च हुआ। वह दुग्धशाला के उपकरणों को जुटाने में खर्च हुआ या किसी निजी काम में खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---अगर किसी निजी काम में खर्च किया गया होता तो इस में से न हीं कटता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह दुग्धशाला किसी रूप में स्थापित भी हुई या स्थापित नहीं हो सकी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---स्थापित हुई थी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इस रुपये को दुग्धशाला में न लगा कर इस से ट्रक खरीद लिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, जब २० हजार रुपये दिया गया था तो उस में से इतना ही खर्च हुआ और बाकी का उन्होंने क्या किया यह हमको नहीं मालूम।

श्री गौरीशंकर राय---मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया जो खर्च हुआ वह किस तरह से खर्च किया गया, किन चीजों पर ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---इस रुपये द्वारा भैंसे खरीदी गयीं, डेरी इक्वीपमेंट खरीदा गया और डेरी से संबंधित चीजों में यह यूटिलाइज किया गया। जो यूटिलाइज नहीं किया गया वह हमने वसूल कर लिया।

*१९-२०---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---[हटा दिये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में भट्ठों के लिये अस्थायी लाइसेंस

*२१---**श्री बादामसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में इस वर्ष सन् १९५९-६० में कितने व्यक्तियों को ईंट पकाने के भट्ठों का अस्थाई लाइसेंस दिया गया और इसके लिये कितने व्यक्तियों की अन्तरिम जिला परिषद् ने सिफारिश की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---१९५९-६० में जिला मुजफ्फरनगर में कुल २९ अस्थाई लाइसेंस भट्ठा चलाने के लिये दिये गये। इनमें से किसी भी लाइसेंस की जिला अन्तरिम परिषद् ने सिफारिश नहीं की थी।

*२२---**श्री बादामसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त जिले में कुछ व्यक्तियों को अन्तरिम जिला परिषद् अथवा खाद्य सलाहकार समिति की अनुमति के बिना भी भट्ठे का अस्थाई लाइसेंस दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और उनकी संख्या क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अस्थाई लाइसेंस जारी करने के लिये अन्तरिम जिला परिषद अथवा जिला खाद्य सलाहकार समिति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अस्थाई लाइसेंस जिले में सम्बन्धित वर्ष में जारी किये गये उनकी संख्या उपरोक्त उत्तर में सम्मिलित है।

श्री बादामसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अस्थायी लाइसेंस देने का आधार क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट्स को यह कोयला मिलता है और वे अपने-अपने काम के लिये ईंट बनवाते हैं। जो अनएप्रूव्ड भट्ठे हैं उन से ही वे यह ईंट बनवा लेते हैं और इसलिये उनको यह लाइसेंस दिया जाता है।

श्री बादामसिंह---क्या सरकार को मालूम है कि यह अस्थायी लाइसेंसदार अपना लाइसेंस ब्लैक में बेच लेते हैं और उसम उनका फर्जी नाम रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अस्थायी लाइसेंस के बेचने का प्रश्न नहीं उठता। हर विभाग स्वतंत्र है और वे कंट्रेक्टर्स से बनवा लेते हैं।

शिक्षा संस्थाओं को भट्ठे के लाइसेन्स देने की सिफारिश

*२३---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ ई० में फर्रुखाबाद के जिला सप्लाई आफिसर को ऐसे आदेश दिये गये हैं कि शिक्षा संस्थाओं के लिये ईंटों के भट्ठे लगाने की इजाजत न दी जावे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं। स्वयं अपनी इमारतें बनवाने के लिये विद्यालयों को भट्ठे लगाने की अनुमति देने में कोई रोक-टोक नहीं है पर केवल व्यवसाय के लिये इजाजत देने की नीति नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शिक्षा संस्थाओं को भट्ठे का लाइसेंस देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इन कामों में अमूमन ब्लैक की भी शिकायत होती रहती है और स्कूलों को ब्लैक का काम सिखाना उचित नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जो सुविधायें अन्य लोगों को सरकार देती है वह इन शिक्षा संस्थाओं को देने में उसे बाधा क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं पहले कह चुका हूं कि अगर अपनी बिल्डिंग बनवाने के लिये उनको लेना हो तो उनको फौरन दिया जायगा।

रौजा केन सोसाइटी में जाली पर्चियों से पेमेण्ट

*२४---**श्री हरदयाल सिंह** (जिला शाहजहाँपुर)---क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि रौजा केन सोसाइटी, जिला शाहजहांपुर में दिसम्बर, सन् १९५९ में कुछ जाली पर्चियों का पेमेंट हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां।

श्री हरदयालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जाली पर्चियों द्वारा जो पेमेंट हुआ है उसकी धनराशि क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---४४,८२७·२७ नये पैसे।

श्री हरदयालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस मामले में कितने आदमी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---४ आदमी दोषी हैं। २ गिरफ्तार हैं जो जमानत पर छूटे हुए हैं, २ लापता हैं और मफरूर हैं।

श्री अध्यक्ष---यह गिनती शायद कुछ बढ़ जाती है---आप इसे स्पष्ट करके बताइये। यह तादाद कुछ ज्यादा हो जाती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---श्रीमन्, मैंने ४ ही बताये हैं जिसमें २ गिरफ्तार कर लिये गये हैं। उसी संबंध में २ भाग गये थे जिनमें १ अब भी भागा हुआ है और एक ने अपने आप को सरेन्डर कर दिया है ।

श्री हरदयालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो आदमी गिरफ्तार कर लिये गये हैं वे किन जगहों पर थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---अस्थायी खजांची थे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आदमी भाग गये उनके खिलाफ सी० आर० पी० सी० दंड विधान के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी, वे जमानत पर हैं या अभी अन्दर हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह बता तो दिया गया है कि दो जमानत पर छूटे हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने उत्तर में जो कहीं ४, कहीं कुछ आदमी बताये हैं, बहराल वह जो कुछ हों, वे क्या विभाग के ही सब हैं या पब्लिक के भी हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---वे तो विभाग के ही हैं ।

*२५---**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)---[२ मई, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

अवर्षण-काल में फसल के रक्षार्थ-कार्य

*२६---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि भविष्य में अवर्षण-काल में फसल की रक्षा के लिये क्या किया जायगा ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---अवर्षण-काल में फसल की रक्षा के लिये निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :---

(१) लघु सिंचन योजना, जो चालू है, उन पर जोर देना ।

(२) अवर्षण-काल में उत्पन्न होन वाली फसल की वृद्धि का प्रयास ।

(३) असिंचित क्षेत्रों में मेड़बन्दी समतल करना, मल्चिंग, छिछली जुताई तथा भूमि को ढकने वाली फसलों इत्यादि को बोने के लिये कृषकों में अधिक से अधिक प्रचार करना ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---अब तक कितनी कामयाबी हुई है यह बता दिया जाय ?

श्री काली चरण अग्रवाल---यह तो श्रीमन्, बड़े ब्योरे का प्रश्न है । लेकिन जो सन् १९६०-६१के लिये हमने इसके लिये रुपया रखा है, अगले बजट में, वह करीब ७३.५० लाख रुपये हैं जो तकावी के रूप में हैं और अनुदान के रूप में १६.७५ लाख रुपये हैं । उसको साल भर में खर्च किया जायेगा ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने अवर्षण-काल में फसलों की रक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार से कुल कितने धन की मांग की है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिए कितने धन की मांग की है, इसके लये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी विचार करने की कृपा करेंगे कि अवर्षण काल के लिये जो साधन होते हैं, उसके अलावा भी किसानों के संकटकाल के लिये उनकी फसलों का इन्श्योरेन्स किया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, फसलों का इन्श्योरेंस एक बड़ा जटिल प्रश्न है। जब अमेरिका के विशेषज्ञ यहां आये थे उनसे भी यह प्रश्न किया गया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अमेरिका में भी यह क्राप इंश्योरेंस कामयाब नहीं हो रहा है। यह बड़ा गम्भीर सवाल है और इस पर काफी विचार करना होगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बड़ी सिंचाई योजनाओं में नल-कूप की गूलें तथा सस्ती दर पर पानी देने की व्यवस्था पर वह विचार कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, असल में यह हमारे विभाग का काम नहीं है। जो छोटी सिंचाई हैं वह कम्युनिटी डेवलपमेन्ट की हैं, बड़ी सिंचाई इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, इसलिये मेरे लिये कोई बात कहना मुनासिब नहीं होगा।

कार्यसूची में प्रश्नों के बटवारे के सम्बन्ध में शिकायत

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहली अप्रैल से आपने प्रश्नों का नया बटवारा जो किया है उसके परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि जो हमारी मुख्य शिकायत थी वह दूर नहीं हुई है। आज ३६ प्रश्न हैं, लेकिन आपत्ति इस सम्बन्ध में है कि शुक्रवार के दिन गृह मंत्री और परिवहन मंत्री दोनों रहते हैं और जब दोनों के प्रश्न जुड़ जाते हैं तो ढाई सौ तक पहुंचते हैं, इसलिये गृहमंत्री के लिये अलग एक दिन रखा जाय। आज के दिन आपने सहकारिता और खाद्य मंत्री रखा है, तो उसमें परिवहन मंत्री रख सकते हैं और गृह मंत्री के लिये अलग से एक दिन रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---जरा इसको चलने दीजिये। वैसे तो सौ-सौ डेढ़-डेढ़ सौ, प्रश्न रहते थे, इस वक्त कोई खास वजह होगी कि लोगों के ज्यादा प्रश्न आज नहीं हैं। इस बार यह बात हुई कि १५ रोज का नोटिस नहीं दिया जा सका यानी आज सोमवार तक १५ रोज नहीं होते थे, सवाल डेढ़ सौ थे। तो भी आज के लिये वे सब नहीं रखे जा सके।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---एक हल और हो सकता है। अगर सवाल कम किये जायं तो आसानी से काम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन लोग मानेंगे थोड़े ही।

इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अधीन प्रख्यापित विनियम*

गृह उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन इंटरमीडियेट ऐक्ट, १९२१ की धारा १६-जी में समाविष्ट विषयों के सम्बन्ध में बनाये गये एवं शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति संख्या क-१८४२/१५--१६९२-५८, दिनांक २८ मार्च, १९६० के अधीन प्रख्यापित विनियमों को उक्त धारा ८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---व्यवस्था का प्रश्न। मुझे आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन अधिनियम के मातहत जो विनियम रखे जा रहे हैं उनका सम्बन्ध केवल धारा १६-जी से है। लगभग एक मास पहले अन्य धाराओं

* छापे नहीं गये।

के सम्बन्ध में भी विनियम रखे जा चुके हैं । तो मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूं कि इस १६--जी० के बारे में हम जो संशोधन पेश करेंगे उसके लिये तो आज से समय मिलेगा लेकिन इससे पहले और धाराओं पर जो संशोधन आ चुके हैं उन सब को एक साथ मिलाकर देखें तो कुछ नये प्रकार के संशोधन देने की आवश्यकता पड़ेगी जिनको देने का मौका हमको नहीं मिलेगा इसलिये यदि सब नियमों पर एक साथ विचार करने का मौका हो तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष--जो पहले पेश किये गये थे उन पर आपने संशोधन भेजे नहीं, उसका समय अब खत्म हो गया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--भेजे हैं ।

श्री अध्यक्ष--भेजे हैं तो सुधार होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मन्त्री जी ने आज जो १६-जी० के मातहत विनियम रख हैं उनसे आवश्यकता पड़ जाती है कि कुछ थोड़े से और संशोधन आ जांय । मान्यवर, अधिनियम तो एक है लेकिन विनियम टुकड़े-टुकड़े करके रखे जाते हैं । १६-जी०, सी०, डी० के पहले आये थे । अब अगर इन सब टुकड़ों को एक साथ देखें तो नये संशोधन के देने की आवश्यकता पड़ जाती है । तो आप यह देखें कि इस तरह से टुकड़े-टुकड़े में रखने से संशोधनों के देने में बीच में एक व्यवधान सा आ गया ।

श्री अध्यक्ष--अगर आप गौर से देखें तो सब अलग-अलग हैं । मैं समझता हूं कि सभी लोग इतने योग्य हैं कि वह सबको मिलाकर और पढ़कर इसमें संशोधन दे सकते हैं । आप यह कह सकते हैं कि अगर एक साथ उन पर विचार किया जाय तो आसानी होगी और उसके लिये मैं इन्तजाम कर दूंगा । उन पर एक साथ विचार हो सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, यह जो टुकड़े-टुकड़े करके हमारे सामने रखे जाते हैं, यह भी हमारी एक दिक्कत है ।

श्री अध्यक्ष--वह तो जब-जब उनके विनियम बनते हैं तब रखे जाते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मोतीलाल जी ने जो सुझाव रखा उसका मैं समर्थन करता हूं । इस अधिनियम की किसी धारा या उपधारा के सम्बन्ध में जो नियम बनें, वह नियमावली एक बार प्रस्तुत कर दी जाय और बार-बार सदन का समय न लिया जाय । मैं समझता हूं कि यह सुझाव उचित है, इसे सरकार स्वीकार करने की कृपा करेगी ।

श्री अध्यक्ष--अगर आपने गौर से देखा होता तो इसमें एक सर्विस कन्डीशंस के बारे में है, एक स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, दोनों पृथक् बातें हैं । इसलिये अगर सरकार ने एक प्रकार के विनियम एक समय में बनाये और दूसरे दूसरे समय में बनाये तो इसके लिये मैं सरकार से यह नहीं कह सकता कि वह दोनों पर एक साथ बनाया करें, ऐसी चीज नहीं हो सकती ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, जो पहले संशोधन भेजे गये हैं उनके सिलसिले में मैं चाहता हूं कि कोई समय निश्चित किया जाय और उन पर विचार हो ।

श्री अध्यक्ष--परिषद् में उस पर विचार हो रहा है । वहां से विचार हो जायगा और यहां आ जायेंगे तब तक यह तजवीज हो सकती है कि एक साथ दोनों ले लिये जायं ।

जिला शाहजहांपुर की तिलहर आदि तहसीलों में आग लगने से हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री रूर्मासिह ने भेजा है जो जलालाबाद में प्रचंड अग्निकांड के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में मैंने नियम ५२ के अनुसार राजस्व मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कहा है और शायद उन्होंने मंगलवार को वक्तव्य देने के लिये कहा है।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जी हां, कल १२ तारीख के लिये है।

श्री अध्यक्ष---ऐसी दशा में मैं कामरोको प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर सकता। मंत्री जी का वक्तव्य कल होगा।

श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, मुझे आप एक मिनट का मौका दे दें। आप मेहरबानी करके इसके लिये एक दिन कम से कम दे दें।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें, आप मेरी आज्ञा के बिना बोले जा रहे हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---माननीय रामस्वरूप वर्मा और श्री गोविंदसिंह विष्ट ने नियम ५२ के अनुसार कुछ विषय भेजे हैं। श्री गोविंदसिंह विष्ट के विषय के सम्बन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिये गये और मैं समझता हूं कि यह ऐसा विषय है जिसके बारे में उत्तरों के बाद निश्चितता हो जाय तो ठीक होगा। अगर वे निश्चित नहीं हैं तो साम्प्रदायिक भावनायें बिला वजह भड़क सकती हैं। उत्तर आने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो उसके लिये समय बाधक नहीं होगा और उसके लिये मैं इजाजत दे सकता हूं। इसलिये आज उसे स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---जो कुछ भी किया जाय वह जल्दी किया जाय। वहां हिन्दू लड़के लाकर जबरदस्ती कनवर्ट किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर कल या परसों तक दे दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने अपना प्रस्ताव समय के बाद १० बजकर ३४ पर दिया है। इसलिये इस पर विचार नहीं हो सकता वैसे मैंने पढ़ कर भी देखा यह जानकारी हासिल करने के लिये कि नियम ५२ में उसका उपयोग किया जा सकता है, अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो आप मंत्री जी के पास सूचना भेज दें और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी हो सकता है। उसमें पहला ही वाक्य आक्षेप का है। पहले ही लिखा है कि 'कुछ लोग रिश्वत लेते हैं।' यह आक्षेप ही है।

विभिन्न समितियों के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---अब मैं कुछ समितियों के सम्बन्ध में अपने निर्णय सदन को देना चाहता हूं।

आश्वासन समिति में १५ सदस्य मनोनीत करने थे, वे मैंने ये किये हैं:---

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे, ये सभापति होंगे, और सदस्य होंगे सर्वश्री शिवमंगलसिंह, ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, काशीप्रसाद पांडेय, घनश्याम डिमरी, जगदीशप्रसाद, अतीकुर्रहमान, लक्ष्मणराव कदम, जगन्नाथ प्रसाद, कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री, सर्व श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह, रामकुमार वैद्य, जंगबहादुर वर्मा, अहमद बख्श और तिरमलसिंह।

नियम समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो नियमानुसार रहते ही हैं। इनके अलावा १३ सदस्य ये मनोनीत किये हैं:—

सर्वश्री हुकुमसिंह विसेन, चरणसिंह, राममूर्ति, सुल्तान आलम खां, रामेश्वर प्रसाद, श्रीमती सियादुलारी, श्रीमती चन्द्रावती, सर्वश्री बुलाकीराम, केशव पांडेय, मुनीन्द्र पाल, सीताराम शुक्ल, गोविंदसिंह विष्ट और रामस्वरूप वर्मा।

विशेषाधिकार समिति में उपाध्यक्ष तो सभापति रहेंगे ही। इनके अलावा, ये ९ सदस्य मैंने मनोनीत किये हैं:—

सर्वश्री लक्ष्मीरमण आचार्य, बेचनराम गुप्त, नवलकिशोर, जगदीशनारायण सक्सेना, मदनमोहन वर्मा, हरिशचन्द्रसिंह, गोविंदनारायण तिवारी, चन्द्रजीत यादव और लालबहादुर सिंह।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—इसमें सोशलिस्ट पार्टी का कोई नहीं है?

श्री अध्यक्ष—वे पहले अनुशासन में आ जावें तो ज्यादा अच्छा है।

प्रतिनिहित विधायन समिति में १५ सदस्य होते हैं। ये रहेंगे:—सर्वश्री मदनमोहन वर्मा, बेचनराम गुप्त, ब्रजभूषण शरण, सोहनलाल धुसिया, लक्ष्मीनारायण बंसल, नेकराम शर्मा, द्वारिका प्रसाद मित्तल, हरिश्चन्द्र सिनहा, रऊफ जाफरी, श्रीमती चन्द्रावती, सर्वश्री महमूद अली खां, पद्माकरलाल, शिवशंकर सिंह, देवनारायण भारतीय और मदन पांडेय।

इसके सभापति श्री मदनमोहन वर्मा होंगे।

कार्य-मंत्रणा समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो नियमानुसार रहते ही हैं। इनके अलावा १३ सदस्य ये होंगे:—

सर्वश्री लक्ष्मीरमण आचार्य, नरेन्द्रसिंह विष्ट, शांतिप्रपन्न शर्मा, शिवप्रसाद, श्रीमती बिन्दुमतीदास, सर्वश्री महीलाल, मंगलाप्रसाद, सुरेशप्रकाश सिंह, अजीज इमाम, जगवीर सिंह, उग्रसेन, लायकसिंह और ऊदल।

प्राक्कलन समिति के सभापति श्री देवकीनन्दन विभव होंगे।

पेटीशंस कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी के बारे में मैं कल निर्णय दूंगा। पेटीशंस कमेटी के सामने एक विषय मौजूद है, उसके समाप्त होने पर नयी कमेटी की घोषणा होगी। लाइब्रेरी समिति में कुछ सदस्य विधान परिषद् के भी होंगे, जिसके बारे में विचार करना है। इसलिये इसकी घोषणा कल होगी।

आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से सदन के कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा खयाल है कि इसकी सूचना तो आप स्वयं दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—पिछले सप्ताह को दे चुके हैं और इसकी भी वैसे जानकारी तो है ही, १४ तारीख तक की जानकारी है। कुछ परिवर्तन हुआ हो तो बता दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मिडवाइव्ज का बिल, उत्तराखंड कमिश्नरी के लिये कानून लागू करने का विधेयक, एक प्रस्ताव इस विषय का है कि दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति बनाई जाय जो यह देखे कि किन-किन कमेटियों की सदस्यता आफिस आफ प्राफिट होगी, ये काम हैं। अगर समय हुआ तो मुस्लिम वक्फ विधेयक भी आ सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—१४ तारीख के बाद सदन चलेगा या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ज्यादा से ज्यादा १५ अप्रैल तक जायगा। उसके आगे नहीं जायगा। उसके बाद की स्पीकर महोदय घोषणा कर चुके हैं कि २६ तारीख को हम लोग फिर बैठेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—१५ को शायद छुट्टी है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—१५ को गुड फ्राइडे है।

श्री अध्यक्ष—मैंने पहले ही कार्यक्रम बता दिया था। १२ तारीख को यानी कल उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन (संशोधन) विधेयक और यू०पी० नर्सेज वाला विधेयक होंगे। १३ को असरकारी दिन होगा। १४ को मुख्य मंत्री जी ने जो संकल्प अभी बतलाया वह लिया जायगा और समय रहा तो उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स विधेयक लिया जायगा। १५ के लिये यह था कि १५ को सदन शायद न बैठे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन है कि १६ तारीख को हमारे यहां अन्तरिम जिला परिषद् की मीटिंग होने वाली है, १५ तारीख को यहां छुट्टी है इसलिये उत्तराखंड वाला बिल जो यहां आ रहा है उसको आगे पीछे कर दिया जाय तो बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष—वह विधान परिषद् से पास हो चुका है। अभी मेरे पास वह आया नहीं है।

श्री एस० जी० दत्त—अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि शायद १५ को बैठक न होगी। इसमें 'शायद' लफ्ज मुश्तबा है। उस दिन चूंकि गुड फ्राइडे है इसलिये हमें यकीन दिला दिया जाय कि उस दिन मीटिंग होगी या नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—मैंने यह इसलिये कहा कि माननीय नेता सदन ने कहा कि "शायद १५ को हो" इसलिये मैंने भी "शायद" शब्द कह दिया। निश्चित ही है कि गुडफ्राइडे के दिन मुख्य मंत्री जी बैठना नहीं चाहते हैं।

श्री एस० जी० दत्त—तो माननीय मुख्य मंत्री जी इसको साफ कर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यों तो गुड फ्राइडे की सैक्शनल छुट्टी है। परन्तु मैं आशा करता हूं कि हमारा काम १४ को ही समाप्त हो जायगा और १५ को बैठने की आवश्यकता न होगी।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि बैठक नहीं होगी।

राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य सेवा चुनाव समितियों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व रखने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—श्री रामवचन यादव के संकल्प पर उस दिन बहस हो रही थी। श्री ब्रजनारायण तिवारी उस दिन बोल रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय यादव जी के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं.....

श्री अध्यक्ष—"में" के स्थान पर "द्वारा" रख देने से संकल्प का अर्थ बिलकुल खब्त हो जाता है। पहले आप बतायें कि उससे आपका क्या मतलब है। यह बिलकुल नया ही प्रस्ताव हो जाता है। उनका तो मतलब यह है कि सेवा आयोग और चुनाव समितियां, जो अनुसूचित जातियों को सेवायें देती हैं, उनमें उनका कोई न कोई सदस्य हो। लेकिन आपने जो रखा है उसका अर्थ यह हो जाता है कि उनका प्रतिनिधित्व उसमें हो या न हो लेकिन उसके द्वारा पिछड़े वर्ग की नियुक्तियां की जाया करें। वह तो आज भी हो रही हैं, सेवा आयोग का गठन बदलना चाहते हैं। इसलिये आपका जो संशोधन है, वह मूल संकल्प का विरोधात्मक है। इसलिये मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, यह संकल्प संविधान के प्रतिकूल पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। आप क्या प्वाइंट आफ आर्डर रेज करते हैं कि यह संकल्प अवैध है?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—जी हां, भारतीय संविधान के अध्याय १४ के अनुच्छेद ३२० (ई) और (४) कृपया आप देखें। इसमें है कि किस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन बना करता है और कैसे काम इसका होता है इसकी व्यवस्था श्रीमन्, इसमें है—

"320. (1) It shall be the duty of the Union and the State Public Service Commission to conduct examinations for appointments to the services of the Union and the services of the State respectively.

(2) It shall also be the duty of the Union Public Service Commission, if requested by any two or more States so to do, to assist those States in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidates possessing special qualifications are required."

ई० का जो नीचे प्रोविजो है उसमें दिया हुआ है—

"and it shall be the duty of the Public Service Commission to advise on any matter so referred to them and on any other matter which the President, or, as the case may be, the Governor of the State may refer to them.

"Nothing in clause (3) shall require a Public Service Commission to be consulted as respects the manner in which any provision referred to in clause (4) of article 16 may be made or as respects the manner in which affect may be given to the provisions of article 335."

---

*८ अप्रैल, १९६० की कार्यवाही से।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

मान्यवर ३३५ और इसके पहले संविधान की धारा १६ में इसके लिये अलग से व्यवस्था है। संविधान की धारा १६ में दिया हुआ है—

"16. (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

(2) No citizen shall, on ground only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated in respect of, any employment or office under the State."

श्री अध्यक्ष—इसमें एप्वाइंटमेंट का कोई सवाल तो है नहीं। यहां तो यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन या जो सेलेक्शन कमेटी हों उनमें कोई न कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग का होना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह चीज संविधान के विरोध में नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—कांस्टीट्यूशन में पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—कांस्टीट्यूशन में यह कहीं नहीं दिया गया है कि कोई पिछड़े वर्ग का या हरिजन, सेवा आयोग में नहीं होना चाहिये। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मुझे अपनी बात कहने दी जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप बिला वजह जो असंगत परिच्छेद हैं उनको पढ़ रहे हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, अनुच्छेद १६(२) में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है—

"No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State."

श्री अध्यक्ष—यह तो नियुक्तियों का सवाल नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मगर इस संविधान के अन्दर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कमीशन में एक ऐसा आदमी कर दिया जाय जो हरिजन या बैकवर्ड क्लास का हो। इसीलिये मैं समझता हूं कि यह डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें, ऐसी कोई चीज नहीं है। यहां प्रस्ताव में एप्वाइंटमेंट का कोई सवाल नहीं है। यहां प्रश्न यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को कैसे कांस्टीट्यूट किया जाय और कांस्टीट्यूट करने के बाद संविधान के अनुसार जो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर होगा वह किस तरह से एप्वाइंट होगा। इसमें यह कहीं नहीं दिया हुआ है कि फलां फलां हो सकता है और फलां नहीं हो सकता।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, ३३५ में स्पष्ट दिया हुआ है—

"335. The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with affairs of the Union or of a State."

श्री अध्यक्ष—संविधान में यह डिस्क्रिमिनेशन किया गया है तो इन्होंने थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर दिया तो कोई बुरा नहीं किया। उसमें एप्वाइंटमेंट का कोई सवाल नहीं है। संविधान में है कि कौन-सा व्यक्ति आयोग में होना चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन या सेलेक्शन

कमेटी के बारे में वे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। या बैकवर्ड क्लास का या शिड्यूल क्लास का होना चाहिये, मैं इस आक्षेप को निराधार समझता हूं। अब आप कृपया बैठें।

(श्री रामस्वरूप वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मैंने श्रीमन्, एक संशोधन वर्मा जी के संशोधन में भेजा है, आप आज्ञा दें तो मैं पहले उसे पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—यदि उसे आप ठीक समझें तो दोनों को मिलाकर पेश कर दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि संकल्प की तीसरी पंकित में 'वर्गों' के आगे के शब्दों को हटाकर उन के स्थान पर 'को कम से कम ६० प्रतिशत स्थान दिये जायें' रख दिया जाय।

इस संशोधन के उपरान्त यह संकल्प इस प्रकार पढ़ा जायगा कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य सेवा चुनाव समितियों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को कम से कम ६० प्रतिशत स्थान दिये जायं।

मुझे यह निवेदन करना है कि वास्तव में भारत की अधोगति का कारण यहां की जाति प्रथा है, जाति प्रथा का अन्त इसलिये भी नहीं हो पा रहा है कि यहां कुछ चन्द ऊंची जातियां हैं कि जो शासन में, व्यापार में या अच्छी जगहों में या जो नियुक्ति करने वाले कमीशन हैं जिनके द्वारा नियुक्तियां होती हैं उनमें घुसी हुई हैं और उनमें दूसरी निम्न जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

श्रीमन्, मानव की कुछ दुर्बलतायें हैं और मैं इस जाति प्रथा के विकास के सम्बन्ध में चन्द लाइन्स निवेदन करूंगा क्योंकि इस जाति प्रथा के कारण और थोड़ा सा अपनी सन्तति के प्रति कोमल हृदय होने के कारण यह हो जाता है कि चन्द आदमी या चन्द जातियों का बहुमत होने के कारण उनके द्वारा किये गये चुनावों में पक्षपात या कोई अन्य कमजोरी दिखाई दे। जाति प्रथा का जो मूल आधार है वर्ग उन को हम देखें कि किस प्रकार ये वर्ण तथा जातियां बनीं। यह स्पष्ट है कि हमारे देश में यह व्यवस्था विशेष रूप से किसी एकोनामिक प्रेशर के कारण नहीं आई बल्कि इसके पीछे कुछ वर्गों के लोगों के अपने निजी स्वार्थ थे जिनके कारण यह व्यवस्था यहां आई। मैं ने कुछ भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है और मैं आप के द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को यह बताऊंगा कि जो लोग भारतीय संस्कृति की दोहाई देकर जाति प्रथा को ठीक कह देते हैं और जो कहते हैं कि यह अनादि काल से चली आती है, वे भ्रम में हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो प्रथम तथा आदि पुस्तक ऋग्वेद है उसके ९ मंडलों में कहीं भी शब्द ब्राह्मण या क्षत्री या शूद्र नहीं आया है, उन्होंने पेशे के अनुसार ७ वर्ग बताये हैं पुरोहित, राजन्य, वैश्य, दस्यु, किरात, निषाद और विश्वकर्मा।

किरात लोग तो शिकार वगैरह करते थे, निषाद नदियों से पार निकालते थे, विश्वकर्मी बढ़ई और लोहारगीरी, कृषि और लड़ाई आदि के औजारों को बनाते थे। इस तरह से उस वक्त काम पर आधारित होता था। लेकिन ऋग्वेद के ९ मण्डलों में इसका कहीं आभास नहीं होता कि ब्राह्मण, क्षत्री शूद्र जन्म से होते थे। तो यह आया कहां से? अब सवाल यह है कि क्यों इन सेवाओं में, जो आयोग है इसमें ६० प्रतिशत पिछड़े व अनुसूचित लोगों को रखा जाय? इसलिये कि अगर यह लोग इनमें रहेंगे तो देश में जो आज दलित और पिछड़ी हुई जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व हो सकता है क्योंकि यह मूल शक्ति स्रोत है यहां से लोग सेवाओं के लिये चुने जाते हैं। ऋग्वेद में हम कहीं भी जाति प्रथा को नहीं पाते हैं और न उस वर्ण व्यवस्था को पाते

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

हैं जो आज इस देश में ब्राह्मण क्षत्री व शूद्र के नाम से है। इसके सम्बन्ध में एक अंग्रेज ने Tribes in India नामक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, लेकिन उस पर न जाकर मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जाति प्रथा आई कैसे।

इससे आर्थिक उन्नति में कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि यह देश की अधोगति का कारण हुई। सामवेद और यजुर्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है लेकिन वह शुद्ध रूप से जाति या वर्ण के आधार पर नहीं मिलता है। सबसे पहले उपनिषद् काल में आर्यों ने इस देश में जाति प्रथा को स्थापित करने हेतु पुनर्जन्म का नारा दिया और उसे स्थिर करने के लिये भाग्यवाद को आधार बनाया। तो दो बातें स्पष्ट हो गईं कि हिन्दुस्तान में जो जाति प्रथा आई उसके पीछे क्या था और वह कैसे टिकी।

ऋग्वेद में जब आर्य संस्कृति अपने उषा काल में थी तब आर्य संस्कृति आध्यात्मिक न होकर भौतिक थी। मंत्रों में मिलेगा कि हमारे पास इतना धन-धान्य हो, इतने पशु हों हम शत्रु को जीतें युद्ध व जुआ में शत्रु व विरोधी को हराएं आदि इस प्रकार की तमाम भौतिक बातों की चर्चा है। जहां तक ऋग्वेद के १०वें मंडल का प्रश्न है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको बाद में जोड़ा गया है। हिन्दुस्तान में ऋग्वेद के समय में जीवन के लिये बहुत साधनों की विपुलता थी। जिन लोगों ने कृषि को अपनाया, एक जगह रहे 'शिव धातु से स्थिर होने के अर्थ में वैश्य कहलाया। जो आर्यों से लड़ते व उनका सामान छीनते थे वह दस्यु कहलाये। आज भी डाकुओं को दस्यु कहा जाता है।

वर्ग बनने के दो कारण हुए। एक तो आर्यों का मुख्य रूप से आगे चलकर यह स्वभाव हुआ कि जो राजन्य या पुरोहित या वैश्य थे उनमें यह भावना आई कि हमारे लड़के योग्य हों, या अयोग्य हो हमारी ही जैसी सुविधाओं को पायें और हमारे जैसा सम्मान प्राप्त करें। यह भावना आजकल भी पाई जाती है। अपने बच्चों को बराबर उच्च स्थान पर रखने के लिये आर्यों ने एक कल्पना की और उसके लिये एक व्यवस्था बनाई कि हम जो आर्य हैं वह निश्चित रूप से दूसरे अनार्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। इसलिये वंश में पैदा होने पर ही वह समस्त गुण पाये जाते हैं जो वास्तव में कर्म से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। वंश से ही वर्ण बनने का यह सिद्धांत बना, काले और गोरे के भेद से भी वह वर्ण (रंग) व्यवस्था लागू हो गयी।

आमतौर से यहां पर दो कौमें थीं ऐस्ट्रोलायड और द्रविड़। दोनों की बनावट में तो फर्क था, लेकिन काले रंग में कोई अन्तर नहीं था। ये दो जातियां जंगलों में रह कर आर्यों को नुकसान पहुंचाती थीं, उनको अलग करने के लिये, अपनी संतति को योग्य स्थान पर पहुंचाने के लिये और उनकी सुविधा तथा सुख का ध्यान रखने के लिये यह कर दिया कि जन्म से ही आदमी श्रेष्ठ होता है और इसको पूरा करने के लिये पुनर्जन्म का सिद्धान्त अपनाया।

पुनर्जन्म का सिद्धांत तर्क पर नहीं टिकता। दर्शन शास्त्रों में भी इसको समर्थन नहीं मिलता। वर्णभेद का सिद्धांत इसलिये अपनाया गया कि हम पदों पर दृढ़ हो जायं लेकिन लोगों में समाज के इन भेदभावमूलक नियमों से जो गुस्सा पैदा होगा, समाज में अव्यवस्था तथा असंतोष फैलेगा उसको खत्म करने के लिये दो सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया, एक पुनर्जन्म तथा दूसरा भाग्यवादी सिद्धान्त। तो भारत में यह एक व्यवस्था चल पड़ी जिसमें जन्म से जो जहां पैदा होता है वह काबिल और नाकाबिल होता है, कर्म से नहीं। जब इस प्रकार का सिद्धांत बनाया तो दस्यु तथा आर्यों में परस्पर विवाह शादी को मना कर दिया क्योंकि जब नियम लागू करना था जन्म का तो विवाह शादी दो नस्लों में हो नहीं सकती थीं वर्ना एक ही प्रकार के आदमी नहीं होते, लिहाजा उन्होंने इसको रोका। लेकिन मानव स्वभाव के अनुकूल दस्यु तथा आर्यों में विवाह जायज या नाजायज तौर पर होते रहे और संतानें होती रहीं, नाजायज हों या जायज लेकिन संतानें होती रहीं।

इस प्रकार परस्पर सम्बन्ध होते रहे किसी ने इन अनुचित समाज बंधनों को तोड़ते हुए शादी की, लुक-छिप कर उनसे पैदा संतानों की अलग जातियां बनती गयीं और जाति प्रथा हमारे देश में बढ़ती गयी लेकिन पुनर्जन्म तथा भाग्यवाद के जो सिद्धान्त थे वे ज्यों के त्यों देश में बराबर रहे और उनको मजबूत करने के लिये उपनिषद्, स्मृति एवं पुराणों का सृजन हुआ। लेकिन इन सिद्धांतों को खत्म करने और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे यहां दो बड़े दार्शनिक आये। एक चारवाक हुए जिन्होंने बतलाया कि पुनर्जन्म का सिद्धांत गलत है और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पुनर्जन्म से पोषित जाति व्यवस्था किसी प्रकार भी उचित नहीं है और किस प्रकार जाति व्यवस्था का देश में रहना समाज के लिये अहितकर है। उन्होंने कहा कि जो कुछ होता है इसी जीवन में होता है। मनुष्य को ईश्वर पैदा नहीं करता उन्होंने कहा।

इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने अहिंसात्मक तरीके से एक संस्कृति का निर्माण किया और फिर सबसे पहले कहा कि आदमी जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आगे होता है। महात्मा बुद्ध ने भी जाति व्यवस्था से जो विष फैला हुआ था उसे खत्म करने की कोशिश की। राष्ट्र के निर्माता समय समय पर होते रहे हैं। जब समाज में कोई खराबी आती है तो उसमें उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कोई आदमी आता है जो उसके फैले हुए विष को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। महात्मा बुद्ध के आगमन से फिर जो देश में पुनर्जन्म तथा भाग्यवाद के सिद्धान्त चल रहे थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया था, इनके खिलाफ आवाज उठी। ये दोनों भारतीय संस्कृति के दो सितारे हैं जिन्होंने भारत में इस गलत व्यवस्था का नाश करने के लिये आवाजें बुलन्द कीं और सत्यपथ का प्रदर्शन कराया। लेकिन दुर्भाग्य था कि देश की यह व्यवस्था फिर आगे चल पड़ी और गुप्तकाल तथा हर्ष काल में ये बढ़ती गयीं और परिणामस्वरूप जाति व्यवस्था की खराबी समाज को जकड़ती गयी।

जाति व्यवस्था को देश में फैलाने का मूल कारण था संतान पर स्वाभाविक स्नेह, अयोग्य रहने पर भी उसे योग्य बनाये रखना और आज भी उसे कायम रखने का प्रयास बराबर हो रहा है। आज तमाम देश में फैल कर यह व्यवस्था पूरे समाज को जकड़े हुए है और उसी का परिणाम आज लोक सेवा आयोग में भी हमें मिलता है। चाहे जो लोक सेवा आयोग हो उन सब में ये खराबियां होती हैं।

इसलिये सदन के सामने जो संकल्प प्रस्तुत है यह बहुत ही समीचीन है कि जिस खराबी की वजह से हमारे पूरे राष्ट्र की संस्कृति ही दूषित हो गयी और अगर आज भारत किसी के सामने अपना सिर झुकाता है तो इस जाति व्यवस्था के परिणामस्वरूप ही झुकाता है। इसलिये लोक सेवा आयोग जो भूल स्रोत है पद देने का उसको सब से पहिले इस उच्च जाति के एकाधिकार से मुक्त करने में प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा कारण यह भी है कि आज चीन वगैरह हमारे देश में झांकने की कोशिश कर रहे हैं और यह इसीलिये कि हमारे देश की फूट को वे लोग जानते हैं कि यहां की बहुसंख्यक जनता को देश की आजादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वही देहात वाली मसल है कि 'चेरी छांड़ि न होइबै रानी' तो इस तरह की निराशा हमारे देश में व्याप्त हो गयी है क्योंकि राज्य के जो अच्छे अच्छे पद हैं उनमें से एक पर भी उन लोगों में से नहीं हैं जिनकी आबादी यहां ८५ फीसदी है। दुर्भाग्य से उनका, १,१/२ परसेंट भी रेप्रेजेन्टेशन नहीं है तो यह प्रस्ताव मूल पर ही आघात करता है। इससे पिछड़ी जातियों को उन्नति करने में प्रश्रय मिलेगा जिससे देश को बड़ा लाभ होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे संशोधन के साथ इस संकल्प को यह सदन स्वीकार करेगा।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, निहायत सद्भावना के साथ यह प्रस्ताव आया है और हमारे माननीय भाई राम वचन जी का विचार यह है कि चूंकि

---*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

कुछ ऊंची जाति के लोग बैठ जाया करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसलिये काबिल होने के बावजूद भी हरिजनों या बैकवर्ड को मौका नहीं मिलता। उनकी बात में वेट है, निराधार नहीं है, कुछ दम है, इसमें भी कोई शुबहा नहीं। जो संशोधन लाया गया है वह भी निहायत सदेच्छा से लाया गया है जिससे पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिल जाय। लेकिन अभी--अभी जो बड़े जोशीले शब्दों में स्पीच हुई और महाभारत और वेदों का उद्धरण देने के बाद बतलाया गया कि जाति प्रथा तो स्वार्थियों ने बनाया है और उसी की पुष्टि के लिये पुनर्जन्म की थ्योरी को बनाया, तो मैं अगर इसका शास्त्रीय ढंग से जवाब दूं, तो समय ही खत्म हो जायगा और असल बात पर मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा इसलिये मैं मुख्य प्रश्न पर आ जाता हूं कि इससे बैकवर्ड और हरिजन को फायदा होगा या नुकसान होगा।

मेरा कहना यह है कि इससे तो आप जातिवाद फैला रहे हैं। एक तरफ स्पीच आपकी यह है कि जातिवाद से बुराई फैली है और दूसरी तरफ आप शर्त लगा रहे हैं कि इतने परसेंट ये लोग उसमें रहें। यह जातिवाद को मिटाना है या उसको कायम रखना है? हुजूरवाला, जाति प्रथा कब कायम हुई, कैसे कायम हुई, क्यों कायम हुई इसके बताने में बहुत समय लगेगा और समय बहुत कम है इसलिये मैं उसमें नहीं जाता। हां, यह सब कहने से धोखा देकर वोट आप को मिल सकता है। मेजारिटी है हरिजनों की और बैकवर्ड्स की। वे कहेंगे कि हम लोगों के लिये बहुत लड़े मगर मुल्क इससे नर्क बन जायगा। इससे जाति प्रथा फैलायी जा रही है और हरिजनों और बैकवर्ड्स का इससे नुकसान होगा। जरा गौर फरमायें आप। अंग्रेजों ने देखा कि लड़ाई हो रही है, हिन्दुस्तानी हमको निकालना चाहते हैं, देश जाग गया है, कहते हैं कि "क्विट इंडिया", तो उन्होंने मुसलमानों से कहा कि हजरात जहां स्वराज्य हुआ वहां हिन्दू तुम्हें कुचल कर रख देगा क्योंकि हिन्दुओं की मेजारिटी है, तीन-चौथाई वह हैं और एक-चौथाई आप हैं। स्वराज्य क्या होगा आपकी सजा हो जायगी।

मुसलमानों की पीठ ठोंकी और मुस्लिम लीग का जन्म हुआ और सेपरेट इलैक्टोरेट की मांग पेश हुई कि मुसलमान मुसलमान को वोट दे, हिन्दू हिन्दू को वोट दे ताकि हमारा प्रेसटीज कायम रहे। उनकी यह बात मान ली गई और १९१६ में मुस्लिम लीग के साथ सुलह हुई और सैपरेट इलैक्टोरेट मान लिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? "मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की" पहले तो कभी-कभी गाय की कुरबानी पर ही हिन्दू मुस्लिम झगड़ा होता था। लेकिन सैपरेट इलैक्टोरेट हो जाने के बाद पीपल की डाली पर झगड़ा होने लगा, मुर्दा जब बाजे के साथ जाता था तो उस पर झगड़ा होने लगा और यहां तक यह झगड़े बढ़ गये कि मुल्क बंट गया। मुल्क की तकसीम हुई, सारे मुल्क में कत्ले आम हुआ, कहीं हिन्दू मारे गये और कहीं मुसलमान मारे गये और शांति कायम नहीं हो सकी। आज भी काश्मीर में हमारी फौजें खड़ी हैं और उनकी भी फौजें खड़ी हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया।

आज हरिजनों का एक सवाल और पैदा हो गया है। इनका उत्थान करने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। सब से पहले १९१४ में इस गरीब की झोंपड़ी पर ही हरिजनों की मीटिंग हुई थी। उस समय सारे प्रदेश में हाय हाय मच गई थी कि सीताराम क्या कर रहा है। मैंने कहा कि मैं जरूर करूंगा। चाहे जो हो। "पूजिये विप्र सर्वगुणहीन शूद्र न पूजिये परम प्रवीना।" मैंने कहा कि मैं इसका विरोध करूंगा कि क्योंकि अच्छा अच्छा है चाहे वह शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और बुरा-बुरा है चाहे वह शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कोई भी हो। मैंने इसके लिये लोगों की गालियां खाई लेकिन इसको फेस किया, इसका मुकाबिला किया। इसी प्रकार से "पूजिये हरिजन सर्वगुणहीना विप्र न पूजिये परम प्रवीना। "इसका भी मैंने विरोध किया। मैंने इसकी परवाह नहीं की कुर्सी रहे या जाय। हमारे पास ईमानदारी रहनी चाहिये।

अगर गलत बात कही जाय और चुपचाप रह जायं तो इससे पाप लगता है। हरिजनों में कम से कम ६०-६५ किस्में हैं, इसी तरह से बैकवर्ड में भी ६०-६५ किस्में हैं। आज इन लोगों में भी सवाल पैदा हो गया है कि जाटव ज्यादा फायदा उठा रहे हैं या फलाने ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। यह झगड़ा शुरू हो गया है। क्या कमीशन में हरिजन की और बैकवर्ड की हर एक किस्म में से एक आदमी बैठेगा यानी इस तरह से १२० आदमी बैठेंगे।

हुजूरवाला, इसके बाद सवाल नौकरियों में आयगा, फिर सवाल आयगा कि ट्रेनों में इनके लिये अलग डिब्बे रिजर्व किये जांय, इसके बाद सवाल आयगा कि अस्पतालों में इनके लिये अलग बैड्स रिजर्व किये जांय। आज थानेदारी के लिये हम इनमें से आदमी तलाश करते हैं तो एक आदमी तक नहीं मिलता जिसको थानेदार बनाया जा सके। इसी तरह से एक आदमी नहीं मिलता जिसे डिप्टी कलेक्टर बनाया जा सके, एम० एल० ए० बनाने के लिये एक आदमी नहीं मिलता। कुछ न कुछ कमजोरी रह जाती है। क्या आप जातियों में घुसेंगे, बिरादारी में घुसेंगे, क्या आप इसका झगड़ा पैदा करेंगे? हिन्दू मुसिल्म झगड़ों के कारण पाकिस्तान बन गया। लेकिन क्या क्या हुआ, रोज हुकूमत बनती थी और बिगड़ती थी और आखिरकार वहां डिक्टेटरशिप कायम हो गई। जो तमाशा वहां हुआ क्या यहां भी होने लगे? याद रखिये आप। असल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह जातियां नहीं हैं बल्कि धनी और गरीब की जातियां हैं। डाक्टर सीताराम साहब जाते हैं.....।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---आप तो अमीर गरीब की जाति कायम रखना चाहते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---जी हां। चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं। क्यों चाहता हूं? इसलिये कि इसमें गरीब का फायदा है।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---इसको साफ कीजिये।

श्री अध्यक्ष---वह स्वतंत्र बात कह रहे हैं। सुन लीजिये।

श्री सीताराम शुक्ल---डाक्टर सीताराम एक हरिजन मिनिस्टर जाते हैं। एक ब्राह्मण आदमी दावत करता है। दावत में पाच सौ रुपया खर्च कर देता है। उनसे हाथ मिलता है। सारी छूतछात खत्म हो गयी पंडित की। ऊंची जाति का, एक ब्राह्मण जाता है तो हरिजन साहब दावत करते हैं। लेकिन अगर एक गरीब हरिजन दस रुपये मांगता है कि हम को दस रुपये दे दीजिये तो पंडित जी के पास दस रुपये नहीं रहते। गरीब हरिजन के लिये पंडित जी के पास पैसा नहीं रहता और अमीर हरिजन की दावत में पांच सौ रुपये खर्च कर देते हैं। तो स्टैन्डर्ड की चीज है। बहुत से एम० एल० ए० हैं जो गरीब हरिजन के यहां पानी नहीं पीते, क्योंकि वे गंदे रहते हैं। एक हरिजन एम० एल० ए० हैं। उन्होंने कहा कि मैं चमार के यहां पानी नहीं पीता हूं।

भाई महीलाल जी ने सवाल किया कि मैं कायम रखना चाहता हूं। मैं इसलिये कायम रखना चाहता हूं कि अगर प्राइवेट प्रापर्टी रहती है, तो व्यक्तिगत पैसा कमा कर एक हरिजन कल राजा बन सकता है, एक मजदूर कल मिल मालिक बन कर हवाई जहाज में घूम सकता है। आपने देखा कि जमींदारी टूट गयी। उसके बावजूद जमींदारों के पास मोटरें हैं, मगर पुरानी हैं। जमींदारों के पास बंगले हैं। मगर गरीब हरिजन के लिये गारंटी कर दी गयी कि साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन कभी कोई हरिजन नहीं रखा सकता और साढ़े बारह एकड़ में मोटर, बंगला, बागीचा नहीं हो सकता, तो मैं हरिजनों के लिये गरीबी की गारन्टी नहीं चाहता।

[श्री सीताराम शुक्ल]

मैं चाहता हूं कि हरिजन बड़ा से बड़ा आदमी बने, उसको पढ़ने लिखने का मौका मिले, काबलियत पैदा करने और आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन अगर यह कहिये कि चूंकि हम हरिजन हैं, मूर्ख हैं, लिहाजा हमें सीट जरूर मिले तो सीताराम शुक्ल मुखालिफत करेंगे, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाय। हरिजन हो या ब्राह्मण हो मुसलमान हो या ईसाई हो, जो भी योग्य हो, सच्चरित्र हो, बुद्धिमान हो, पंडित हो या अछूत हो, उसी को मिलनी चाहिये।

जौनपुर की बात है। एक हरिजन साहब थानेदार थे। उन्होंने एक चमार को पिटवा कर मार डाला।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह न्यायालय द्वारा बिलकुल छूट गये हैं। (व्यवधान)

श्री सीताराम शुक्ल---यह फरमा रहे हैं कि मेरा गला सूख रहा है। मैं जानता हूं कि कब गला सूख जाता है, और उसके लिये मेरी पाकेट में गोली है। मेरे एक लायक दोस्त फरमा रहे हैं कि आपका दिमाग सूख रहा है, तभी आप गलत बात कह रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूं।

एक बुरा आदमी पावर में आ जायगा तो मुश्किल होगी, हरिजन का नुकसान होगा। इंगलैन्ड के अन्दर दादाभाई नौरोजी गये थे। उन लोगों ने उनको पार्लियामेंट का मेम्बर बना दिया। लार्ड सिन्हा हाउस आफ लार्ड्स के मेम्बर हुये। महात्मा गांधी वैश्य थे, हरिजनों का कितना उद्धार किया। उन्होंने सोचा कि हम आराम में हैं मगर मुल्क में कोई भाई दुखी है तो दुःख है।

स्वामी दयानन्द ब्राह्मण थे। उन्होंने सबसे पहले आवाज उठायी कि नहीं इनको ऊपर उठाना चाहिये। अच्छा काम करने वाला हरिजन ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है वैश्य हो सकता है। इसलिये मैं आपसे अर्ज करता हूं कि कुर्सी के पीछे न दौड़िये। कुर्सी भाग जायगी। घूस बहुत दिन तक नहीं दी जा सकती। सच्चाई के पीछे दौड़िये, ईमानदारी के पीछे दौड़िये तो कुर्सी आपके पीछे पीछे चलेगी। आपके लिये भी अच्छा रहेगा और मुल्क के लिये भी अच्छा रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री मोतीलालअवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं कि संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द "प्रतिनिधित्व" व शब्द "रक्खा" के बीच शब्द 'उनके अनुपात के अनुरूप' रख दिया जावे। इस तरह से मेरा संशोधन इस रूप में हो जायगा कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य सेवा चुनाव समितियों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके अनुपात के अनुरूप रखा जावे।

श्रीमन्, ऐसे तो शायद प्रकट में यह दिखाई पड़े कि मेरे संशोधन और श्री रामस्वरूप जी वर्मा के संशोधन में कोई अन्तर है लेकिन इसमें कोई विशेष अन्तर वैसे है नहीं।

(इस समय १२ बजकर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

उनका जनरल शब्दों में है और मैंने उसे विशेष शब्दों में रखा है। लेकिन अन्ततोगत्वा दोनों का मतलब एक ही है कि लोक-सेवा आयोग और चुनाव सेवा समितियों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे सामने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट या उसका संगठन जो है उसे मैं देख रहा हूं तो मुझे पता लगता है कि जब से आयोग का निर्माण हुआ या इसके अन्तर्गत जितनी सेवा चुनाव समितियां बनीं उन सभी में यद्यपि उसके सदस्य सरकार द्वारा नामजद होते हैं लेकिन उस नामजदगी में कहीं भी यह एक नियम या तरीका नहीं माना गया है कि इनमें पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि भी रहें। आवश्यकता इस बात की है कि लोक सेवा आयोग तथा अन्य सेवा चुनाव समितियों में अनुसूचित और पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि रखे जायं। यह मैं क्यों चाहता हूं कि वह रखे जायं और वह भी अनुपात के अनुरूप या उससे अधिक रखे जायं, इसके कुछ कारण हैं।

अभी तक इस आयोग या इन चुनाव समितियों द्वारा जो भिन्न-भिन्न सेवाओं में लोगों के चुनाव होते रहे हैं उनमें मैं यह कह सकता हूं अपनी जानकारी के आधार पर कि इन अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है और आये दिन जब कभी प्रश्न इस असेम्बली में होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर में यह बतलाया जाता है कि चुनाव समिति ने छोटी-छोटी सेवाओं में भी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को चुने जाने योग्य नहीं समझा। यहां तक भी सुनने को मिला कि चपरासी, पतरौल और लेखपाल ऐसी जगहों के लिये भी अनुसूचित जातियों के योग्य आदमी नहीं पाये जा सके। यह सुनकर हमें और भी आश्चर्य होता है। इसके कारण क्या हैं? इसके कारण यह हैं कि यह जो चुनाव करने वाले होते हैं वह सभी उच्च वर्ण के लोग हुआ करते हैं और उसी कारण वह उसी नुक्तेनिगाह से इन चुनावों को भी देखते हैं। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि इन चुनाव समितियों में अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व हो।

हम इस बात को सिद्धांत रूप में मानते हैं अनुसूचित जातियों को अगर हम उठाना चाहते हैं तो उनके साथ हमें एक बड़ा कदम लेना पड़ेगा और स्पष्ट रूप से हमें बताना पड़ेगा कि उनको आगे बढ़ाने के लिये हमारा मन्तव्य इस प्रकार से स्पष्ट है और उसके लिये यह आवश्यकता है कि चुनने वाले लोगों में कुछ अनुसूचित जाति के लोग भी बैठें जिससे कि कोई मानसिक हीनता उनमें न रह जाय। आप देखें कि चुनाव के समय यद्यपि कुछ स्टैन्डर्ड मेरिट का जरूर रहता है लेकिन इनको अगर हमेशा देखते रहेंगे तो हम कभी भी पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर उठा नहीं पायेंगे क्योंकि शिक्षा को ही देखें तो अनुसूचित और पिछड़ी जाति के नवयुवकों और नवजवानों को शिक्षा के सम्बन्ध में कितनी सुविधायें प्राप्त हैं?

कुछ लोगों को हम वजीफा दे लें यह दूसरी बात है लेकिन वजीफे के साथ ही शिक्षा के सम्बन्ध में अन्य व्यय बहुत से हुआ करते हैं। उनके भरण पोषण का व्यय, आने जाने का व्यय, कुछ पुस्तकों का व्यय तो इन सब व्ययों के लिये उनको एक सहारा मिलना चाहिये। बगैर इस सहारे के पिछड़ा वर्ग आगे नहीं बढ़ पाता है और न बढ़ सका है। इस कारण यदि हम उनके चुनाव करने में सिर्फ मैरिट की बात अगर रखेंगे तो उनके साथ कोई न्याय नहीं हो पायेगा। इसलिये चुनाव समिति और सेवा आयोग में उनके प्रतिनिधि रहें। पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि सेवा आयोग में बैठायें जायं और चुनाव समितियों में उनको बैठाया जाय तो वे लोग मैरिट की बात को न देखकर उनकी नाना प्रकार की योग्यता और अयोग्यता को समझकर चुनाव करने के लिये आगे बढ़ेंगे और चुनकर उनको मौका देंगे कि पिछड़े वर्ग के लोगों को तरक्की दें और उनको प्रोत्साहन दें और उनको इस कार्य में कुछ हाथ बटाने दें। उनकी यह सहायता करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि चुनाव समितियों में उनके प्रतिनिधि आकर बैठें। यह संकल्प जो हमारे सामने आया है, यह एक सर्वमान्य संकल्प है और इस सदन में कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो इसका विरोध कर सके। केवल शुक्ल जी ने इसका थोड़ा सा विरोध किया है। वह भी अपना पार्ट अदा करके चले गये। वह जिस प्रकार से अपनी अदायें अदा करते हैं वह भी देखने के काबिज हुआ करती हैं....।

श्री अधिष्ठाता--दूसरे माननीय सदस्य, जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, उनके विषय में कुछ कहना उचित नहीं। दूसरे, इसमें आपने जो लिखा है कि उनके अनुपात के अनुरूप रख दिया जावे, तो इसमें आपने क्या व्यक्त किया है ? उनके अनुपात के अनुरूप से आपका क्या भाव है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--उनका अनुपात इस प्रदेश में १८ फीसदी माना गया है। मैं इस अनुपात से भी अधिक उनको देने की बात सोचता हूं। मैंने प्रारम्भ में ही कहा . . . .

श्री अधिष्ठाता--रामस्वरूप जी वर्मा ने कहा है कि ६० फीसदी कम से कम होना चाहिये और आप कह रहे हैं कि उनके अनुपात के अनुरूप उनको मिलना चाहिये। तो इन दोनों में समानता नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं अपनी बात को स्पष्ट कर देता हूं। अभी मैंने आपके स्थान ग्रहण करने से पहले इस बात को स्पष्ट किया था। मेरे और वर्मा जी के संशोधन में कुछ ही अन्तर है। वे ६० प्रतिशत की बात कहते हैं तो मैं किसी अनुपात के निश्चित करने की बात नहीं रखता हूं। दोनों की इच्छा एक ही है। मैं चाहता हूं कि जो उनका अनुपात है उससे उनको अधिक स्थान दिये जायं। वर्मा जी भी यही चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के हरएक आदमी को हम वृद्धि की तरफ ले जायं। अगर इस प्रकार से हम नहीं कहते हैं तो जो स्थिति आज है वही बनी रहती है। आज स्थिति ऐसी है कि ४ आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठते हैं। उन चार आदमियों में अभी तक बहुत कम ऐसा देखा गया है कि कभी उनको प्रतिनिधित्व दिया गया हो। हम चाहते हैं कि इन चार के स्थान पर पांच आदमी हो जायं तो १८ फीसदी के हिसाब से एक आदमी उनका उनमें अवश्य आ जायगा . . . . .

श्री अधिष्ठाता--तो आप १८ फी सदी की बात मानते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी हां।

श्री अधिष्ठाता--तो आप इस बात पर निश्चित हों कि आपकी और उनकी बात में कोई अन्तर नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--शाब्दिक अन्तर इसमें हो सकता है लेकिन भावना में कोई अन्तर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--वही बातें आप बतायें, उससे हटकर बात नहीं हो सकती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं यही चाहता हूं कि उनका प्रतिनिधित्व उनके अनुपात के अनुरूप हो। जितना उनका अनुपात है उसके अनुसार उनको प्रतिनिधित्व जरूर मिले। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताऊं कि मैं यह क्यों चाहता हूं, क्यों इनके अनुपात के अनुरूप इनको निश्चित रूप में प्रतिनिधित्व मिले। यदि अनुपात के अनुरूप उनको प्रतिनिधित्व मिल जाय तो इस आयोग में उनका प्रतिनिधित्व होने के कारण, उनके द्वारा चुने जाने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों को सुविधा से, असानी से किसी न किसी प्रकार से उत्साह मिलेगा और वह आ सकेंगे।

इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी तक आयोगों द्वारा जितने चुनाव हुए हैं उनमें हमेशा यह कह कर कि हमको योग्य पुरुष मिलते नहीं हैं उनको सेवाओं से वंचित रखा गया है। उनको प्रोत्साहन नहीं दिया गया। आज आवश्यकता है कि इन आयोगों और चुनाव समितियों के कुछ ऐसे नियम बनाये जायं और उनके बने हुए नियमों में कुछ ऐसे परिवर्तन किये जायं ताकि इन जाति विशेष के लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिल सके। शिक्षा में भी अधिक योग्यता प्राप्त कर सकने के लिये उनको कुछ अधिक सुविधायें दी जायं ताकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, योग्य बन सकें और मेरिट में आ सकें। आवश्यकता है कि इन चुनाव समितियों

में ही उनके प्रतिनिधि भेजे जायं ताकि वे उन नियमावलियों में परिवर्तन कर सकें और उन लोगों को सेलेक्शन में जो अड़चनें हैं उनको दूर कर के उनके चुने जाने का रास्ता साफ कर सकें।

इन आयोगों और समितियों द्वारा जितनी भी प्रदेश में नौकरियां हैं उन पर एक अंकुश रहता है और विशेष तौर पर वे नौकररियां जिनके बल पर प्रदेश का शासन चलता है, इन्हीं के द्वारा चुने जा कर दी जाती हैं। अगर हम इनको मूल रूप से नहीं बदलेंगे तो परिगणित जाति के लोगों को कम मौका मिलेगा और हम उन लोगों की सचमुच में कुछ सेवा या भलाई नहीं कर सकेंगे। ऐसे तो हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है कि हम पिछड़ी जातियों को ६० प्रतिशत तक जगहें देना चाहते हैं। उसे हम मानते हैं और कार्यान्वित करना चाहते हैं, उस के लिये तत्पर रहते हैं और उसी के आधार पर मैं बोल भी रहा हूं और कहना चाहता हूं कि उन को अधिक से अधिक मौका दिया जाय। लेकिन मैंने यहां पर कम से कम रखा है। अधिक से अधिक की बात हमारे भाई राम स्वरूप वर्मा जी ने कही। हमारी घोषित नीति के अनुसार ६० प्रतिशत स्थान अगर उनके लिये न सुरक्षित किये जा सकें तो कम से कम जितने के वे अधिकारी हैं उतना हक तो उनको मिलना ही चाहिये ताकि उनके प्रतिनधि वहां पहुंच सकें और उनके द्वारा अन्य लोगों को चुने जाने में सुविधा मिल सके।

आज यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसको साधारण दृष्टि से देखा जाय। इसका मौलिक रूप से विरोध शुक्ल जी ने तथा दूसरे लोगों ने किया है। यह विरोध इसलिये होता है कि वे नहीं चाहते कि इन आयोगों और समितियों में अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि जा सकें और उनका चुनाव अच्छे ढंग से किया जा सके। वह सिद्धांततः चाहते हैं कि इन सारे सेवा आयोगों में उन्हीं लोगों का अधिपत्य हो कि जो उस जातिविशेष से नहीं आते। सरकार को नामजद करने का अधिकार है और उसे इसमें कोई बाधा नहीं है कि वह किन लोगों को चुने और नामजद करे। यदि ऐसे प्रस्तावों द्वारा हम उस पर जोर डालें कि इन आयोगों में उन के प्रतिनिधियों को पहुंचाया जाना चाहिये ताकि परिगणित जाति के लोग चुने जा सकें, तभी यह व्यवहारिक हो सकेगा और इसलिये इसको माना जाना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कदम उठाये। पिछली मर्तबा बजट अधिवेशन पर भाषण करते हुए गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारी इच्छा है कि हम पिछड़ी जातियों को अधिकाधिक मौका दें, चुने। यह सुन्दर-सुन्दर इच्छाएं जो प्रकट होती हैं वह पानी के बुलबुलों के समान होती है। देखने में सुन्दर लेकिन जरा सी हवा से टूट जाती हैं और उनमें कोई तथ्य नहीं होता।

जब हम किसी विभाग के बारे में एतराज करते हैं तो जवाब यही दिया जाता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। वे कर नहीं पाते इसके भी कारण हैं जो समितियां बनती हैं वे स्वयं इतनी कमजोर होती हैं किवे कुछ कर नहीं पातीं। यहां तक कहा जा सकता है कि उच्च अधिकारी जब चपरासियों की नियुक्तियां करते हैं उनमें भी बड़ा पक्षपात होता है और उनको नहीं रखा जाता है। वे समझते हैं कि अगर इस जाति के लोग आ जायेंगे तो उनके साथ उनको व्यवहार करना पड़ेगा जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव के जरिये हम उनके हाथों को बांधना चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे चुनाव की जो प्रणाली है वह भी बदल जाय।

मैं चाहता हूं कि मेरिट्स का स्टैंडर्ड रखा जाय। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा पिछड़ी हुई जाति को सुविधा दी जा सकती है और उन तरीकों को भी अपनाना चाहिये। लेकिन जैसा हमारी शिक्षा का तरीका है, जो हमारे समाज की दिक्कतें हैं, उनके साथ जो हमारे समाज का तरीका है, जब तक उसको नहीं बदला जायेगा तब तक यह समाज ऊपर नहीं उठ पायेगा। इन्हीं सब बातों के लिये यह प्रस्ताव रखा

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

गया है और इसे सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये। इससे ही उनको यह मौका मिल सकेगा और वे ऊपर उठ सकेंगे। उनकी उन्नति हो सकेगी। इन शब्दों के साथ में यह कहना चाहता हूं कि इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, एक समूह या मनुष्य का समुदाय हजारों वर्षों से पददलित रहा हो, यह दुर्भाग्य की बात है। हजारों वर्षों से वह अपने अधिकारों से वंचित रहा हो, हजारों वर्षों से वह मनुष्य मनुष्य की तरह से न बरता गया हो, और उस समुदाय में अगर व्याकुलता हो कि उनको ऐसे अवसर दिये जायं कि वे भी इस संसार में मनुष्य कहे जा सकें, तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के रहने वालों के लिये यह एक सामाजिक घोर कलंक की बात है कि भारतीय समाज के अन्दर ऐसे मनुष्य पैदा हों कि जिनको अछूत कहा जा सके। इस कलंक को मिटाना हमारे हरिजन भाइयों का कर्त्तव्य नहीं है, यह हमारा कर्त्तव्य है। जो अपने आपको द्विज कहते हैं, उनका यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इन जातियों को अपने बराबर लगाकर उनको उचित स्थान दें। इस दृष्टि को सामने रखते हुए अगर आज इस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं तो हमारे पददलित भाइयों को यह कहने का अवसर मिलेगा कि आज भारतीय समाज में मनुष्य सुलभ जो सहानुभूति एक दलित समुदाय के लिये होनी चाहिये थी, वह उड़ गयी है। किन्तु इसका दूसरा पहलू भी है और वह मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

आदरणीया, प्रश्न यह है कि चाहे मैं हूं और चाहे हमारे हरिजन भाई हों, अनुसूचित जातियां हों या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हों, हमें आज यह निश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत में रहने वाला है उसको प्रत्येक सुविधा दी जाय। और पिछड़े हुए को जरा सा ज्यादा सुविधा देकर, जरा सा हाथ लगाकर आगे बढ़ाया जाय, वहां अधिष्ठात्री महोदया, यह भी हमारा और हमारे हरिजन भाइयों और पिछड़े वर्ग का कर्तव्य हो जाता है या नहीं और एक महान कर्तव्य है कि नहीं कि हम देश के संचालन में देश की सेवाओं में अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को लें? हमारा कोई भी इस सदन में सदस्य नहीं होगा जो इच्छा यह रखता होगा कि चाहे कोई योग्य हों या अयोग्य हों, हम जाति-गत आधार पर यह सेवा कार्य करायेंगे फिर चाहे देश की उन्नति हो अथवा अवनति हो। हमें इस बात को भी अपने ध्यान में रखना है। तो प्रश्न यह आता है कि एक तरफ तो वह समुदाय है जो पद-दलित रहा है, जो कुचला गया है, एक तरफ उसकी मान और मर्यादा को ऊंचा उठाना है और दूसरी तरफ अपने देश में कार्यक्षमता स्थिति स्थापित करना है, यह मर्यादा स्थापित करना है कि यहां गुण और कर्म का यथोचित आदर होता है इन दोनों का समन्वय करना हमारा कर्तव्य हो जाता है।

आज से ८०—९० वर्ष पहले, अधिष्ठात्री महोदया, महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया वह आज हम अपने इस संविधान में पाते हैं। मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान विभिन्न अनुच्छेद जो संविधान में हैं उनकी तरफ आकर्षित करूंगा। पहला अनुच्छेद १५—

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

(व्यवधान) घबराइये नहीं वर्मा जी, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। और उसके साथ इसी अनुच्छेद के खंड ४ में कहते हैं—

"Nothing in this article or in clause 2 of article 229 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

निश्चित रूप से हमने दोनों अभी कही गयी स्थितियों का समन्वय करने का प्रयत्न किया है। यद्यपि किसी जाति या किसी विशेष धर्म के होते हुए हम किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करेंगे, लेकिन अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिये (व्यवधान) आप जरा सुनिये--- विशेष सुविधा दी जा सकती है। तो इसमें बैकवर्ड और अनुसूचित दोनों का उल्लेख है। अब मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान अनुच्छेद १६ की ओर दिलाना चाहता हूं :-

"There shall be equality of epportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State."

इसी अनुच्छेद १६ के खंड (४) में यह है :-

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

एक सदस्य---इसकी हिन्दी भी कर दीजिये।

श्री मदनमोहन ---हिन्दी की प्रति भी मेरे पास है उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि धारा १६ भी यही कहती है कि यद्यपि विधान के समक्ष सब समान हैं तो भी यह सम्भव हो सकता है कि राज्य सरकार उस समुदाय के लिये जो पिछड़ा हुआ है, नौकरियों के लिये विशेष व्यवस्था करे। अब मैं इस आदरणीय सदन के समक्ष अनुच्छेद ३३५ पढ़ना चाहता हूं :

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

इसके अतिरिक्त और भी अनुच्छेद हैं जिनमें यह प्रयत्न किया गया है कि हम किस प्रकार से बैकवर्ड, पिछड़ी हुई जातियों और अनुसूचित जातियों का उत्थान भी करें और उनको किस प्रकार के उस ढांचे में रखें कि जिस ढांचे में योग्यता को हम प्रशस्त कर सकें, प्रश्रय दे सकें। यह हमारा मन्तव्य इस संविधान में रहा है। मेरा ऐसा विचार है कि अगर इन दोनों बातों का हमें समन्वय करना है, तो फिर इस प्रकार का सुझाव, यह प्रस्ताव जो आज इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसको न आना चाहिये था। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जो चुनाव समितियां हों, किसी भी नौकरी के सम्बन्ध में, उसमें हमारे समूह का प्रतिनिधित्व हो। इसका मतलब क्या हुआ ?

जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि मनुष्य सुलभ निर्बलता यह है कि प्रायः वह अपनी जाति से प्रभावित हुआ करता है। अगर यह है तो क्या यह निर्बलता अनुसूचित या जो पिछड़ी हुई जातियों के प्रतिनिधियों में न होगी, उनको प्रभावित नहीं करेगी ? क्या हम यह समझ लें कि हमारे देश में सभी आदमी इतने पतित हैं कि जो जाति-पांति से ऊंचे नहीं उठ सकते ? क्या हम समझ लें कि हमारी पिछली पांच सौ वर्षों की पराधीनता ने हमें इतना कर्तव्य विमुख कर दिया है कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिल सकता जो निष्पक्ष होकर कोई राय दे सके ? और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस समय वर्मा जी का जो प्रस्ताव है कि उन लोगों का ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व आयोग में हो उसका मतलब क्या यह न होगा कि इसी विचार से प्रभावित होकर सिर्फ बैकवर्ड क्लासेज और सिर्फ अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को नौकरी मिलेगी ? क्या यह ठीक है ? क्या आप यह करने के लिये तैयार हैं ? मेरा यह नम्र निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। इसके द्वारा तो हम एक और कलंक अपने ऊपर लगा रहे हैं। इसके द्वारा तो दुनिया के सामने यह घोषित करना है कि हमें अपने में ऐसे आदमी नहीं मिले जो निष्पक्ष रूप से मनुष्य को मनुष्य समझ कर न्याय करने के लिये तैयार हों।

[श्री मदनमोहन]

मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि द्विज जातियों ने जो बर्ताव इन जातियों के प्रति किया है उससे इन्हें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि यह कलंक सारे समाज पर है लेकिन स्वतंत्र होने के बाद क्या जिन्होंने संविधान बनाया, उनके हृदय में आपके लिये स्थान नहीं था? क्या हम यह मान लें कि इस संविधान को व्यवहार में लाने के लिये आज भारतवर्ष के ४० करोड़ आदमियों में से कोई नहीं बचा? आप शान्तिपूर्वक विचार कीजिये। मैं नहीं कहता कि आप प्रस्ताव पर जोर न दें, लेकिन उसके लिये दूसरा तरीका यह है कि आप सरकार पर दबाव डालें, उसको विवश करें। आप कह सकते हैं कि अगर द्विज और पिछड़ी जातियों में बराबर की योग्यता हो तो हमें अनुसूचित और बैकवर्ड क्लासेज को पसन्द करना चाहिये। यह भी संभव हो सकता है कि आप यह कह दें कि अनुसूचित जातियों का १९ हो और दूसरी जाति का २० भी हो तो अनुसूचित जाति का ले लिया जाय। मगर आप यह नहीं कह सकते कि अगर अनुसूचित जाति का १० है और २० दूसरी जाति का है तो उस २० को न लेकर दस को ले लिया जाय। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप देश के लिये वफादार नहीं हैं। इसलिये आपको योग्यता को तो प्रश्रय देना ही होगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करता हूं कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम अपने देश में पिछड़ी हुई जाति किसको कहें। आज ब्राह्मण को देख लीजिये, वह भी भूखों मर रहा है, सड़कों पर फिर रहा है, घरों में चौके में बैठकर रोटी पकाता है। क्या यह भी सही नहीं है कि आज क्षत्रिय रिक्शा चला रहा है?

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—पाखाना तो नहीं कमा रहा है?

श्री मदनमोहन—मेरे मित्र कह रहे हैं कि पाखाना तो नहीं कमा रहा है। सिवाय बाल्मीकि के पाखाना तो कोई और भी नहीं कमाता है। चमार और पासियों में भी ऐसा नहीं है कि जो बैठकर आपस में बंधुत्व स्थापित करें। व्यक्तिगत रूप से मैं तो यह चाहता हूं कि यह पाखाना कमाने का तरीका ही बन्द कर देना चाहिये और हमारे यहां ऐसे बाथरूम्स बनने चाहिये जो फ्लश के हों। अन्त में मैं केवल इतना ही कहूंगा और यह मैं कोई द्वेष की भावना से नहीं कह रहा हूं सिर्फ ध्यान रखना है कि यह कहने को न हो जाय कि भारत में योग्यता नहीं देखी जाती सिर्फ जाति महत्वपूर्ण सेवाओं के हेतु देखी जाती है।

***श्री अब्दुलरऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, आज जो प्रस्तुत संकल्प है, उसके पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। कब्ल इसके कि मैं कुछ बोलूं, मैं माननीय वर्मा जी की स्पष्टवादिता के लिये उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चीज को माना कि संविधान में जो अख्तियारात या जो हुकूक दिये गये हैं पिछड़ी जाति के लोगों को या अनुसूचित जाति के लोगों को, उसको उन्होंने आज १२ साल के अन्दर नहीं पूरा किया। लेकिन मुझे तरस आता है उनकी इस वकालत पर कि उन्होंने इस चीज को यों पलट दिया जब कि यह संकल्प उनके सामने लाया गया कि वे यह कहने के लिये मजबूर हो गये कि उनको विश्वास नहीं है कि इससे उचित न्याय होगा। मैं यह कहता हूं कि वे अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि जिस तरह से १२ वर्ष तक उनके आदमियों ने जिस तरह से पिछले वर्ग के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है तो फिर वे क्यों नहीं मानते?

ईमानदारी से अगर देखें तो अगर समितियों में हमारे आदमी रखे जायेंगे, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग रखे जायेंगे तो उन्हें अभी से क्यों सभावना होने लगी कि वे पक्षपात करेंगे और पक्षपात से काम लेंगे। यह चीज इस बात को साबित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करती है कि संविधान को सिर्फ वे कागज में ही रहने देना चाहते हैं । यह एक चीज ऐसी है जिससे पिछड़े जाति के लोग और अनुसूचित जाति के लोग व्याकुल हो गये हैं । माननीया, यह एक बहुत बड़ा अन्याय है जो संविधान में अन्तर किया जाता है । मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि यह देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है । जो अख्तियारात संविधान के द्वारा हमको मिले हैं वे अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने चाहिये परन्तु उनका अपहरण हो रहा है ।

माननीय वर्मा जी ने बड़ी सफाई के साथ यह वकालत की कि यह बड़ा गलत काम हो जायगा अगर अयोग्य आदमियों को योग्य जगहों पर रख दिया जायगा । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसी सदन में हमारे बीसों सवालों के जवाब मंत्रीपक्ष से आये हैं जिसमें बतलाया गया है कि चपरासी भी नहीं रखे गये, सिपाही भी नहीं रखे गये तो क्या वे इसलिये नहीं रखे गये कि इनके लिये अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के लोगों की कोई दरख्वास्त ही नहीं आयी थी ? मैं समझता हूं कि उनके साथ बिलकुल अन्याय होता है । सीधे सीधे इस संकल्प के द्वारा यह चीज मांगी गयी है कि समितियों में परसेंटेज के मुताबिक हमारा प्रतिनिधित्व रहे, तो यह कोई अन्याय नहीं है बल्कि यह संकल्प बहुत ही उचित ढंग से आया है । मैं इसके लिये माननीय यादव जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से इसको हमारे सामने रखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ट्रेजरी बैंच के लोग भी इसके साथ सहानुभूति दिखलावेंगे और इस संकल्प को जरूर पास कर देंगे ।

इसमें सैद्धान्तिक चीज जो कुछ है वह तो अपनी जगह पर है । सबसे बड़ी चीज यह है कि संविधान द्वारा जो अख्तियारात दिये हुए हैं और जिनका बार-बार एलान हुआ है, उनका अपहरण हो रहा है । इस संकल्प को मंजूर करने के बाद ही संविधान में दी हुई उन धाराओं की पूर्ति होगी । मैं नहीं समझता कि कहीं भी कोई शख्स इस चीज का विरोध करेगा या किसी की ऐसी इच्छा न हो कि खासतौर से योग्य व्यक्ति ही रखे जायं । अभी इसी आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके जिले के एक एम० ए० लड़के ने एक जगह के लिये दरख्वास्त दी जो कि इम्तहान में फर्स्ट डिवीजन आया था लेकिन फिर भी उसके लिये कोई आक्षेप लगा कर उसे नहीं रखा गया । तो माननीया, इस तरह की एक नहीं हजारों मिसालें मिल सकती हैं कि सवर्ण अधिकारियों द्वारा एप्वाइंटमेंट में पक्षपात बरता जाता है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है । इसको छिपाना सूरज पर धूल झोंकना होगा और आसमान पर थूकने के मुताबिक होगा ।

आदरणीया, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि सवर्ण लोगों ने १२ वर्ष तक सेवा चुनाव समितियों के अन्दर रह कर जो कुछ किया है वही हम भी करेंगे । हमें इस देश से प्रेम है, इस देश के हर दर्जे से प्रेम है, हम इस देश को बराबर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अयोग्य आदमी को कभी लेने की कोशिश नहीं करेंगे । इससे नहीं घबराना चाहिये कि जितना परसेंटेज उनका है वह उनको दिया जाय । इस संकल्प की मंजूरी के बाद इसमें यह बात कहां से आती है कि इसके अनुसार जो कमीशन या समितियां बनेंगी उनमें वह मनमाने ढंग से शरीक हो जायंगे । आखिर उन को बनायेगी और भेजेगी तो सरकार ही, उस का फर्ज होगा कि वह योग्य और अच्छे आदमियों को भेजे, हमारी मांग तो केवल इतनी ही है कि उन स्थानों पर हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये ताकि वहां जो पक्षपात होता है वह रुक जाय । माननीय वर्मा जी ने कहा कि वहां पक्षपात नहीं बरता जाता, वैसे तो हम जरा देर को मान लें कि वहां पक्षपात नहीं बरता जाता लेकिन उनके इतना मान लेने में क्या हर्ज है कि उन

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

का भी प्रतिनिधित्व वहां रहे और अगर उनको इस में परेशानी है तो इसी से यह बात साबित है कि आज तक वहां पर पक्षपात होता रहा है और मनमानेपन काम हुये हैं और बराबर पिछड़े वर्ग अवहेलित होते रहे हैं और उनके साथ अन्याय होता रहा है ।

माननीया, आप देखेंगी कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिये जो प्रतिशत रखा गया है वह पूरा नहीं किया जाता। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है लेकिन दशा यह है कि आप देखें कि बहुत से ऐसे विभाग हैं कि जो आजादी के बाद यहां कायम हुये हैं और इसी सरकार ने उन्हें कायम किया जबकि संविधान लागू हो चुका था । लेकिन जब प्रश्न होते हैं तो पता लगता है कि उन विभागों में भी इन जातियों का प्रतिशत केवल ०–२–५ ही आता है जिस से साबित है कि १८ प्रतिशत कहीं भी अनुसूचित जातियों के लोग नहीं रखे जाते हैं । आज वर्मा जी ने कहा कि पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के लोग कुछ व्याकुल नजर आ रहे हैं, व्याकुलता की कोई बात नहीं है । मैं उनसे कहूंगा कि अगर हजारों वर्ष से अवहेलित वर्ग हमेशा से ठुकराये गये आदमियों को हकूक नहीं मिलते तो वह व्याकुल न होंगें तो और क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि अगर कोई भूखा प्यासा आदमी अपने घर पहुंच जाय और उसके सामने चौके में थाली में भोजन और ठंडा पानी आ जाय एक गिलास में और फिर भी वह उस को खा पी न सके तो उस की व्याकुलता का अन्दाजा आप लगा सकते हैं, उतनी ही व्याकुल आज यह अनुसूचित और पिछड़ी जातियां हैं ।

उनको संविधान में जो हक दिया गया है उसे बीच में न रोका जाय वह मिलना चाहिये, उनके लिये एक उचित चीज संविधान ने दी लेकिन फिर भी उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है । जो कोटा उन्हें मिला है, वह नहीं मिल रहा है और बार बार जवाब मिल जाता है कि यह कमी है, वह कमी है। मैं कदाचित यह नहीं मान सकता कि वह उसके लिये अयोग्य हैं पिछड़े वर्ग के योग्य लोग मौजूद रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग मौजूद रहते हैं लेकिन एक धारणा अधिकारी वर्ग के दिमाग में काम कर रही है जिसके कारण आज उनकी अवहेलना हो रही है ।

अधिकारी लोग चपरासियों से घर का काम कराते हैं, खाने पीने की मजबूरियों की वजह से हालांकि वह खुद तो सबके हाथ का खाते हैं लेकिन श्रीमती जी चप्पल लेकर तैयार रहती हैं इसलिये वह लोग चाहते हैं कि ऐसे आदमी मिलें कि जो घर के अन्दर का काम कर सकें और फिर इन जातियों को कैसे रखें ? यह आज कोई नहीं कह सकता कि चपरासी भी योग्य नहीं मिलते । इन जातियों में, आज बी० ए०, एम० ए० पास रिक्शा खींच रहे हैं । गोरखपुर में बी० ए० पास लड़का रिक्शा खींचता है, यह हमारे लिये शर्म की चीज है कि हम केवल यह कह दें कि बड़ा अनुचित हो जाएगा, देश के लिये बड़ा अहित हो जाएगा कि हम अयोग्य आदमी को रख लेंगे ।

इस संकल्प में यह बात कहां है कि अयोग्य को रख लेंगे ? हम तो यह चाहते हैं कि ऐसा कायदा बना दिया जाय कि जो समितियां या कमीशन चुनाव करें उनमें हमारा भी प्रतिनिधित्व रहे । चुनेंगे आप, उचित और निष्पक्ष आदमी को चुनकर उसमें रखें । अगर आपका विश्वास है कि आज तक का बना हुआ कमीशन निष्पक्ष रूप से काम करता रहा है है तो क्या कारण है कि इस संकल्प से आप इस तरह से भड़क रहे हैं ? इससे साबित होता है कि आप इस दबे हुए वर्ग के हक को छीनने के लिये तुले हुए हैं और १२ वर्ष से छीनते जा रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि आज हम मांग करते हैं तो आप भड़क रहे हैं । यह कोई अनुचित चीज नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और आदर-

णीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसको जरूर मंजूर कर लिया जाय । इससे बहुत बड़ा भला होगा, देश के साथ वफादारी होगी, संविधान के मानने का जो करार किया है उसकी पूर्ति होगी और आपका भला होगा ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अगर आप कृपा करके सरकार के यानी केबिनेट के किसी सदस्य को बोलने का मौका देतीं तो पता लगता कि सरकार का क्या रुख है । उससे बहस में हमको आसानी पड़ती । ऐसा न हो कि सरकार बाद में इसको मान ले और सारी बहस में समय का दुरुपयोग सा मालूम हो । इस बात का जरा ध्यान रखें ।

श्री अधिष्ठाता—उनको अधिकार है, बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

***श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं माननीय रामवचन यादव के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । साथ ही मैं सदन के माननीय सदस्यों से और विशेषकर उनसे जिनको कि इसके संबंध में कुछ आशंकाएं हैं कुछ विनम्र निवेदन करना चाहता हूं ।

यह प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य सेवा चुनाव समितियों में हरिजनों और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में है । यह बहुत सरल सा प्रस्ताव है और मैं समझता हूं कि बहुत उचित है । पहली बात यह है कि यह प्रस्ताव क्यों उठता है ? इस प्रस्ताव के पीछे नौकरियों में प्रतिनिधित्व न होने की वजह है और यह बात सदन के सम्मुख बार-बार आती रही है । स्वयं सरकार भी और केन्द्रीय सरकार भी यह समझती है कि हरिजन और पिछड़े हुए लोगों की जाति का प्रतिनिधित्व सही रूप से सरकारी नौकरियों में नहीं हो रहा है । केन्द्रीय सरकार ने जब इस प्रश्न को समझा तो उन्होंने केन्द्र के आयोग के अन्दर एक हरिजन सदस्य को रखा । हमारे प्रदेश की सरकार भी अगर इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की नकल करे तो मैं समझता हूं कि वह कदम उचित होगा ।

कुछ योग्यता की और कुछ इस तरह की चर्चा लोग किया करते हैं । मैं नहीं जानता कि यह जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें कोई इम्तहान तो होता नहीं, सनद का खयाल नहीं किया जाता, किसी प्रकार की योग्यता का सवाल नहीं, नामजदगी होती है सरकार की तरफ से । योग्यता की बात इसमें नहीं आती । फिर भी, जो कमीशन हमारा आज तक रहा है उसने हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया, इस चीज को हमारी सरकार ने स्वयं माना है और अगर सरकार स्वयं न मानती तो एक समिति जो अभी बैठी है इस बात की जांच करने के लिये कि सरकारी नौकरियों में हरिजन और पिछड़े हुए लोगों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, इसके कारणों की जानकारी वह कमेटी करे, और वह कमेटी अपना काम चालू किये हुए है । उसकी रिपोर्ट इस सदन के सम्मुख आयेगी । मैं समझता हूं कि वह कमेटी जहां और कारण लिखे अपनी रिपोर्ट में पहला मूल कारण यह शायद हो कि सर्विस कमीशन जितने हैं उनमें इन लोगों का प्रतिनिधित्व रखा जाय । इन बातों से यह सिद्ध है, सरकार स्वयं यह महसूस करती है कि नौकरियों में इन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है । जब सरकार कमेटी बैठाती है तो फिर यह उचित ही है कि हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व चुनाव आयोग तथा चुनाव समितियों में होना अवश्य चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामचन्द्र विकल]

हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी एक कमीशन बैठाया था ५४–५५ में। सारे देश का उसने भ्रमण किया। लाखों रुपये उस पर खर्च हुए। उसने देश में जिले जिले घूम कर हर प्रकार के लोगों से मिल कर यह सिफारिश की है कि नौकरियों में प्रथम श्रेणी की नौकरियों में २५ प्रतिशत रिजर्वेशन किया जाय बैकवर्ड क्लासेज के लिये, अनुसूचित जातियों को छोड़ कर। द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में ३३ १/३ प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी की नौकरियों में ४० प्रतिशत रिजर्वेशन हो। काका कालेलकर की अध्यक्षता में यह कमीशन बैठा था और उसकी यह सिफारिश है। तो इस कमीशन की राय सही है और सरकार का बैठाया हुआ जब यह कमीशन है तो उसकी सिफारिश की अवहेलना नहीं करना चाहिये। अच्छा तो यह होता कि उस कमीशन की रिपोर्ट सरकार पार्लियामेंट के अन्दर तथा सारे देश की विधान सभाओं के अन्दर विचार के लिये रखती और फिर वे उन पर विचार करती तथा आवश्यकता होने पर संशोधन करती। लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार न होना और फिर यहां आये दिन सवाल उठना कुछ उचित नहीं है। हमारी सरकार को उस कमीशन की राय पर ध्यान देना चाहिये।

यह बात सही है कि हमको कायदे कानून की बात भी देखना है। मैंने तो कई एक सदस्यों के भाषण सुने वे बहुत कुछ उपदेश की बात करते थे कि पक्षपात होगा या पक्षपात नहीं होगा। लेकिन अगर यह सरकार दिल से यह सोचती है या कोई व्यक्ति यह सोचता है कि न्याय कर रहे हैं नौकरी देने में तो फिर कोई कमीशन न बैठे, कोई रिजर्वेशन न दिया जाय। लेकिन जब तक यह सिद्ध है कि नौकरियों में हम न्याय उनको नहीं देते तब तक यह कह देना कि इससे बड़ा खतरा नजर आता है देश के लिये तो उस खतरे की आवाज को उठा कर यह चीज हल नहीं की जा सकती।

मैं तो समझता हूं कि यह आर्थिक प्रश्न है लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिये देश में संकट आने की बात कही जाती है। जिनकी यह मांग है उनकी मांग से देश में संकट आयेगा तो ये लोग संकट के बहाने लोगों की मांग को रोकना चाहते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। यह उनकी उचित मांग है और अगर कोई न माने तो मैं समझता हूं कि लोगों को उस मांग को मनवाना चाहिये। जो संकट की बात करते हैं वह सही राय नहीं है, बल्कि मैं फिर कहता हूं कि मांग न मान कर वे संकट लाना चाहते हैं देश में।

मैं बहुत अदब से सरकार से कहूंगा कि जो बहुत हल्का सा यह प्रस्ताव है। कमीशन की रिपोर्ट का मैंने थोड़ा सा हवाला दिया और मुझे आशा है कि अन्य सदस्यों ने भी इस रिपोर्ट को पढ़ा होगा और मैंने एक उदाहरण यह भी दिया कि जिस कमीशन में आज तक कोई इम्तहान नहीं होता, यदि एक भी हमारा आदमी वहां भेज दिया गया होता तो यह सवाल सदन के सामने नहीं आता। यदि हमारी सरकार चाहती है कि यह सवाल समस्या के रूप में न बना रहे तो मैं यह उचित समझता हूं कि सरकार को इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिये और केवल मान ही नहीं लेना चाहिये बल्कि इसको अमली रूप देना चाहिये और जब सरकार इसको अमली रूप देगी तो इसका बहुत बड़ा अंश खत्म हो जायगा। फिर न देश में कोई समस्या रह जायगी। न कोई खतरा रह जायगा बल्कि सब खतरों से मामला दूर हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)— आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं श्री रामवचन यादव द्वारा प्रस्तावित संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि इतने दिनों से प्रयास करने के बाद आज यह संकल्प सदन में प्रस्तुत हुआ और इसके समर्थन का हमें अवसर प्राप्त हुआ। यह संकल्प अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध प्रांत की ८५ प्रतिशत ऐसी जनता से है जो सामाजिक, आर्थिक और

राजनीतिक, तीनों दिशा में पिछड़ी हुई है। पिछड़ापन आज का नहीं बल्कि हजारों वर्ष का है। यदि उन कारणों पर सत्यता के साथ प्रकाश डाला जाय तो मुझे आशंका है कि सदन का वातावरण क्षुब्ध हो जायगा। जैसा कि आपके आसीन होने से पहले देखने में आया था और बहुत से व्यक्ति (मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं) जो दूसरों का हिस्सा लेकर खाने में अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं, उनमें आवेश की लहर दौड़ने लगी थी। लेकिन मैं समझता हूं कि यह हमारी उचित मांग है। मुझे इस विषय में बहुत सी बातें कहनी थीं। लेकिन मेरा बहुत सा बोझ श्री रामस्वरूप वर्मा ने हल्का कर दिया, उन्होंने बहुत सी बातें कह डालीं।

मैं आपके द्वारा पिछड़े वर्ग की कथा से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। यह पिछड़ापन हमारे प्राचीन शासकों द्वारा या आर्य ऋषियों द्वारा या सनातन धर्मियों द्वारा फैलाया गया था। जैसा कि माननीय वर्मा जी ने कहा था आर्यों के भारत में आने के बाद उन्हों ने वर्णव्यवस्था स्थापित की और चार वर्ण बनाये अपने अपने कर्म और कृत्य के अनुसार। शनैः शनैः आगे चलकर हमारे देश में सैकड़ों जातियां बन गईं। १९५४–५५ में जब बैकवर्ड क्लास कमीशन ने सारे देश का दौरा किया और वस्तु स्थिति के अनुसार उसने हमारे समाज को तीन बड़े-बड़े वर्गों में विभाजित किया। (१) सवर्ण वर्ग, (२) पिछड़ा वर्ग तथा (३) हरिजन वर्ग। इतिहास से ज्ञात होता है कि सवर्ण लोग ही सदैव से शासन करते आये हैं और उन्हों ने वह दो युक्तियां अपनायीं जिससे जो वर्ग दबा हुआ है वह निरन्तर दबा रहे और अपना वर्ग सदैव उठा रहे। इसकी तमाम बातें आज देखने में आ रही हैं। यही कारण है कि देश में सदैव एक जलन की धारा बहती रही, देश संगठित नहीं हो सका और बाहर के देशों को यह अवसर मिला कि वह हमारे देश पर छापा मारें और हुकूमत करें। मैं निस्संदेह यह कहना चाहता हूं कि अगर यही जातिवाद रही और यही ज्वाला जो आज धधक रही है इसका अन्त नहीं किया गया तो फिर कहीं वह दुर्दिन देखने में न आये कि जब हमारा स्वतन्त्र देश फिर किसी के पंजे में पड़ जाये।

अभी-अभी यह कहा गया कि यह दुर्गन्ध जो देश में इतने दिनों से आ रही है उसको दूर करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये? सब बातों को छोड़ते हुये जिस सम्बन्ध में यह संकल्प लाया गया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जैसी यादव जी की संकल्प में मांग है कि लोक सेवा आयोग, चुनाव बोर्डों और चुनाव समितियों में पिछड़ी जातियों और हरिजनों का प्रतिनिधित्व रखा जाय, अन्ततोगत्वा उसका कारण क्या है? प्रत्येक बात का कुछ न कुछ कारण हुआ करता है। कारण यह है कि चूंकि आज सरकारी नौकरियों में अधिकारी हो या निम्न वर्ग के कर्मचारी हों एक, दो फीसदी से अधिक प्रतिनिधित्व पिछड़ी जातियों और हरिजनों का नहीं है। इसी कारण इस संकल्प को लाने की आवश्यकता हुई।

हमारे माननीय मदन मोहन वर्मा जी ने अभी कहा कि चुनाव समितियों पर विश्वास करना चाहिये क्या ४० करोड़ आदमियों में कोई नहीं है, जिस पर विश्वास किया जा सके? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वे इस समय सदन में नहीं हैं, कि ५ हजार वर्षों से यह विश्वासपात्र कहां थे। हम कहां तक विश्वास करें। हमारी जनतंत्रीय सरकार ने तथा हमारे पिछले राजाओं ने कभी भी अपने को विश्वासपात्र होने का प्रमाण नहीं दिया। और न हमें कोई ऐसा अवसर दिया। फिर हम उनका कैसे विश्वास कर सकते हैं। अब तक लोक सेवा आयोग में सब सवर्ण क्लास के सदस्य रहे। अब सरकार को चाहिये कि वह सब के सब हटा दिये जायं और हम लोगों को अवसर दे कर देखें। अगर सरकार यह कहे कि हम सब अयोग्य हैं तो जब यह अयोग्यों का देश ही है क्योंकि ८५ फीसदी से अधिक आबादी इन्हीं लोगों की है तो फिर अयोग्य लोग ही तो शासन करेंगे। अब हम लोगों में चेतना आ गई है, सरकार को यह जान लेना चाहिये।

माननीया, मैं आप के द्वारा सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जब हमारा भ्रम है, चाहे वह सही हो या गलत, लेकिन भ्रम हमारा सच्चा इसलिये है कि अब तक सरकारी नौकरियों में

[श्री रघुवीरसिंह]

हमारा कोई स्थान नहीं है, तो हमारे भ्रम को दूर करने के लिये जैसा कि संकल्प में कहा गया है लोक सेवा आयोग, चुनाव समितियों और चुनाव बोर्डों में पिछड़े वर्ग और हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और वह प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात से होना चाहिये जैसा कि संशोधन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से रखा गया है। दूसरी बात इसमें यह है कि पिछड़ेपन की दृष्टि से योग्यता और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हमें छूट मिलनी चाहिये क्योंकि जब हम पिछड़े हुये हैं इसलिये हमारी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, हम योग्य नहीं हो पाते हैं। तीसरी बात है कि संख्या के अनुपात से पिछड़े वर्ग को ५५ फीसदी और हरिजन वर्ग को २५ फीसदी सरकारी नौकरियों में स्थान मिलना चाहिये। आज हरिजन वर्ग के लिये १८ फीसदी का संरक्षण सरकार ने कर रखा है लेकिन क्या सरकार यह कह सकती है कि इसका आधा भी संरक्षण उसने कहीं करके दिखाया। इसलिये इनका कौन विश्वास कर सकता है। शिक्षा की सुविधा देने के लिये छात्रवृत्तियों और अन्य सुविधाओं को देने वाली संस्थाओं में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग को नियुक्त किया जाय जिससे कि यह सुविधायें इन वर्गों को सुचारु रूप से मिल सकें।

हमारे दो एक माननीय सदस्यों ने अभी कहा और शायद आगे भी कुछ लोग कहें कि पिछड़ापन आर्थिक दशा के ऊपर निर्भर करता है, यह नहीं कि जाति के ऊपर निर्भर हो। मैं आपके द्वारा सदन को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम यह कब कहते हैं कि आर्थिक दशा के ऊपर पिछड़ापन नहीं निर्भर करता है। जितने फीसदी हम बैकवर्ड लोग हैं, हरिजन भाई हैं, सवर्ण लोग हैं सरकार को चाहिये कि तमाम प्रदेश का सर्वे कराये और वह स्थान ऐसे लोगों को दिये जायं जो कि गरीब हैं। लेकिन ऐसा न हो कि इस आड़ में सवर्ण लोग शिकार खेलें? जैसे कि कुछ धनी सवर्ण के नाम से स्थान ग्रहण करते रहे, और कुछ निर्धन सवर्ण पिछड़े वर्ग के नाम से इस प्रकार पिछड़े लोगों को मिलने वाले स्थानों पर कब्जा कर लें जिस प्रकार सेंट परसेंट जगहें हमेशा से हथियाये हुये हैं, उसी प्रकार हथियाने की कोशिश करें। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि पिछड़ापन अगर आर्थिक दशा के आधार पर आंका जाता है तो २० फीसदी स्थान सवर्णों के लिये ५५ फीसदी स्थान पिछड़े वर्ग के लिये और २५ फीसदी स्थान हरिजनों के लिये रखे जायें। फिर इन वर्गों में जो गरीब हों उनको स्थान दिये जायं और जो उनके पात्र न हों न दिये जायं।

सरकार को यह भी समझ लेना चाहिये कि केवल सवर्ण क्लास के बल पर ही यह सरकार बनी हुई नहीं बैठी है। उनको याद होना चाहिये, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त पहली मिनिस्ट्री कायम हुई हमारी रूलिंग पार्टी ने जिस किसी भी जाति के व्यक्ति को अपना टिकट दिया, जनता ने उसको अपनाया, क्या लकड़ी को भी जिता कर नहीं दिखाया? लेकिन अब हमने देख लिया कि जातिवाद और भाई भतीजावाद का नंगा नाच हो रहा है तो हमारे अन्दर भी एक जाग्रति पैदा हुई। अगर सच पूछा जाय तो जो लोग आज कहते हैं कि जाति-पांति की बात नहीं कहनी चाहिये, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जाति-पांति की बात उन्हीं की रूलिंग पार्टी की तरफ से आई। मैं रूलिंग पार्टी के सब सदस्यों को सम्मिलित नहीं करना चाहता, बल्कि उन लोगों की तरफ से आयी जो आज उस पार्टी के कर्णधार हैं। उन्होंने जातीयता को फैलाया जिससे हमारे समाज में भी यह भावना पैदा हुई कि हम भी जाति की तरफ देखें।

आज रूलिंग पार्टी में पिछड़ी जाति के जितने सदस्य गिनने में आते हैं उससे दूने इधर मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने बैकवर्ड को टिकट नहीं दिया, इसलिये पिछड़े लोग विरोधी दल की तरफ से लड़ कर जीते। इससे यह स्पष्ट है कि हमारी जनता रूलिंग पार्टी पर अब उतना विश्वास नहीं करती जितना पहले करती थी। सन् ६२ में यह और भी समझ में आ जायगा। जितनी हमारी उपेक्षा हो रही है, उसका नतीजा समझ में आ जायगा।

अब मैं आपके द्वारा यह भी कहना चाहता हूं कि क्या इस सदन का कोई माननीय सदस्य यह नहीं जानता है कि आपत्तियां उठायी जाती हैं हम लोगों की उपेक्षा की जाती है, हम लोगों

को दलित बनाया जाता है, और एक सब से अचम्भे की बात यह है कि जितना ही पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग ने सवर्ण वर्ग का आदर किया, सम्मान किया और सेवा की, उसके बदले में सवर्ण वर्ग ने उतना ही बहिष्कार और तिरस्कार किया। क्या यह लज्जा की बात नहीं है? आज हम लोगों को रोष आता है, खून उबलता है, जिस समय हम पिछला इतिहास देखते हैं कि हम ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। इसलिये मैं सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार अब यह न सोचे कि हम जो कुछ करेंगे, वह होगा। इस वजह से नहीं होगा कि लोगों के दिमाग में वह बात आ गयी है, जो उन्होंने चरमसीमा तक पहुंचा दी। किसी हद तक खाते और सताते तब तक नहीं मालूम होता, हमारे बदन में सिरिंज लगा कर खून तक निकाला गया है। हमारे खून के इंजेक्शन उनके शरीर में लगाये जाते हैं। हमारे बच्चों का खून खरीदा जाता है और सवर्ण के बच्चों में लगाया जाता है। वैसे बड़ी छुआछूत है। हमारे घर में रोटी नहीं खायेंगे, पानी नहीं पिएगें, क्योंकि बदनामी हो जायगी। समाज में गिर जायेंगे।

पिछले साल सदन में कुछ चर्चा हो रही थी तो हमारे एक हरिजन भाई ने एक बात कही जो मुझे खटक गयी थी। उसका मैं आज इसलिये जवाब देना चाहता हूं कि उस दिन मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला था। इसलिये उस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी जो बात सुझाई गई थी वह शासनकर्ताओं के इशारे से सुझाई गई थी। वह यह है कि हमारे एक हरिजन मित्र ने यह कहा था कि अब हमारी उपेक्षा जितना पिछड़ा वर्ग करता है उतना सवर्ण वर्ग नहीं करता। ऐसे माननीय सदस्यों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वह समझ लें कि उनकी उपेक्षा उन्हीं धर्मशास्त्रों के आधार पर हुई जिनसे कि आज तक उनको दलित किया गया। क्या वह धर्म शास्त्र पिछड़े वर्ग ने बनाये थे? उनको यह बात समझना चाहिये। उनके साथ छुआछूत का जो भी बर्त्ताव किया गया वह क्या पिछड़े वर्ग ने किया? उनको मन्दिरों आदि में घुसने देने की आज्ञा न देना क्या पिछड़े वर्ग का काम था? उनको इस बात को समझ करके सोचना चाहिये और ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे आपस में द्वेष बढ़े। इन शब्दों के साथ, इन तर्कों और प्रमाणों के साथ मैं इस प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। आज की जैसी स्थिति है उसमें यह बहुत आवश्यक है कि पिछड़े हुए और हरिजन भाइयों के प्रतिनिधि सरकारी नौकरियों की समितियों में रखे जायं क्योंकि आज का जो समाज है उसको अगर आप देखें तो आपको यह प्रतीत होगा कि जो पिछड़ा हुआ समाज है वह दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। यह कोई निजी बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अगर आप देखें तो आज प्रदेश ही नहीं सारा हिन्दुस्तान ही इस आवाज को बुलन्द कर रहा है। यह इसलिये कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए समाज को देखना पसन्द नहीं करते हैं।

महात्मा गांधी ने इसी लिये किसी दिन कहा था कि मैं तो राष्ट्रपति की जगह पर एक हरिजन कन्या को देखना चाहता हूं। उसका तात्पर्य यही था कि आज हिन्दुस्तान में जो लोग पीछे हैं वह ऊपर उठ जायं। गांधी जी ने यह भी बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जिस तरह से मलका विक्टोरिया ने हिन्दुस्तान का राज्य किया था, वह कोई बहुत बड़ी बुद्धिमान रही हों, ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थीं और न ही कोई सनद शायद उनके पास रही हो, लेकिन इंग्लैन्ड के लोगों ने मलका विक्टोरिया को राज्य करने का मौका दिया। उनके सलाहकार बहुत अच्छे व्यक्ति थे और इसलिये गांधी जी ने कहा था कि इनको शासन करने का मौका दिया जाय और उनके साथ अच्छे सलाहकार हों, उनके साथ और लोग हों,

[श्री प्रभुदयाल]

जिनके सहारे वह राज्य करेंगे। इसलिये जो मेरे भाई या माननीय सदस्य राज्य सरकार से यह कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में या दूसरी समितियों में पिछड़े लोगों को और हरिजन भाइयों को मौका दिया जाय तो वह कोई अनुचित बात नहीं है। भारतीय संविधान में इस बात को बहुत साफ तौर से कहा गया है कि जो पीछे हैं, जो गिरे हुये हैं, उन्हें हर काम को करने का मौका दिया जाय।

अगर आप देखें तो वह आज सर्विसेज में वे बहुत पीछे हैं। उनकी संख्या नहीं के बराबर है। इसलिये इस प्रस्ताव को आज लाने की आवश्यकता पड़ गई है कि प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार भी इस बात को देखें। ऊपर के लोग देख रहे हैं, इस प्रदेश की सरकार भी देख रही है। लेकिन जिस तेजी के साथ हमें देखना है उसकी तरफ, जितनी निगाह आज प्रदेश की सरकार को ले जानी चाहिये, सरकार उसमें पीछे नहीं है, मगर जिनके कन्धों पर इस जुम्मेदारी को रखा जाता है कि पिछड़ी जाति के लोगों को मौका दें या हरिजनों को १८ प्रतिशत मौका दें वह पूरी तवज्जेह नहीं दे रहे हैं।

आप कहते हैं कि १८ प्रतिशत नहीं मिलते। लेकिन मैं आप से पूछता हूं कि चपरासी के लिये किस योग्यता की आवश्यकता होती है, कौन से दर्जे की पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होती है जो उनमें भी उनको नहीं रखा जाता? जैसा कि अभी लारी साहब ने फरमाया था जो इंस्पेक्टर होते हैं या और अधिकारी होते हैं वह उनमें पहले देख लेते हैं कि कौन हमारा खाना पकाने के लिये और और काम करने के लिये उपयुक्त है जिसमें कि बाहर के काम करने की और घर के काम करने की भी योग्यता है, यह देखकर तब नौकरी देते हैं। जहां इसमें कमी पाते हैं वहां उनको नहीं रखते हैं। कह देते हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे प्रतिनिधि सरकार में जायं।

आज जिस तरह से हमारे मिनिस्टरों को सलाह देने के लिये अच्छे एडवाइजर होते हैं, बहुत से अफसर होते हैं, बहुत से कमरों के सामने उनके बोर्ड लगे हुये हैं, भिन्न प्रकार के सलाहकार होते हैं तो उसी तरह से अगर हमारे एडवाइजर भी सलाह देने के लिये उसमें मेम्बर हो जायं तो यह एक अच्छी ही बात है। यह नहीं कि कोई ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, मुझे उनसे घृणा नहीं है परन्तु हम यह चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय संविधान कहता है कि सब लोग बराबर बैठें तो अगर वहां पर एक हरिजन भाई बैठ जाय, कोई हरिजन भाई वहां बैठ जाय तो इससे क्या संघर्ष होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इससे जातिवाद पैदा होगा। और एक वर्ग संघर्ष खड़ा हो जायगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज तक कहीं कोई वर्ग संघर्ष नहीं हुआ।

इस प्रदेश में पिछड़ी जातियां लगभग ६०, ६५ फीसदी के हैं लेकिन उन्होंने कहीं पर कोई विप्लव नहीं किया है और न कहीं पर कोई संघर्ष कर रही है और न कर सकती है। वे तो आपके साथ कदम मिला कर चलना चाहती हैं। विप्लव तो वही कर सकता है जिसमें काम करने की ताकत हो लेकिन वह क्या विद्रोह करे। यदि वह कोई संघर्ष कर भी सकती है तो भी नहीं कर पाती हैं। आप अगर १९२१ से देखें तो जितने भी सत्याग्रह हुये हैं देश की आजादी के लिये उनमें इस वर्ग ने सब से अधिक कुरबानी की है। यही लोग अधिक जेल गये हैं। भारत में जो राष्ट्रीयता का इतिहास है उसको अगर आप देखें तो इस जाति के लोगों को बहुत अधिक कुरबानी मिलेगी। इसलिये यह कहना कि यह साम्प्रदायिकता को उभारने वाली बात होगी, उचित नहीं है। यह तो एक मामूली सी बात है। इससे बहुत बड़ी देश में क्रान्ति हो जाय या बहुत बड़ा उनका आर्थिक सुधार हो जाय ऐसी बात नहीं है।

मध्यम श्रेणी के ढंग की जो आज देश में मांग है वह इस प्रस्ताव में निहित है। इस से बहुत बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन पिछड़े वर्ग में हो जाय, हरिजनों में हो जाय ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज व्यवस्था है उसको देखते हुये इस बात को महसूस किया जा रहा है कि उसमें हमारे लोगों को मौका दिया जाय। इससे प्रदेशीय सरकार को कोई अड़चन महसूस

नहीं होनी चाहिये इसलिये मैं इस प्रस्ताव का तहेदिल से स्वागत करता हूं। ऐसा करके हम भारतीय संविधान की मन्शा के करीब पहुंचेंगे और हर एक को थोड़ा-बहुत मौका मिलेगा यह कहने का कि हमारे भाई वहां पर मौजूद हैं और कोई अन्याय नहीं हो रहा है। आज बराबर इस बात की चर्चा की जाती है कि हमें सर्विसेज में मौका नहीं दिया जाता है, हमारा उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रकार जो बराबर चर्चा की जाती है और एक प्रकार से शिकायत होती है वह चीजें दूर हो जायंगी।

अंग्रेजों के वक्त में बहुत से लोगों को इस स्टेट में मौका मिला है तो उससे कोई बहुत क्रान्तिकारी बात नहीं कर पाये हैं। वह एक तरह से कहने के लिये मौका देने की बात थी। कहने से कोई मौका नहीं मिलता है। उसमें लोगों को जाने का मौका नहीं दिया तो इस वजह से काम नहीं हुआ है। इसलिए अगर यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ लोगों को जाने दें तो उससे जो आलोचना हो रही है वह बन्द हो सकती है। इसलिये आज जो यह संकल्प आया है इसके विषय में सरकार सोचे और इसीलिये ध्यान आकर्षित करने के लिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं। जो बात पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कही गई कि एक कमीशन नियुक्त कर दिया है जो यह देखेगा कि १८ फीसदी लोग क्यों नहीं लिये गये तो वहां तो जो सब से योग्य होते हैं उनको मौका मिल जाता है। यही कह दिया जायगा लेकिन जिनकी वहां तक पहुंच नहीं होती है ऐसे लोगों के लिये जरूरत है और उनको तरजीह दी जानी चाहिये।

भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि उनको १८ फीसदी नौकरी दें। तो यह सरकार देने में हिचक क्यों करती है? उसको कौन-सी कठिनाई है? भारत के संविधान में हरिजनों के लिये स्थान रिजर्व हैं। यहां के लिये भी रिजर्वेशन है, इसलिये उस हिसाब से आप पब्लिक सर्विस कमीशन में पिछड़े वर्ग को अवश्य स्थान दें जब कि संविधान में उनके लिये रिजर्वेशन की बात कही गयी है। इसलिये मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है वह रिजर्वेशन तो पहले ही कर रखा है। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उन्हें अब मौका दें और वह जायं। पिछड़ी जातियों के लिये रिजर्वेशन नहीं है, उनको तरजीह देनी है। उनके बारे में आप सोचें, लेकिन अगर उनमें क्षमता है तो आज नहीं तो कल या परसों आपको उन्हें मौका देना होगा। जैसा वर्मा जी ने बतलाया उनकी बात भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन उसमें हरिजनों के लिये तो रिजर्वेशन है और इसलिये हमको उन्हें अवश्य ही मौका देना चाहिये। इससे संविधान की मर्यादा बढ़ेगी और यह कह कर ही मैं समाप्त करता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय--माननीया, रामस्वरूप वर्मा जी द्वारा प्रस्ताव का जो संशोधित रूप है मैं उसका समर्थन करता हूं। ऐसे तो सरकारी पक्ष की ओर से श्री रामवचन यादव जी ने यह प्रस्ताव पेश किया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं, परन्तु उनको बधाई देते हुए मुझे एक शंका होती है और मैं उसे यहां प्रकट कर देना चाहता हूं। कुछ सरकारी पक्ष के लोग जिस ढंग से बोले हैं उससे ऐसा मुझे सन्देह होता है कि अन्त में माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद यादव जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। यदि वे अपना प्रस्ताव वापस न लें तो वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा आवश्यक प्रस्ताव सदन में रखा और मैं इसके लिये उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो मुझे आशंका थी उसे मैंने यहां प्रकट कर दिया।

इस प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व हमें पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखना चाहिये। हमारे संविधान का जिक्र माननीय मदनमोहन वर्मा जी ने किया। मैं आप की आज्ञा से उसकी धारा १५ (४) सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं--"इस अनुच्छेद या अनुच्छेद २९ के खंड (२) में की कोई बात राज्य को नागरिकों के ऐसे वर्गों के लिये जो सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में रुकावट न डालेगी।" साथ ही धारा १६ के उपखंड (२) को भी मैं सदन

[श्री देवनारायण भारतीय]

के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं : "केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायगा।"

माननीया, मैंने संविधान की इन धाराओं को यहां इसलिये पढ़ा कि संविधान का पिछले १३ वर्षों में सरकार की ओर से निरन्तर निरादर किया गया है, यह बतला सकूं। सरकार की ओर से संविधान की धाराओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया उतना, जितना कि दिया जाना चाहिये था और इसीलिये यह प्रस्ताव लाना पड़ा है। सरकार ने बहुत समय बिता देने के बाद सन् १९५५ में बलवन्तराय मेहता कमेटी बनायी और उसके निर्माण और कार्य-संचालन में लाखों रुपया खर्च किया। उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उस कमेटी की सिफारिशों को आज तक लागू किया? नहीं किया। यह इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि है। जब से लोक सेवा आयोग बना क्या सरकार ने उसके सदस्यों में आज तक पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति की नियुक्ति की? क्या पिछड़े वर्ग में इस योग्यता का कोई व्यक्ति नहीं था जो योग्यता और ईमानदारी से आयोग में काम कर सकता? सरकार का यह पक्षपात इस संकल्प की पृष्ठभूमि है।

मैं एक बात और, श्रीमती जी, आपके द्वारा कहना चाहता हूं। अब से थोड़े दिन पहले की बात है कि बलवन्त राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में एक विधेयक इस सदन में उपस्थित हुआ था। सरकारी पक्ष ने उसका विरोध किया। वह विधेयक केवल इसीलिये इस सदन के सम्मुख पेश नहीं हो सका कि सदन में इसको उचित समर्थन जो उसके लिये होना चाहिये था वह प्राप्त नहीं हो सका, सरकारी पक्ष की ओर से विरोध होने के कारण। यह इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या पिछले १३ वर्षों में सरकार की तरफ से जो नियुक्तियां हुईं, चाहे वे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की हों अथवा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की हों, अथवा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की हों, उनमें पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा हुई है? क्या हम आये दिन प्रश्नों के उत्तरों में सरकार की ओर से यह बात नहीं सुनते हैं कि हम अनुपात के अनुसार जगह नहीं दे सके इसलिये कि उस योग्यता वाले लोग, जो चुनाव समितियां थीं, उनके सामने अथवा आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुए। मैं नम्र निवेदन करता हूं कि यह सरकार की जो पक्षपात पूर्ण नीति रही है वह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली नीति के समान है। उसने इस प्रस्ताव को लाने के लिये बाध्य किया है हमारे माननीय यादव जी को।

साथ ही इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों को गलतफहमी भी हो गयी है। मैं बड़ा आदर करता हूं माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी का। मैं उनको सरकारी पक्ष का एक बहुत बड़ा विद्वान वक्ता समझता हूं। उन्होंने, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह कहा कि यह संकल्प संविधान की धाराओं के प्रतिकूल है। एक उचित मांग का समर्थन न कर के निराधार एवं काल्पनिक तत्वों की आड़ लेकर सरकारी पक्ष से विरोध करना, यह त्रिपाठी जी जैसे व्यक्ति के लिये उचित और शोभनीय नहीं था। मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि माननीय मदन मोहन वर्मा जी एक बड़े योग्य वकील हैं और एक वकील के नाते उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने आदि से अन्त तक यह भी नहीं कहा कि वे इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी एक-एक बात में इस प्रस्ताव का विरोध किया। वकीलों की तरह He made the worse appear the better reason

वकील एक गलत बात को भी अपने तर्कों द्वारा सही प्रकट कर सकते हैं और वही माननीय वर्मा जी ने किया। उन्होंने ऐसा करके इस प्रस्ताव के साथ न्याय नहीं किया और इससे भी यह संदेह होता है कि सरकार की नीति इस संकल्प के संबंध में स्पष्ट नहीं है।

इस संकल्प के बारे में गलतफहमी है मैं उसको दूर कर देना चाहता हूं। इस संकल्प के द्वारा जिन सज्जनों ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वे यह नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग को नौकरियों में ६० प्रतिशत अथवा उससे अधिक अथवा कम से कम ६० प्रतिशत अनुपात दिया जाय। उनकी मांग तो इस प्रस्ताव के द्वारा केवल यही है कि लोक सेवा आयोग में अथवा जो चुनाव समितियां बनें उनमें पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित वर्ग को स्थान मिलना चाहिये। इसमें कौन-सी अनुचित बात है; इसमें कौन सी ऐसी बात है जिससे माननीय वर्मा जी को संदेह पैदा होता है? कौन सा इससे समाज को कलंक लग जायेगा? आज १३ वर्षों के जो कारनामे हमारी कांग्रेस सरकार के रहे हैं और उसकी जातिवाद को पोषण करने वाली जो नीति रही है क्या उससे कलंक नहीं लगा? क्या उससे पिछड़ी हुई और अनुसूचित जाति के साथ अन्याय नहीं हुआ? उससे तो कलंक नहीं लगा और आज यह मांग करने पर कि पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित वर्ग को लोक सेवा आयोग में अथवा चुनाव करने वाली समितियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इससे आज कलंक लग जायगा।

उन्हें संदेह होता है कि यदि पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित वर्ग के लोग इन लोक सेवा आयोग इत्यादि में रखे गये तो उसका परिणाम यह होगा कि यह योग्यता-अयोग्यता का विचार न करके अयोग्य व्यक्तियों को अपनी जाति के आधार पर स्थान देंगे। मैं माननीय वर्मा जी की राय से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यदि उच्च वर्ग के लोगों में ऐसे निष्पक्ष लोग मिल सकते हैं तो पिछड़े वर्ग में भी निष्पक्ष एवं योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है। मेरा अपना विश्वास है कि जब पिछड़े वर्ग से इस संविधान के बनाने वाले डा० अम्बेदकर जैसे निष्पक्ष एवं योग्य महान् विद्वान प्राप्त हो सकते हैं तो उस समाज में ऐसे भी व्यक्ति मिल सकते हैं जो लोक सेवा आयोग में बैठ करके जनता के साथ न्याय करते, जो चुनाव समितियों में बैठ करके किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते। क्या यह कोई भी कह सकता है कि इस संविधान में डा० अम्बेदकर ने कुछ पक्षपात की बात कही है, किसी जाति विशेष के साथ उन्होंने पक्षपात बरता है।

वास्तव में बात यह है कि पिछले तेरह वर्षों में सत्ताधारियों ने और उच्च वर्ग के लोगों ने जो पक्षपात पिछड़े वर्ग वालों के साथ बरता है उसी के कारण आज पिछड़े वर्ग को अधिकार देने में अपने पाप के कारण उसको भय प्रतीत होता है। मैं श्रीमती जी, बहुत नम्रतापूर्वक यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को कह करके इस सदन में यह गलतफहमी पैदा की जा रही है कि जिससे लोग यह समझें कि आयोग में अथवा चुनाव समितियों में यह प्रतिनिधित्व नहीं चाह रहे हैं, बल्कि नौकरियों में उतना प्रतिनिधित्व चाहते हैं ऐसा मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव का मंशा नहीं है और यह गलतफहमी माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी ने सदन को भुलावे में डालने के लिये पैदा की थी।

माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने जो ऐतिहासिक विवेचन किया ऋगवेद काल से लेकर अब तक का कि जातियों का विकास हमारे देश में कैसे हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता। कभी से भी हो, जब से यह जातिवाद हमारे देश में पैदा हुआ तभी से हमारी गुलामी का अध्याय आरम्भ हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब तक हमारे बीच में जाति भेद नहीं था तब तक कोई भी दुनिया की शक्ति भारतवर्ष को गुलाम नहीं बना सकी, लेकिन जब से हमारे अन्दर जाति भेद पैदा हुआ तब से हमारी राजनैतिक शक्ति उत्तरोत्तर हीन दशा को प्राप्त होती गयी। हमको पहले १,००० वर्ष तक प्रायः

[श्री देवनारायण भारतीय]

मुसलमानों की गुलामी उठानी पड़ी। उस समय में भी राज्य क्रान्तियां हुईं। छत्रपति शिवा जी ने, गुरू गोविन्द सिंह जी ने विदेशी राजनैतिक सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया और जो सत्ता उस समय स्थापित थी उसको उलटने का प्रयत्न किया। लेकिन उन दोनों महान नेताओं ने इसी बात को आधार बनाया कि इस जाति भेद को समाज से हटाकर विद्रोह की नींव को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

छत्रपति महाराज शिवाजी ने अपनी राष्ट्रीय शक्ति को देश में पैदा करते हुए जाति भेद को हटाना अनिवार्य रूप से आवश्यक समझा। प्रत्येक जाति का व्यक्ति महाराष्ट्रीय बनने से पहले अपनी जाति के भेद को तिलांजलि देने पर बाध्य होता था।

इसी प्रकार गुरू गोविन्द सिंह जी ने जाति को आधार नहीं माना। उन्होंने उसी को सिक्ख माना, जो विदेशी सत्ता देश में कायम थी उसको पलट देने के लिये आगे बढ़ा—और इस की आवश्यकता थी। महाराणा प्रताप ने भी भीलों की रोटियां खाकर ही अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राट के विरुद्ध सफल विद्रोह किया था।

हमने १८५७ में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी। हम उसमें नाकामयाब हुये, लेकिन उसके बाद जो हमारे सब से पहले क्रान्तिकारी नेता हुए उन्होंने भी इस बात की ओर ध्यान दिया। वह क्रान्तिकारी नेता महर्षि दयानन्द थे। उन्होंने सब से पहले यह आवाज उठायी कि हमको इस जाति भेद को जो समाज रूपी शरीर में घुन का काम कर रहा है उसको दूर करना चाहिये। श्री राजा राम मोहन राय जी दूसरे सुधारक हुए उन्होंने भी जातिभेद को मिटाने का सुझाव दिया। महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को प्रतिपादित किया कि हम बिना जाति पांति को मिटाये बिना अछूतों का उद्धार किये देश की आजादी प्राप्त नहीं कर सकते।

श्रीमती जी, मुझे सौभाग्य रहा है सन् १९२० से पहले क्रान्तिकारी रहने का, मैं उस जीवन की एक बात आपके द्वारा सदन के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। हम क्रान्तिकारियों का एक सब से पहला नियम यह था कि क्रान्तिकारी बनने से पहले हमको अपनी जाति और धर्म, यह सब छोड़ देने पड़ते थे, तब हम क्रान्तिकारी बन सकते थे। हमारा ब्राह्मणत्व, ठकुरत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व यह सब नष्ट हो जाता था तब हम क्रान्तिकारी बनते थे और तभी देश की आजादी की लड़ाई के योग्य समझे जाते थे। महात्मा गांधी ने अपने सेनानियों को भी इसी आधार पर आगे बढ़ाया और आज भी मैं समझता हूं कि हमको राजनैतिक आजादी तो मिल गई है लेकिन आर्थिक आजादी नहीं मिली है और उस आर्थिक आजादी को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम इस जाति-पांति को एक गहरे गढ़े में नहीं गाड़ देते जहां से वह फिर उभर न सके। माननीया, दो मिनट और चाहता हूं . . . . .

श्री अधिष्ठाता—दो मिनट आप को और दिये जा चुके हैं, अब आप बैठें।

श्री देवनारायण भारतीय—इन शब्दों के साथ मैं वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—यह रेजोल्यूशन पढ़ने से तो ऐसा मालूम होता है कि दर असल यह ऐसे ठीक मौके पर आया है जबकि इसकी गवर्नमेन्ट को जरूरत थी। मेरे खयाल से अगर यह गवर्नमेन्ट की तरफ से न आकर, अगर किसी प्राइवेट मेम्बर ने ही इसको मूव किया है तो गवर्नमेन्ट को इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिये। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ भी बातें कहीं हैं, कांस्टीट्यूशन का हवाला देते हुए कि कांस्टीट्यूशन में यह है, वह है। मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो मौलिक हैं। पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि कांस्टीट्यूशन

हमारे लिये है, हमने कांस्टीट्यूशन को बनाया है और बनाया है अपने लिये और यह साबित भी हुआ है असेम्बली और पार्लियामेन्ट में। मुझे दो एक केसेज (आफ ला) याद हैं--मैं मेमरी से ही कह रहा हूं, अगर वह गलत हों तो माननीय सदस्य मुझे दुरुस्त कर दें--एक अदवानी का केस बाम्बे हाई कोर्ट में हुआ उसकी बिना पर कांस्टीट्यूशन का अमेन्डमेन्ट हुआ था। यहां पर भी पहले जमींदारी एबालिशन के संबंध में जजेज ने उसके खिलाफ फैसला दिया था कि जमींदारी एबालिशन नहीं हो सकता लेकिन हमको उसे करना था इसलिये हमने कांस्टीट्यूशन को अमेंड किया। आखिर क्यों किया? ऐसा हमने इसलिये किया क्योंकि हमने सोचा कि इससे हम ज्यादा लोगों की खिदमत कर सकेंगे। यह आज का रेजोल्यूशन जो है इस पर मैं एक बात अधिष्ठात्री महोदया, आपके द्वारा पूरे हाउस के मेम्बरों से कहूंगा कि वह जरा ईमानदारी से सोचें कि आखिर आज ऐसा रेजोल्यूशन क्यों आया? महज इसी बात पर वह गौर करें कि आज ऐसा रेजोल्यूशन क्यों आया। जिस फायदे के लिये यह रेजोल्यूशन लाया गया है अगर उसकी जरूरत न होती और उनकी बातें पूरी होती रहतीं तो यह रेजोल्यूशन क्यों आता? मैं और कुछ नहीं कहूंगा, हर एक मेम्बर से यही कहूंगा कि वह ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि आया यह रेजोल्यूशन आने का टाइम था या नहीं था और क्यों आया? इन दोनों बातों को वह सोचें।

इन्डिपेन्डेन्स के बाद न मालूम कितने आयोग बने होंगे, आप देखें तो सही कि जिन वर्गों के लिये यह मांग की गई है उनके कितने आदमी उन आयोगों में लिये गये हैं। आपके पास रिकर्ड है---ऐसी बात नहीं है कि आपके पास रिकर्ड न हो---उसमें आप देख सकते हैं कि उनके कितने आदमी लिये गये। और अगर उनका उसमें कोई आदमी नहीं है तो क्या यह इन्साफ कहा जा सकता है कि जिनके बल पर यह राज्य चलता है उन्हें ही हम इगनोर करें। मैं तो यही कहूंगा कि उन्हीं के बल पर राज्य चल रहा है और इसके लिये सबूत भी है। जितने इन दो वर्गों के लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं उसके लिये अगर कहा जाय कि आंख मूंदकर सपोर्ट करते हैं, तो बिलकुल ठीक होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ बात इनके फायदे के लिये आती है तो जो लोग भगवान और धर्म की दुहाई देते हैं क्या उनका यही फर्ज हो जाता है कि उसे इस तरह से बदनाम करें कि वह एक हव्वा बन जाय? अभी तक कमीशन में इन लोगों का एक भी मेम्बर नहीं है। अगर हमारे आने से कम्युनलिज्म आ जायगा तो आप क्या कर रहे हैं? आखिर यह प्रस्ताव क्यों आया? कुछ लोगों से राय लेकर ही लोग इस रेजोल्यूशन को लाये होंगे। मैं उन लोगों का भी स्वागत करूंगा जो इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। लेकिन अगर विरोध करने वालों की स्पीच उनकी कांस्टीट्यूएंसी में सरकुलेट कर दी जाय तो मेरा खयाल है कि वे यहां ही नहीं बल्कि किसी भी सदन में चुनकर नहीं आ सकते हैं। वोट लेने के समय सब लोग यही कहते हैं कि हम आपके लिये हैं, हमारी जान आपके लिये है, हम कुर्बान होने के लिये आये हैं। लेकिन आज कुर्बानी के लिये तो कौन कहे, नहाने का ही एक मौका आया जब कि कुर्बान होने से बहुत पहले होता है, उसी का विरोध हो रहा है।

हमारे २, ३ भाइयों ने संविधान का हवाला दिया। मैं उनसे कहूंगा कि कांस्टीट्यूशन तो इंसान के लिये है, इंसान उसके लिये नहीं है। अगर कांस्टीट्यूशन से हमारी जिन्दगी में कोई खलल पड़ता है तो हम उसे अमेंड कर सकते हैं और अमेंड करने का यहां की पार्लियामेन्ट का रेकार्ड है। इस प्रस्ताव के देखने से बहुत दुख होता है और ऐसा जाहिर होता है कि कुछ लोगों का यह विश्वास है कि उनके साथ बहुत ज्यादती की गई है और उन्हें बहुत दुख दिया गया है। एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं कि एक आदमी को एक बार ही इगनोर किया जा सकता है, एक आदमी सब को एक बार ही इग-

[श्री सोहनलाल फुसिया]

इगनोर कर सकता है लेकिन एक आदमी सब को सदैव इगनोर नहीं कर सकता। समय के लिहाज से सबको चलना ही होगा। अगर आप नहीं चलेंगे, तो यह हो नहीं सकता है। यह रेजोल्यूशन समय का दर्पण है। जो कुछ गाथा यहां रखी गई है वह पुराना कर्जा है। अगर आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो मैं नहीं कह सकता कि यह बात कहां तक जायगी। यह गवर्नमेन्ट की चीज है।

कभी-कभी कहा जाता है कि कैंडिडेट्स आर नाट स्यूटेबिल (Candidates are not suitable)। गवर्नमेन्ट को चलाने के लिये तो स्यूटेबिल कैंडीडेट्स मिल जाते हैं। ट्रेजरी बेंचज के लिये मिनिस्टर तो स्यूटेबिल मिल जाते हैं लेकिन एक आयोग के लिये स्यूटेबिल कैंडिडेट नहीं मिल सकते। यह बात जरा समझ में आनेवाली नहीं है। यह सब थोथी दलील है। लोग ऐक्शन से ही अब देखेंगे।

कुछ लोगों के सोचने का तरीका ही और है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि क्या वजह है लेकिन मेरे सोचने का तरीका दूसरा ही है। जिन्हें आप माइनारिटी कम्युनिटी में कहते हैं, असल में वे मैजारिटी में हैं। माइनारिटी में तो हैं आप, जो कि इस तरह से बन्दर बांट करके हमको रुला रहे हैं। आप सब जगह मालिक बने बैठे हैं। अगर जरा-सी मांग की गई, तो कहते हैं कि ज्यादती हो जायगी, कम्यूनलिज्म हो जायगा। ये बातें आज के जमाने में नहीं चल सकती हैं। अगर इस रेजोल्यूशन को भी सरकार नहीं मानती है तो इसके बाद दूसरा कदम यह आवेगा कि आबादी के हिसाब से परसेंटेज होना चाहिये। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस फिजा को न आने दें और गवर्नमेन्ट इस पर बिचार करे। वहां कम से कम ३ मेम्बर एक साथ बैठते हैं। तो एक ही मेम्बर के आने से तो सारे कमीशन का वोटिन्ग नहीं हो जायगा। ५ में सिर्फ १ होगा। जरा आप अपने कारनामों पर भी निगाह डालें। करते है आप, और कहते हैं हमको यह रेजोल्यूशन बहुत ही सामयिक है और मैं गवर्नमेन्ट से दरख्वास्त करूंगा कि इसे माने।

क्या कहूं, नाम लेना ही पड़ता है और सब लोग आजकल गांधी जी का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके इनका उत्थान करो। जो उनके फायदे की बात होती है उसे तो सरकार करती नहीं, और अगर करती भी है तो अनमनी होकर। और जो उनके फायदे की नहीं है, उसे सरकार करना नहीं छोड़ती है। एक बात मुझे याद आ गई। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहेब ने हाउस आफ दी पीपुल्स से एक रेजोल्यूशन पास करा के, अफरीकन्स के फेवर में, जो वहां की गवर्नमेन्ट ने किया था उस पर, भेजा। लेकिन हमें अफसोस है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि अगर आपके यहां अनटचेबिल्स रह सकते हैं तो हमारे यहां भी रह सकते हैं। बहुत अफसोस की बात है। हमारा और आपका सबका फर्ज हो जाता है कि इस सवाल को सरकार किसी एक आदमी या पार्टी की बात न समझे बल्कि यह नेशनल प्राबलम है और नैशनल प्राबलम समझ कर ही इसे हल करना चाहिये। इसे कम्यूनेलिज्म का जामा मत दीजिये। हम किसी विशेष जाति के लिये कुछ नहीं मांगते हैं, एक वर्ग के लिये यह रेजोल्यूशन है। आपके यहां कितनी जाति-वादिता है, और आप बदनाम करते हैं हमें।

इन शब्दों के साथ में इस रेजोल्यूशन का समर्थन करता हूं।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आज जो प्रस्ताव हाउस के सामने चल रहा है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। यह एक सीधा-सादा प्रस्ताव है। इसके द्वारा सेवा आयोग पर सीधा चार्ज मालूम पड़ता है कि वह पक्षपात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता है। अगर पक्षपात न करता होता तो ऐसी बात न होती। अब देखना यह है कि बैकवर्ड और हरिजनों के लिये सीट्स रिजर्व की जायं या नहीं, या वहां जो योग्य हैं वे ही रखे जायं? जो लोग यहां इन दो कैटेगरीज के बैठे हुए हैं उनको डर है कि अगर वे अपने लोगों के लिये कुछ कर न पाये तो आगे चुनाव में यहां न आने पायेंगे। मैं बकवर्ड क्लास के लोगों को भी आगाह कर देना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने अपने क्षेत्र में जाकर क्या जागृति पैदा की। जिन लोगों की आबादी ८० प्रतिशत है, क्या उनको आपने आर्गेनाइज किया? अभी कहा गया कि मंत्री लोग उनको चुनते हैं, आपने उनको क्यों नहीं चुन दिया? आप जरा अपने को टटोलिये। गंगा के किनारे पर हनुमान जी ऋषि मुनियों की चीजों को गंगा में फेंक दिया करते थे। उनको श्राप दे दिया कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। जब उनको अपनी शक्ति की याद दिलायी गयी तब उसने समुद्र लांघा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आप जो ८५ प्रतिशत हो अपने को आर्गेनाइज करो और अपने क्षेत्र में जाकर अपने को तैयार करो।

५ हजार वर्ष पहले से ही इन जातियों का निर्माण हुआ। महाभारत के बाद वह बढ़ी और घर करती चली गयी और इन जातियों ने उसी हिसाब से नंबर देना भी शुरू कर दिया। जिस जाति का वहां बैठा हुआ है उसी जाति वाले को अधिक नम्बर देता है। उसी से दुखित होकर यह प्रस्ताव राम वचन जी यहां लाये। अभी यह भी कहा गया कि यादव जी अपने प्रस्ताव को वापस न ले लें। माननीय झारखंडेराय जी ने यह भी कहा कि मंत्री जी अगर इस बात का आश्वासन दे दें कि वे इस प्रस्ताव को मान लेंगे तो विवाद खत्म हो जाय, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वे इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि बैकवर्ड एरिया का कोई मिनिस्टर नहीं है तभी उसकी जरूरत आज मालूम नहीं पड़ रही है।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं कि कहा गया कि आर्य समाज द्वारा हमें टांग पकड़ कर घसीटा गया। वर्ण व्यवस्था के साथ उन्होंने एक देन दी और उसका नतीजा यह है कि पश्चिमी जिलों में छुआछूत को कोई नहीं मानता। और आगे बढ़ते जाते हैं। आज लोग कहते हैं कि यह सब पूर्वी जिलों की ही देन है जहां आर्य समाज नहीं पहुंचा। आज हम देखते हैं कि जितने भी आश्रम थे उनमें से ब्रह्मचर्याश्रम में जाति-पांति नहीं थी। फिर गृहस्थाश्रम आता है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियां हैं। फिर वाणप्रस्थ आश्रम आता है और तब सन्यास आश्रम आता है। उनमें कोई जाति पांति नहीं है। उपासना के लिये प्रत्येक आदमी को स्वतंत्रता थी। इस सिलसिले में आर्य समाज का नाम पकड़ कर खींचा जाता है और कहा जाता है कि महर्षि दयानन्द ने हमारा बहुत उपकार किया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि महापुरुष आते हैं और सामाजिक बुराइयां दूर करके चले जाते हैं।

इस प्रस्ताव के द्वारा हमने क्या मांगा है? इस प्रस्ताव के द्वारा हम यह चाहते हैं कि जो हमारे हरिजन बन्धु व पिछड़े वर्ग के बन्धु हैं वे सवर्ण हिन्दुओं के साथ आयोग में या निर्वाचन समितियों में बैठ कर उस वर्ग के लोगों की बात को सुन व समझ सकें और हमदर्दी के साथ उनकी बातें समझ सकें। हमने यह देखा है कि पिछड़े वर्ग के बड़े अच्छे अच्छे ब्रिलिएन्ट स्टुडेंट्स हैं लेकिन वे कमीशन के सामने या निर्वाचन समिति के सामने जाने में इसलिये घबड़ाते हैं कि उनका रहन-सहन कुछ ऐसा रहा है तथा ऐसे वातावरण में वे पले हैं कि वे समझते हैं कि वहां हमारी बिरादरी का कोई आदमी नहीं है जो हमारी बात को सहानुभूति के साथ सुन सकेगा। इसलिये इस संकल्प के द्वारा यह मांग की गयी है और माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वे इसको स्वीकार कर लें और सदन के समय को न बिगाड़ें।

[श्री हिम्मतसिंह]

आज हम यह देखते हैं कि सवर्ण जाति के हाई स्कूल पास लोग तो ए० डी० ओ० बन जाते हैं लेकिन हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग जो हाई स्कूल पास हैं वे ए० डी ओ० नहीं बन पाते तो आखिर क्यों, इसका क्या कारण है ? आज हम देखते हैं कि हरिजन बन्धुओं के लिये सर्विसेज में १८ परसेन्ट का रिजर्वेशन है लेकिन सब जगह इस पर अमल नहीं किया जाता है। सेक्रेटेरिएट में ही ९० आदमी लिये गये जिनमें ६ हरिजन लिये जाने थे लेकिन वे भी नहीं लिये जा सके। कहा यह जाता है कि कोई क्वालिफाइड नहीं था। इस तरह के एक नहीं हजारों उदाहरण मिल सकते हैं। हर डिपार्टमेन्ट में सवर्ण हिन्दू भरे पड़े हैं। १८ परसेंट हरिजन व पिछड़े वर्ग के चपरासी वर्ग में भी नहीं है।

जैसा कि अभी लारी साहब ने बतलाया कि सवर्ण हिन्दू चपरासी में इसलिये रखे जाते हैं कि वे साहब की रोटी भी पकाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं और तरह तरह के घरेलू काम करते हैं जिसे वे छुआछूत की भावना से हरिजनों व पिछड़े वर्ग के लोगों से नहीं करवाना चाहते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस संकल्प को उन्हें मान लेना चाहिये क्योंकि इसके द्वारा सर्विसेज में सीट्स रिजर्वेशन की मांग नहीं की गयी है बल्कि इसके द्वारा तो यह मांग की गयी है कि जो आयोग या निर्वाचन समितियां हैं उनमें उनका रेप्रेजेंटेशन हो ताकि ये लोग इस बात को समझ सकें कि जो बात हम वहां कहेंगे वह पूरी पूरी सुनी जायगी और इस तरह से उनके अन्दर विश्वास की वृद्धि होगी। जैसा कि काका कालेलकर ने अपने एक रिमार्क में यह लिखा है कि आज हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग इस बात के लिये व्याकुल हैं कि देश की लीडर-शिप अपने हाथ में लें और उसको लेकर देश को दूसरी ओर ले जायें। इसलिये इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी होगया है कि इस आयोग में और जितनी भी निर्वाचन समितियां हैं उनमें उनका पूरा पूरा रेप्रेजेन्टेशन रखा जाय जिससे पिछड़े वर्ग के लोग कुछ न कुछ अपने लिये कर सकें।

हम यह देखते हैं कि जिस वक्त चुनाव आता है उस वक्त हर आदमी पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा हितैषी हूं। उस वक्त चूंकि वोट लेना होता है इसलिये पानी भी उसके हाथ का पी लेता है और रोटी खाने के लिये भी तैयार हो जाता है। लेकिन जिस वक्त रोटी बेटी का प्रश्न सामने आता है उस वक्त वह चार कदम पीछे हट जाता है। मैं समझता हूं कि जितने सवर्ण हिन्दू यहां पर सदस्य हैं वे भी इस संकल्प के विरोध में ही हाथ उठावेंगे अगर बहुमत से यह आदेश हो गया कि इसके खिलाफ वोट देना है। मैं समझता हूं कि जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हरिजन बन्धु हैं या जो माननीय सदस्य पिछड़े क्षेत्रों से चुन कर आये हैं, उन सब का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। यह मामूली सा प्रस्ताव है और एक निर्दोष सा प्रस्ताव है, ऐसी सूरत में मेरी मंत्री जी से यही प्रार्थना है कि वह इसको स्वीकार करें और जो दूसरे प्रस्ताव आगे आने वाले हैं उनको आने दें।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---माननीया, मुझे खुशी है कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। आज हमारे देश में यह प्रश्न एक अहम प्रश्न के रूप में उपस्थित है और यह एक ऐसी समस्या है कि जिस पर भिन्न-भिन्न प्रकार के मत प्रकट किये जा सकते हैं। जहां तक मानवता का तकाजा है, इन्सानियत का तकाजा है यह आवश्यक है कि इस देश से सभी प्रकार के भेदों को मिटाया जाय। यही कारण है कि कांग्रेस वर्गविहीन और वर्णविहीन समाज स्थापित करने की बात पहले से घोषित कर रही है। चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो सब का घोषित उद्देश्य यही है कि इस देश के भीतर कोई भी वर्ग न रहे, अलग-अलग टुकड़ों में

बटा समाज न रहे चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो हमें इन सीढ़ियों को खत्म करना चाहिये। जितना आवश्यक हमें इन आर्थिक सीढ़ियों को खत्म करना है उतना ही आवश्यक इन सामाजिक सीढ़ियों को खत्म करना भी है लेकिन माननीय सदस्य जानते होंगे कि यह जितनी भी सामाजिक सीढ़ियां बनी हैं उन सब को बैकग्राउन्ड में एक आधारभूत मूल कारण आर्थिक विषमता रही है। अगर हम इसके विरोध में जोरों से प्रहार करते और इसकी ओर ज्यादा जोर लगाकर कोशिश करते तो यह जितनी सामाजिक सीढ़ियां बनी हैं वह सब टूट जातीं।

मुझे याद है कि सन् ३३ या ३४ का समय था जब महात्मा गांधी हरिजन आन्दोलन को लेकर वाराणसी पहुंचे हुये थे। मैं उस समय अपने जिले बलिया के हरिजन सेवक संघ का मंत्री था और उनके पास मैं थैली भेंट करने के लिये पहुंचा हुआ था। उस समय महात्मा जी ने हमसे पूछा कि अगर कोई शंका हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें। मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि हरिजन मोहल्लों में झाड़ू लगाई जाय, वहां सफाई की जाय लेकिन मेरा विश्वास है कि झाड़ू लगाने से और उनके मोहल्लों में घूमने से समस्या हल नहीं हो सकती बल्कि वह तो तभी होगी जब उनके अन्दर उनकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया जाय, उनकी आर्थिक स्थिति को बदला जाय। आज इस देश में अर्थ की प्रतिष्ठा हो रही है, जाति की प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है, त्याग की भावना समाप्त हो रही है और आर्थिक समृद्धि के ऊपर मानव जाति प्रतिष्ठा आरोपित कर रही है। यदि एक गांव के हरिजन के पास पया काफी है तो बड़े-बड़े लोग उसके दरवाजे पर ठोकरें खाते हैं और एक हरिजन उच्च अधिकारी जब तक किसी पद पर आसीन होता है तो बड़े-बड़े टीकाधारी और दूसरे लोग उसके पास पहुंचते हैं और उसकी इस तरह से अभ्यर्थना करते हैं जैसे कि भगवान की पूजा की जाती है।

जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका आशय तो केवल यह है कि लोक सेवा आयोग या दूसरी चुनाव करने वाली समितियों में पिछड़े वर्ग व हरिजनों को भी स्थान दिया जाय। हमारे यहां एक तरफ तो आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति की तरफ कदम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से उसका दुश्मन सम्प्रदायवाद और संकुचित जातिवाद घर करता चला जाता है।

कोई भी पार्टी हो जब एसेम्बली का चुनाव या कोई भी चुनाव होने वाला होता है तो वह लोग किसी भी क्षेत्र की पापुलेशन का पहले अन्दाजा लगाना शुरू करते हैं कि उस क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा बसते हैं और वह इसलिये होता है कि जो सबसे अधिक क्रान्तिकारी बनते हैं वह लोग सबसे पहले उसी जाति को वहां पर टिकट देने पर आमादा होते हैं जिसका बहुमत होता है। उस समय सिद्धान्त खत्म हो जाता है। उस समय हमारा आदर्श हमारे सामने से ओझल हो जाता है। इस तरीके से एक तरफ तो सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ जिन कारणों से सामाजिक क्रान्ति में रुकावट पैदा होती है उन्हीं कारणों को बढ़ावा दिया जाता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण जिधर हमको जाना है उधर हम नहीं जाते हमें दिशा भ्रम हो गया है।

जातिवाद के आधार पर चुनाव कराना, चुनाव कमेटी का संगठन करना, यह जातिवाद और सम्प्रदायवाद की ओर हमें अप्रत्यक्ष रूप से ले जाने वाली चीजें हैं। लेकिन अफसोस है कि सदन में इस तरह का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव आया इसका जरूर कोई न कोई कारण होगा। यह सरकार की भी मैं कमजोरी मानता हूं कि इस तरह सरकारी पक्ष के ही सदस्य को प्रस्ताव लाने के लिये विवश होना पड़ा। सरकार को अच्छी तरह से इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि कौन कारण हैं जिनकी वजह से इस तरह का प्रस्ताव सदन में आया।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

जरूर ही अप्रत्यक्ष रूप से इससे कुछ स्पष्टीकरण या संकेत मिलता है और वह इस बात का संकेत मिलता है कि जिन लोगों के हाथ में चुनाव का कार्य दिया गया है या जो लोग सेवा आयोग का कार्यभार सम्हाले हुए हैं उन लोगों के कार्य में कहीं त्रुटि है। कोई दोष है जिसके कारण इन लोगों को प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिये विवश होना पड़ा।

सबसे पहला तो कर्तव्य यह होता है कि सरकार उन तमाम सलेक्शन कमेटियों की जांच करावे कि आया जितनी कमेटियां इस सरकार के अधीन काम कर रही हैं उन कमेटियों ने जातिवाद के आधार पर कुछ कार्य तो नहीं किया या किसी की छोटी जाति, पिछड़ी जाति या हरिजन वर्ग का होने के कारण उपेक्षा तो नहीं की। सरकार के लिये इस प्रस्ताव के उपस्थित होने पर यह परमावश्यक और अनिवार्य हो जाता है कि वह अपनी कार्यवाहियों पर जरा दृष्टिपात करे और जो उसके चलाने वाले लोग हैं उन लोगों के कार्यों की अच्छी तरह जांच की जाय और अगर सचमुच इस तरह की कार्यवाही की गई हो जिसमें अन्याय हुआ हो, किसी का पक्षपात किया गया हो तो उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए और कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि उन कारणों से एक ऐसी भावना को यहां पर प्रकट होने का मौका मिला जो भावना राष्ट्रीयता की सबसे बड़ी घातक भावना है, जो इस देश की सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के लिये सबसे अधिक विनाशक भावना है। जिन कारणों से उस भावना को प्रकट होने का अवसर मिला है उनकी जांच होना आवश्यक है।

अगर सरकार के कर्मचारियों के करीब इस तरह की भावना बढ़ती है तो सरकार को जहां यह समाज ले जाना है वहां समाज कैसे पहुंच सकता है? सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस का उद्देश्य है समाजवाद स्थापित करना, सारे भारतवर्ष को ऐसा कर देना कि हर इंसान एक दूसरे को भाई समझे सभी लोग मानें कि हम एक भगवान की संतान हैं, एक ब्रह्म के जीव हैं, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, समान अधिकार हो, समान अवसर तरक्की का हो और समान अवसर निवास का हो, कोई किसी को दबाने वाला न हो, शोषण करने वाला न हो। तो अगर इस भावना को समाज के भीतर से हमें निकालना है तो हमें बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा और अगर यह उद्देश्य न हो तब तो दूसरी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस का उद्देश्य ऐसा है तो हमारी सरकार जो कांग्रेस के आदेशों के अनुसार कार्य करती है उसका भी यही आदर्श होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह स्वराज्य दान में मिला था, यह छीनकर नहीं मिला था। स्वराज्य में जो परिवर्तन हुआ था वह बड़ा ही शान्तिपूर्ण परिवर्तन हुआ था। एक मशीनरी चल रही थी और उस पर आकर हुकूमत करने का उत्तरदायित्व एक सज्जन को, एक संस्था को दिया गया और उसने उस मशीनरी को ले कर काम चलाना शुरू किया।

जिस मशीनरी के पीछे कोई भावना, सिद्धान्त या आदर्श नहीं था उसको लेकर सरकार चलाने के लिये हमारे नेताओं को विवश होना पड़ा। नेताओं का कर्तव्य था कि उन्होंने पहले उस मशीनरी की जांच की होती कि कितने पुर्जे काम लायक हैं और कितने बिगड़े हुए हैं जो हमें अपने आदर्श तक पहुंचने के लिये बाधक सिद्ध होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि वे भी इसी देश के रहने वाले हैं और हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। हम गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार काम करने वाले थे। हमने सोचा कि हम परिवर्तन करके लोगों को अपने अनुकूल बना लेंगे और उसी तरह से हमने काम करना शुरू किया।

आज एक ऐसा प्रस्ताव यहां उपस्थित हुआ है जिस पर विचार करने के लिये हमको विवश होना पड़ता है। हम देखें कि जो हमारा आदर्श है उस तक हम सचमुच पहुंच रहे हैं या नहीं। जब हमारे आदमियों के मन में शंका पैदा हो गयी कि हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, हमारे साथ अन्याय होता है और उसके लिये यह प्रस्ताव लाया गया तो हमको

सोचना पड़ेगा। रही बात प्रतिनिधित्व की यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जितने आदमी यहां आलोचना करते हैं उनमें बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग या हरिजन क्लास का कोई चला जायगा तो बड़ा भारी देश का विनाश हो जायगा, लेकिन साथ ही साथ यह भी बात है कि अगर यह प्रस्ताव न आया होता तो क्या इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करने को सरकार को विवश किया गया होता या नहीं, यह भी सवाल विचारणीय था, हमारे ही एक भाई ने जो हमारे पक्ष के हैं यह प्रस्ताव उपस्थित किया।

यह प्रस्ताव नहीं बल्कि एक मांग है जिसके पीछे विधान सभा को सैंक्शन वे लेना चाहते हैं। क्या उनको विश्वास हो गया कि हमारी सरकार या हमारे नेता हमारी मांगों को नहीं मान सकते या हमारी उचित मांगों पर विचार नहीं कर सकते। अगर यह हमको विश्वास हो गया होता और वे इसे लाये होते तो उचित था, लेकिन जब तक उनको यह विश्वास था कि हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी के नेता हमारी अच्छी बातों को मानने के लिये तैयार रहते हैं तो उनको कोई हक नहीं था कि वे इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में लाते। लेकिन लाये तो बड़ा अच्छा हुआ, विचार विनिमय का अवसर मिला, हर पार्टी के लोगों ने मिल कर इस पर अपना मत जाहिर किया।

एक भाई तो वेद-शास्त्र, दर्शन तथा गांधी जी को इसमें ले आये। उन्होंने बड़े ही गलत ढंग से वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन किया है। उनके भाषण से ऐसा प्रतीत हुआ। उन्होंने बहुत ही गलत ढंग से भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं का अध्ययन किया है यह कहने में मुझे संकोच नहीं होता। भारतवर्ष का दर्शन, संस्कृति तथा सभ्यता को अध्ययन करने के लिये भारतीय मस्तिष्क बनाना आवश्यक होगा। अगर आप समाजवाद या किसी और विचार को, पश्चिमी सिद्धान्तों को अपने दिमाग में रख कर भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो मुझे खेद है कि आप अच्छे नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो मैं इन बातों पर जाना नहीं चाहता।

मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि मानवता का तकाजा है कि इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति मानव की तरह रहें, हर एक दूसरे को भाई समझे और हरएक दूसरे के हकूकों की रक्षा करे। लेकिन जहां तक किसी प्रकार के एम्पलायमेन्ट या जगह देने का सवाल है जो लोग पिछड़े हुए हों या जिनके पास बहुत अच्छी सनदें हों उन्हीं को उस काम के लिये उपयुक्त माना जाय, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके साथ कुछ और भी क्वालिफिकेशंस जोड़ी जायें और वे क्वालिफिकेशंस ये जोड़ी जायं कि जिन लोगों के पास कोई व्यवसाय न हो, जिनके पास कोई पेशा न हो, जिनके पास कोई काम न हो, उन लोगों को हर जगह पर प्रिफरेंस दिया जाय चाहे वह सवर्ण हों या बैकवर्ड हों, सभी इस माने में बैकवर्ड माने जाने के हकदार हैं जिनके पास कोई पूंजी नहीं है जो Landless, meanless, homeless, proletariat के रूप में इस देश में विद्यमान हैं उनको सहारा देना इस सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य है।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री भूपकिशोर**—माननीया जो श्री यादव जी ने प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव को लाने की जरूरत क्यों पड़ी ? इसलिये पड़ी कि ऊंची जाति वालों ने जो आज सरकार बना कर यहां बैठे हुये हैं हरिजनों और पिछड़े वर्ग पर बड़े बड़े जुल्म ढाये हैं। यही नहीं जो जिस जाति का मिनिस्टर है उसने अपनी ही जाति वालों को भरा है। आज सम्पूर्णानन्दजी को ले लीजिये, ५२ में से २५ कलेक्टर कायस्थ जाति के हैं। कमलापति जी त्रिपाठी को ले लीजिये, आज ज्यादातर एस० पी० और थानेदार ब्राह्मण जाति के हैं। मोहनलाल जी गौतम को ले लीजिये, आज जितने कोआपरेटिव के मंत्री और सुपरवाइजर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भूपकिशोर]

हैं, सब ब्राह्मण भरे गये हैं। यह जातिवाद को बढावा देना नहीं है तो क्या है। मैं देख रहा हूं कि पिछले ५ हजार वर्षों से अपने ग्रन्थों में इन लोगों ने ऊंच नीच का भेद रचा। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण यदि शूद्र, क्षत्री और वैश्य की लड़की से अगर शादी कर ले तो उचित है लेकिन दूसरी जगह उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर शूद्र ब्राह्मण की लड़की से कोई ऐसा काम करे तो उसको आग से धधकती हुई चारपाई पर जला देना चाहिये। आप हमारा हित नहीं कर रहे हैं। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक खुद ले लेंगे। अपना रिजर्वेशन नहीं चाहते, आप अपने रिजर्वेशन की सोचिये।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य चेयर की तरफ़ मुंह कर के बोलें।

श्री भूपकिशोर—यह देखने में आता है कि जो मंत्री हैं....

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—आपके आदेश के बावजूद उनका मुंह मेरी तरफ़ ही है। (हंसी)

श्री भूपकिशोर—मैं आज देखता हूं कि ये आर्य लोग इस देश में आर्य और अनार्य का सवाल बहुत दिनों से उठाते चले आ रहे हैं। इनके एक कवि हुये हैं तुलसीदास उन्होंने रामायण में क्या लिखा है यह जरा देखिये। उन्होंने लिखा है—

ढोल, गंवार, शुद्र, पशु, नारी,
ये हैं ताड़न के अधिकारी।

पूजिये विप्र सकल गुण हीना,
शूद्र न पूजिये परम प्रवीणा।

तो जब ऐसी चीजें ग्रन्थ में लिखी हुई हैं मैं ऐसी चीजों का सख्त विरोध करता हूं और ऐसे ग्रन्थों को फाड़ता हूं।

(श्री भूपकिशोर ने रामायण की एक प्रति में से जो उनके हाथ में थी कुछ पन्ने फाड़ डाले। इस तरह सदन में शोर मचा।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अधिष्ठात्री महोदया, मैं समझता हूं कि ऐसी बातें यहां पर नहीं होनी चाहिये। मैं इस पर प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। इससे आपस में मेल तो बढ़ेगा नहीं बल्कि और झगड़ा बढ़ेगा। मैं माननीय सदस्य से भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसी बातें न करें जिससे वातावरण और खराब हो।

श्री अधिष्ठाता—माननीय भूपकिशोर जी आपको इस तरह से सदन में व्यवहार नहीं करना चाहिये और जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिये। ऐसा व्यवहार सदन में अवांछनीय है। आप आवेश रोक कर भाषण दें।

श्री भूपकिशोर—माननीया, मैं निवेदन करता हूं कि जो इसमें खराब बातें हैं उनका ही मैं विरोध करता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अधिष्ठात्री महोदाया, यह प्रजातंत्र का युग है। वेद और पुराणों में जो ऐसी बातें लिखी हैं कि आगे आप बोल नहीं सकते हैं तो क्या दरवाजा खुला नहीं है कि टीका-टिप्पणी की जाय।

श्री अधिष्ठाता—टीका-टिप्पणी करने का दूसरा तरीका है। धार्मिक पुस्तक को फाड़ना अच्छा तरीका नहीं है।

श्री भूपकिशोर—मैं इनमें से खराब बातों को निकालना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आप उन बातों को कह कर व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक पुस्तक का फाड़ना ठीक नहीं है। उसका आदर करना चाहिये।

श्री भूपकिशोर—श्रीमती, यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता है कि आदेश निकाला जाता है जिसमें लिखा है कि आज श्री राम वचन यादव के संकल्प पर मतदान होगा। अतएव आप से अनुरोध है कि इसके ऊपर मत देने के लिये आपका उपस्थित रहना आवश्यक है। अब आप बताइये कि जो कांग्रेस संस्था अपने को देश का नुमाइन्दा कहती है वह ऐसा काम करे तो कैसे वह नुमाइन्दा हो सकती है। एक संकल्प के लिये इस तरह से आदेश निकाला जाना कहां तक ठीक है। यह देखने की चीज है।

लोक सेवा आयोग के संबंध में इस प्रस्ताव के लाने की इसलिये जरूरत हुई कि एक नाई का लड़का था जो फर्स्ट आया था। वह जिस समय कम्पटीशन में बैठा तो उसने सबको बीट किया। लेकिन जब उसका इन्टरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे यहां क्या काम होता है। उसने जवाब दिया कि बाल बनाये जाते हैं। इसके बाद उससे कुछ नहीं पूछा गया और उसको हताश हो कर वापस आना पड़ा। उसको नहीं लिया गया और उससे कम योग्यता वाले लड़के को ले लिया गया। ऐसी चीजें जब हमारे देखने में आईं तभी ऐसे संकल्प के लाने की जरूरत महसूस हुई। यह दशा आज की नहीं बल्कि पांच हजार वर्ष से पहले की है, जब तक हम अपने आपको मजबूत नहीं बनायगें तब तक यह चीज कभी भी दूर नहीं हो सकती है। जब तक हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक यह चीजें दूर नहीं हो सकती हैं। हमें आज किसी न किसी प्रकार से अपने अधिकारों को प्राप्त करना है। जैसे पहले लोग अपनी जाति और धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गये थे और बहुत से लोग ईसाई हो गये थे इसी तरह से आज भी हम किसी चीज को उठाकर नहीं रखेंगे और जरूरत पड़ी तो दूसरे मुल्कों से मदद लेंगे। आपने देखा है कि कांग्रेस में क्या होता है? एक तरफ जवाहर लाल जी चाऊ-एन लाई से मश्विरा कर रहे हैं।.....

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो माननीय सदस्य इस हाउस में बयान देते हैं कि हम गैर मुल्कों से मदद लेंगे सरकार के खिलाफ तो क्या वह इस हाउस में ऐसी बात कह सकते हैं? यह कांस्टीटयूशन के खिलाफ है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपने भाषण में विषयान्तर न करें।

श्री भूपकिशोर—एक तरफ आप पी० एस० पी० के नेता को देख लीजिये कि वह पी० एस० पी० में हैं और दूसरी तरफ उनकी बीबी कांग्रेस में हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। इधर वह कम्युनिस्ट सरकार से बातें करते हैं और उधर उनको अमेरिका इंगलैंड वगैरह देशों में भेजा जाता है। इससे वह अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य विषयान्तर कर रहे हैं। अपने विषय से बाहर जा रहे हैं। कृपया आप अपने विषय पर ही बोलें।

श्री भूपकिशोर—मैं यह कह रहा हूं कि एक तरफ तो कम्युनिस्टों से समझौता करें कृपलानी जी और उधर उनकी बीबी जाय इंगलैन्ड वगैरह दूसरे मुल्कों में। इस तरह से समाजवाद नहीं चलना चाहिये। इन चीजों की वजह से ही हमको संकल्प लाने की जरूरत पड़ गई। अगर ऐसी चीजें यह लोग नहीं करते तो कोई जरूरत ही नहीं होती कि उनका

[श्री भूपकिशोर]

विरोध करते। जब १९४७ में एलेक्शन हुआ. तो हम लोगों ने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिये और हाई कास्ट वालों ने जिनमें जमींदार और ताल्लुकेदार थे उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिये। हम लोगों की वजह से यह कांग्रेस सरकार आयी।

श्री अधिष्ठाता—समय समाप्त।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—महोदया, बुड्ढे का समय नहीं आया। मैं आशा करता था कि इस सदन में एक ही बुड्ढा है इसका भी समय आ जाय लेकिन आपकी अध्यक्षता में इसको समय नहीं मिला।

श्री जंगबहादुर वर्मा—मेरा निवेदन है कि यह पिछड़े वर्ग और हरिजनों का प्रस्ताव है इस लिये उनको बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—उसी का पालन हो रहा है।

श्री कैलाशकुमारसिंह (जिला बदायूं)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आज का विषय एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे बहुत से भाई जोश में आ गये। उन्होंने रोष में आ कर धार्मिक प्रवृत्तियों पर आघात किया। ऐसी बात इस सदन में होना शोभनीय नहीं है। वह भी किसी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, दूसरे भी किसी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। किसी के धर्म की प्रवृत्ति पर आघात करके हम ऐसे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें वर्गहीन समाज की स्थापना हो सके।

इस संकल्प के द्वारा जो मांग की गयी है मैं उसको ठीक समझता हूं। यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे आयोगों में सब का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। लेकिन जिस प्रकार से इस प्रस्ताव के समर्थन में यहां पर बातें कही गयी हैं और जिस प्रकार तर्कों को उपस्थित किया गया है वह तरीका उन उद्देश्यों को हासिल करने का उचित नहीं है। हमारे संविधान में ऐसी कोई भेदभाव की बात नहीं है, अनुसूचित और परिगणित जातियों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा हुआ है। उनका रोष यह है कि उन के प्रतिनिधि लोक सेवा आयोग में नहीं भेजे गये, आज तक इन जातियों का कोई व्यक्ति उस आयोग में नहीं आया। यह रोष स्वाभाविक है। उस रोष का प्रदर्शन इस सदन में इस भद्दे प्रकार से करना यह शोभनीय बात नहीं है।

मुझे कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आप की मांग जो है बड़ी उचित मांग है और सम्भवतः इस पर सरकार का सदैव विचार रहा है और आज भी है। इसके लिए जो भी चेष्टा हो सकती है बराबर होती रही है। हमारे संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यक जातियों के लिए रिजर्वेशन दस साल के लिए था। लेकिन पार्लियामेंट में संशोधन ला कर उसको पुनः दस साल तक बढ़ा दिया गया। तो यह इस बात का प्रतीक है कि जब तक भारतवर्ष के अन्दर सारे पिछड़े वर्गों को समान नहीं कर लेते, उस समय तक कांग्रेस का संकल्प है कि हम बराबर प्रयत्न करते रहेंगे और अनुसूचित और परिगणित जातियों को बराबर प्रोत्साहन मिलता रहेगा। यही चेष्टा कांग्रेस करती रही है और करती रहेगी। इस बात का आश्वासन कांग्रेस ने हमेशा दिया है।

यह बात नहीं है कि यह जो मांग आयी है, उसका विरोध किया जाय लेकिन जिस प्रकार इस बात को दोहराया जाता है, वह वर्गहीन समाज की स्थापना में सहायक नहीं होता बल्कि कटुता पैदा करता है। आपस में वर्ग भेद पैदा करके, हमारे लिए, आपके लिए और भारतवर्ष के लिए अच्छी बात नहीं है।

हम सब ज्यादातर अधिकांशतः इस सदन के सदस्य समाजवाद को मानते हैं और समाजवाद में जिसका विश्वास है वह वर्गहीन राज्य की स्थापना में अवश्य विश्वास करता है। तो जहां पर हम वर्गहीन समाज की बात करते हैं वहां पर हमें यह याद रखना चाहिए और इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि हम कोई भी बात अपनी ओर से ऐसी न होने दें जिससे कि दूसरे की भावनाओं पर आघात पहुंचे और हमारे रास्ते में रोड़ा अटकें। जो मार्ग एक आपने अपनाया है जिसके द्वारा कि आपने अपनी भावनाओं का प्रकाशन किया है वह उस रास्ते का एक रोड़ा बन सकती है। लेकिन हम लोग उस रोष में आने वाले नहीं हैं और न उस रोष के कारण हम उसमें कोई बाधक बनने वाले हैं। हम तो इस बात को मानने वाले हैं और हमेशा उसके लिए हमने प्रयत्न किया है कि जितनी भी अनुसूचित और पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए हर स्थान पर प्रतिनिधित्व दिया जाय, हर स्थान पर उन्हें प्राथमिकता दी जाय। इसमें कोई भी दो रायें आज नहीं हो सकतीं।

जितने भी प्रतिनिधि इस सदन में या अन्य संस्थाओं में चुन कर के आते हैं, जो जनतंत्र की दुहाई देते हैं, जिनको जनतंत्र के द्वारा ही इस माननीय सदन में बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है वह कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता कि वह किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए कोई बात कहे। हम जो लोग भी आज यहां चुनकर आये हैं वह सभी जातियों से चुनकर के आये हैं। यह किसी जाति पर आरोप लगाना कि वह जाति कांग्रेस के साथ थी या वह जाति पी० एस० पी० या अन्य किसी के साथ थी, यह बिलकुल गलत बात है। मैं इसको नहीं मानता। आज जो भी सदन के सदस्य यहां आये हैं वह अपने कृत्यों की वजह से यहां चुनकर आये हैं, किसी जाति विशेष के बहुमत से नहीं आये हैं। सभी जातियों के वोटों से चुनकर आये हैं। इसलिए वह अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। यह चार्ज उनके हृदय में शोभा नहीं देता और उसको इस प्रकार से यहां कहना और भी अनुचित प्रतीत होता है। क्योंकि आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आपके सामने सारी जाति समान है।

यह जो भी आज पिछड़े हुए लोग हैं, परिगणित जाति के लोग हैं, उनके लिए हम सभी लोग प्रयत्न करते हैं और करना चाहिए। यह मांग जो प्रस्तुत की माननीय सदस्य ने, उनका जो प्रस्ताव है वह प्रस्ताव उचित है, उनकी भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं इस सदन में लाकर इस सदन के द्वारा ही प्रस्ताव होकर के इसे माना जाय। इसके मानने के और भी तरीके हो सकते हैं। आज जो दल इस समय सत्तारूढ़ है वह इस पर बार बार विचार करता रहा है और इस बात की चेष्टा करता रहा है कि इसमें हम पूरी तरह से जितना भी उत्साहित उन्हें कर सकते हैं, करें और जितना भी उनको प्रतिनिधित्व दे सकते हैं वह देने का प्रयास करें। वह हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव के द्वारा इस सम्मानित सदन में यह प्रस्ताव पारित करके सरकार के हाथ बांध देना यह कोई उचित मांग प्रतीत नहीं होती।

इस प्रस्ताव से आपकी भावनायें प्रकाश में आ गई और उससे सरकार के सामने एक परिस्थिति स्पष्ट हो गई। मेरा अपना यह विचार है कि मैं माननीय सदस्य महोदय से जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनसे यही प्रार्थना करूं कि उनकी जो भावनायें थीं उनके प्रकाशन के बाद इस प्रस्ताव के द्वारा वह इस सरकार के हाथों को न बांधें बल्कि इस प्रस्ताव के द्वारा जो भावनायें प्रदर्शित हुई हैं उनसे इसी काज को, इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए और चेष्टायें कर सकते हैं। अगर इस प्रस्ताव के द्वारा यह सारी बातें हो सकतीं तो जैसा हमने गन्ने के मूल्य की बाबत एक प्रस्ताव पारित किया था लेकिन इस प्रदेश में उस प्रस्ताव के अनुसार अमल नहीं किया गया, ऐसी बात हो कि इस प्रस्ताव के द्वारा ही हम बांध सकते हों तो ऐसी बात नहीं है। यहां पर हमको यह अधिकार है, यह सदन सर्वशक्तिमान है लेकिन इसकी भी कुछ परिधि है और उस परिधि के अन्दर ही हमको उसके ऊपर विचार करना चाहिए।

[श्री कैलाशकुमारसिंह]

यहां पर अनुसूचित जातियों के लिए तो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है लेकिन जहां तक बैक वर्ड क्लास की बात कही जाती है उसके विषय में दो रायें हो सकती हैं। पुराने कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर परिगणित जाति में उन्हीं लोगों को रखा गया था जिनमें दस परसेंट से कम एजूकेशन थी। ऐसे ही लोग बैकवर्ड क्लास की डेफिनीशन में रखे गए थे। लेकिन आज शिक्षा की प्रगति के साथ साथ बहुत सी जातियां उससे अधिक प्रगति कर गई हैं और उनको उस परिगणित जाति की लिस्ट में से निकाल देना चाहिए। जिनमें अब तक शिक्षा का प्रभाव पूर्ण नहीं है उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मेरा अपना अनुभव यह है कि परिगणित जाति के नाम से बैकवर्ड क्लास के नाम से कुछ विशेष जातियां ही फायदा उठाने की बात सोचती हैं और उठाती हैं। इसका मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसके जो उचित अधिकारी हैं जिनके लिये उनके द्वारा संरक्षण मिलना चाहिये उन तक वह चीज नहीं पहुंचती है, वह मदद नहीं पहुंचती है।

इस प्रकार किसी विशेष जाति के लिये इस तरह से सोचना या इस प्रकार की बात करना सदन में अच्छा प्रतीत नहीं होता। जितने भी पिछड़े हुये लोग हैं, जो हर तरह से पिछड़े हुये हैं, जिनकी शिक्षा कम है, साधन कम हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है। उनके लिये हम साधन पहुंचा सकें तो बहुत उचित है चाहे वह किसी भी जाति के हों। हो सकता है प्राथमिकता अनुसूचित जाति या परिगणित जाति के लिये रहे लेकिन इस प्रकार से यहां पर एक विशेष जाति के लिये प्रश्न को लेकर कहना उनके लिये शोभनीय नहीं है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह प्रस्ताव आया लेकिन किसी मानें में उसका समर्थन नहीं करता कि इस प्रस्ताव को पास करके ही यहां से हम हित साधन कर सकेंगे। यह मेरे लिये महसूस नहीं होता कि शायद इससे ज्यादा फायदा पहुंच सकेगा। इस पर काफी विचार हो चुका है। मैं अपने माननीय मित्र रामवचन जी यादव से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर अपने विचार व्यक्त करके इसको वापस ले लें और ऐसी स्थिति पैदा न होने दें कि जिससे इसके लिये सरकार के हाथ बंधें। बस इतना ही कहकर मैं बैठ जाता हूं।

श्री झारखण्डेराय--अधिष्ठात्री महोदया, मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं इस बात को सोच नहीं पाया कि सरकार के प्रवक्ता इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कौन सी बाधायें देखते हैं। इसमें यह बात कहीं नहीं कही गई है कि कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की नुमायन्दगी होनी चाहिये। इसमें केवल एक सत्य की मांग है कि उनकी नुमायन्दगी होनी चाहिये, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित मांग है। हो सकता है कि, यह मांग एक प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे सामने पेश की गई हो। हमारे संविधान ने नौकरियों के बारे में और खासकर अनुसूचित जाति की नुमायन्दगी के बारे में कुछ मन्तव्य पेश किये हैं। उनके अनुसार पिछले १३ वर्षों में काम नहीं हो सका। छोटी छोटी नौकरियों में भी, मामूली नौकरियों में भी जिनमें किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, मामूली शारीरिक परिश्रम ही पर्याप्त होता है, उनमें भी पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति की नुमायन्दगी उतनी नहीं हो सकी जितनी कि होनी चाहिये थी। अगर उधर उचित कदम बढ़ा होता, उधर कदम की गति तेज होती तो मेरा खयाल है कि रामवचन जी यादव को यह प्रस्ताव लाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती लेकिन उधर कोई कदम नहीं बढ़ा, कदम बहुत मन्द है, उसकी गति धीमी है इसलिये उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यह प्रस्ताव पेश हो सकता है।

जिस भी उद्देश्य से यह प्रस्ताव आया जो नीयत इसके पीछे है उसका समर्थन होना चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार को भी इसे मानना चाहिये उस सिद्धान्त के रूप में। सिद्धान्त के रूप में मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। अमल में सरकार ने इसको एक प्रकार माना है। कैबिनेट के अन्दर इसको माना है। कैबिनेट में मुसलमान मजहब के मानने वाले लोग भी हैं, हरिजन भी हैं और इसका बराबर खयाल रहता है कि मुसलमान भी रहें और

हरिजन भी रहे। जब सिद्धान्त को अमल में एक जगह लाया जाता है तो दूसरी जगह उसे मानने में, कम से कम उसे अमल में लाने के लिये कौन सी दिक्कत है यह बात समझ में नहीं आती। जाति प्रथा जहां तक मैं जान पाया हूं कि हिन्दुस्तान के और खास कर हिन्दू धर्म की एक विशेषता है और शायद किसी दूसरे सभ्य, विकसित, उन्नत देश में ऐसी कोई प्रथा वहां नहीं पाई जाती है। यह हमारे मुल्क की एक विशेषता है जो आज हमारी प्रगति में रोड़ा बन कर खड़ी है, हमारे लिये वह बेड़ी का काम कर रही है।

पिछड़ा वर्ग होने का आधार क्या है ? इस पर एक बार यहां सवाल पूछा गया था। जहां तक मुझे याद है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था कि पिछड़ा वर्ग होने का आधार क्या हो, इस पर विचार हो रहा है। केवल जाति के आधार पर ही पिछड़ा-पन माना जाय अथवा आर्थिक पहलू भी देखा जाय, यह सब विचारणीय है। मैं समझता हूं कि आर्थिक पहलू एक मुख्य पहलू है, लेकिन रामलक्षण जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि मुख्य पहलू ही सब कुछ नहीं है। आर्थिक पहलू पर पैदा हुई बहुत सी विशेषतायें ऐसी हो सकती है कि जो आगे चल कर अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लेती हैं और वे भी हमारे समाज में प्रभाव पैदा करने लगती हैं। तो आर्थिक पहलू के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक पहलू भी हैं और हम देखते हैं कि एक संपन्न, धनी भी, जो पिछड़ा वर्ग का होता है, उसके यहां लोग शादी नहीं करते। रोटी बेटी का, खानपान का फर्क है, और इसलिये केवल आर्थिक पहलू की बात कह कर ही इस बात को टाल देना मैं समझता हूं कि वैज्ञानिक विचारधारा नहीं है। आर्थिक पहलू मुख्य पहलू है, लेकिन पूर्ण पहलू नहीं है।

योग्यता वाली बात भी यहां कही गयी। योग्यता का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। यह नहीं कहा गया कि अगर २० नम्बर पाने वाला एक सवर्ण है और १० नम्बर पाने वाला एक पिछड़े वर्ग का है तो उस १० नम्बर वाले को जगह दी जाय, जैसा कि वर्मा जी ने कहा। यह कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन यह भी हम नहीं मान सकते कि पिछड़े वर्ग और हरिजनों में योग्य व्यक्ति हैं ही नहीं या होते ही नहीं। कम से कम प्रदेश में दो चार, दस व्यक्ति ऐसे जरूर निकल आयेंगे कि जिनको आप इन सेवा आयोगों में नियुक्त कर सकें और मैं समझता हूं कि आप भी इस बात को मानने को राजी होंगे। यह बात तो वैसी ही है जैसे कि अंग्रेज कहा करता था कि जब हम देखेंगे कि हिन्दुस्तान वाले हुकूमत के योग्य हो गये तब उसको हुकूमत देंगे। लेकिन हुकूमत ली गयी, दी नहीं गयी। जब परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी गयीं कि जिनमें उनके लिये हुकूमत करना असंभव हो गया तब जाकर सत्ता का हस्तांतरण हुआ।

यहां पर कुछ जाति प्रथा की उत्पत्ति के विषय में भी प्रश्न उठाया गया। मैं समझता हूं कि आप इस बात को जानती होंगी कि एक समय मानव समाज में ऐसा था कि जब कोई जाति या वर्ग नहीं था, जिसे हम प्रि-हिस्टारिक कम्युनिस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। यह बात भी सर्व विदित है कि महर्षि कार्ल मार्क्स और राजर्षि ऐंजिल्स ने जब कम्युनिस्ट घोषणा पत्र १८४८ में प्रकाशित किया तो उन्होंने लिखा था कि मानव समाज का इतिहास वर्ग युद्धों का इतिहास है, लेकिन बाद में जब ई० मार्गेन ने एक खोज के बाद यह सिद्ध किया कि मानव समाज में एक ऐसा समय था कि जब कोई वर्ग नहीं था, कोई जाति नहीं थी, वर्गों से परे एक आदिम मानव वर्ग के रूप में मानव समुदाय जगह-जगह उत्पन्न हुआ था, जब उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व था, जब वर्ग नहीं थे, वर्ग युद्ध भी नहीं थे, तो उस रिसर्च के आधार पर ऐंजिल्स ने मार्क्स के देहान्त के बाद अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में एक लाइन और जोड़ी कि अपवाद है वह समय जो आदिम साम्यवादी समय था। तो उस जमाने में धीरे-धीरे समाज दो वर्गों में बटता गया। दास प्रथा, अर्थ दास प्रथा में स्वामी और दास सामन्ती प्रथा, में भूस्वामी सामन्त और किसान; पूंजीवादी प्रथा में पूंजीपति और श्रमिक अर्थात् प्रत्येक युग में शासक और शोषित के रूप में दो वर्ग हमारे समाज में अस्तित्व में आये।

[श्री झारखंडेराय]

जहां तक मैं जानता हूं, कोई भी जाति हो, सामन्ती प्रथा से ही फ्यूडल एज से ही उसकी उत्पत्ति हुई। और जातियां अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रूप में उत्पन्न हुई। मेरा अपना विश्वास है कि ज्यों-ज्यों हमारे देश में पूंजीवाद का विकास होगा, चाहे पूंजीवादी अर्थात् औद्योगिक कार्य कलापों का विकास समाजवादी सरकार के मातहत हुआ हो या पूंजीवाद का विकास पूंजीवाद सरकार के मातहत हो ज्यों-ज्यों औद्योगीकरण हमारे देश में बढ़ेगा, सामूहिक योजनायें बढ़ेंगी, सहकारी खेती का विकास होगा, शिक्षा बढ़ेगी, गमनागमन के साधनों का विकास होगा, त्यों-त्यों ये जाति बंधन ढीले होते जायेंगे और आज हम देख रहे हैं कि यह बन्धन ढीले हुये भी हैं और आगे भी ढीले होंगे। परन्तु आज इस जाति के अस्तित्व की स्वीकृति हमें करनी चाहिए। आंख मूंदने से कोई काम नहीं चलेगा। उनमें ईर्ष्या, डाह, जलन सब कुछ है। उसे हमें स्वीकार करना होगा और साथ ही साथ जातियों के विकास के लिये क्या प्रयत्न होने चाहिये और किस गति से हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं उस तरफ भी हमें ध्यान देना होगा तभी हम इस जाति-संस्था नामी चीज को खत्म कर सकते हैं और आज हम उसे खत्म करना चाहते हैं।

माननीया, मेरा अपना विश्वास है कि पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ, साथ अन्य क्षेत्रों में भी उनके पिछड़ेपन को हमें दूर करना होगा। आज जाति प्रथा के विनाश के रास्ते में जो सबसे बड़ी चीज अड़चन डाल रही है वह है विवाह प्रथा। हम आज खान-पान के मामले में काफी दूर तक आगे बढ़े हैं। हमें याद है, पहले शहरों में एक भी होटल नहीं था। आज जगह जगह होटल पाये जाते हैं और जेलखानों तक के अन्दर खानपान का भेदभाव कम हुआ है।

सन् १९३८-३९ में जब हम लोग जेल गये तो उस समय ब्राह्मण ही भंडारी हुआ करता था। आज वह बात नहीं है। आज सब हिन्दू जातियों के लोग खाना बनाते हैं केवल हरिजन छोड़कर और हम लोग उसे खाते हैं। तो इस ओर भी हम आगे बढ़े हैं। किन्तु यह समझ लेना कि केवल हमारी आर्थिक समस्या सुलझ जाने से ही यह जो गम्भीर समस्या हमारे सामने है, यह हल हो जायेगी, यह गलत है। मैं चाहता हूं कि पहले छोटी सर्विसेज में पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को स्थान पूरा देना चाहिये। मुझे याद है कि अभी एक सज्जन ने इस बात की मुझसे शिकायत की कि माननीय जगजीवन राम जी ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इस बात का आदेश दिया है कि कुछ दिनों तक हरिजन ही भरती किये जायेंगे। इस बात को लेकर बड़ा असंतोष रहा। किन्तु मैं समझता हूं उन्होंने यह ठीक किया और यह बड़े साहस का कार्य किया। उन्होंने एक साहसिक कदम इस ओर उठाया है। जो हरिजन लोगों को मिलना चाहिये था उसको पूरा करने के लिये यह उचित कदम उन्होंने बढ़ाया है।

इस संबंध में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। यह सवाल उठाया गया कि गुलामी का समय हमारे देश में कब से शुरू हुआ। इसकी चर्चा इसके पहले भी कई बार हो चुकी है और कुछ भाइयों ने बताया है कि गुलामी हमारी तब से शुरू हुई जब से मुसलमान भारतवर्ष में आये। यह गलत है। गुलामी तब से शुरू हुई जब से हमारे देश में अंग्रेज आये। हम तब से गुलामी को मानते हैं।

तुलसीदास जी की रामायण के बारे में कुछ बातें यहां कही गयीं और उसके कतिपय पत्र फाड़े गये और उसका प्रतिवाद भी हुआ। इसमें सन्देह नहीं है कि रामायण हमारे ही नहीं वरन विश्व साहित्य की एक महान कृति है और उसका हमें आदर करना चाहिये। यह ठीक है कि उसको धार्मिक भाव से कुछ देखते हैं और कुछ नहीं देखते। किन्तु साहित्य की दृष्टि से हम सब लोग उसको उच्च कोटि का साहित्य मानते हैं और इसमें किसी की दो रायें नहीं हैं। उसके कुछ अंशों पर किसी को शिकायत हो सकती है जिसको कि माननीय भूपकिशोर जी ने पढ़ा लेकिन हम

यह नहीं भूल सकते कि तुलसीदास जी अपने यु समाज के एक व्यक्ति थे। वह अपने समाज के वातावरण से निर्मुक्त होकर कोई चीज लिखे, यह किसी भी महान से महान व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है।

इसलिए मैं अन्त में, क्योंकि लाल रोशनी आपने जला दी, मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। इसको सिद्धान्त रूप में मानने में कोई दिक्कत नहीं है और जब कोई परसेंटेज भी इसमें नहीं दिया हुआ है---मूल प्रस्ताव में---कि कितने हों, कितने न हों तो इसके स्वीकार करने में कोई दिक्कत न होनी चाहिए। अगर स्वीकार नहीं होता है तो इसके माने यह हैं कि कभी भी उस वर्ग की नुमाइंदगी न हो, यह अनुचित है, इसका अन्त होना चाहिए, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लालबहादुर द्वारा श्री भूपकिशोर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं एक प्रिविलेज का क्वेश्चन उठाना चाहता हूं। श्री भूप किशोर ने जो रामायण को फाड़ा है, यह प्रिविलेज का प्रश्न है। मैं आपको लिखकर भेज देता हूं।

राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य सेवा चुनाव समितियों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व रखने के सम्बन्ध में संकल्प---(क्रमागत)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आज जो भाई रामवचन जी ने प्रस्ताव रखा है उस पर बोलने का जो आपने मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। यह प्रस्ताव आज इस प्रान्त की संसद में रख कर भाई रामवचन जी ने जो हरिजन, दलित और पिछड़ी जातियों की सेवा की है वह बहुत ही उत्तम है और बहुत ही विचारणीय है।

आज इस प्रस्ताव के ऊपर बोलने के पहले माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं भाई भूपकिशोर जी की उस उच्छृंखल मनोवृत्ति का खंडन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज भारत में और इस प्रदेश में जो रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी वह उस काल में लिखी थी जब इस मुल्क में मुसलमानों का इतना बोलबाला था कि कोई भी व्यक्ति राम का नाम नहीं ले सकता था, कोई भी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ा सकता था। आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि देश व संसार में यह पुस्तक पूजनीय है और आज इसको फाड़ कर भारत के एक महान देवता गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर लांछन लगाया गया है, यह बड़ा भारी अपराध किया है, बड़ा अन्याय किया है हिन्दू समाज को इस पुस्तक पर गर्व है। इसलिए मुझे अफसोस है और मैं आपके द्वारा यह मांग करता हूं कि उनके ऊपर (श्री भूपकिशोर) विशेषाधिकार की अवहेलना का, प्रश्न उठाया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अरे आप क्यों नाराज होते हैं ?

श्री गगांप्रसाद---मैं इसलिए नाराज होता हूं कि मैं हिन्दू हूं और वह हिन्दू नहीं हैं जो इस पुस्तक को फाड़ता है। ऐसा साहित्य जलाता है वह हिन्दू नहीं है, वह हिन्दू नहीं है जो देश समाज के साथ विश्वासघात करता है।

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आज इस पुस्तक के फाड़ने के बाद जो मनोवृत्ति पैदा की जा रही है और मनु जी का उदाहरण दिया जा रहा है तो आज यह कोई नहीं देखता है कि

[श्री गंगा प्रसाद]

यहां मनुजी का कानून चालू है। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवाद का युग है। अभी भाई उग्रसेन ने कहा था कि क्यों मुझे दुःख है, यदि आप समाजवादी हैं, लेकिन मैं तो समझता हूं कि आप बने हुए समाजवादी हैं, जिस तरीके से देश में मजदूरों और किसानों के नेता बने हुए हैं, वह बने सियार हैं तो अपने को समाजवादी नहीं कहना चाहिए। इस युग में जाति-पांति की बात उठाना गैर-कानूनी है और यह देश के लिए अहितकर है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि (व्यवधान) आपके चिल्लाने से देश का कल्याण नहीं होगा।

समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब इन गरीबों को उठावें, जब आप अपने हलवाहों को, नौकरों को उचित वेतन दें। आप अपने नौकर को क्या देते हैं? और यहां पर बैठकर, सफेद कपड़े पहिनकर कुर्सी पर बैठ कर अपनी मनोवृत्ति को क्यों भूल जाते हैं? आज यहां सेवा आयोग में आदमी भेज देने से काम नहीं चलेगा। हमें समाज के अन्दर महात्मा गांधी की विचार-धारा को लाना है। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। आज ऊंचे समाज में हृदय परिवर्तन करने की जरूरत है।

जो प्रस्ताव लाया गया है वह प्रान्त के हित में होगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव क्यों लाये हैं। इसका एक कारण है। विरोधी दल के नेतागण यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने सरकार से यह मांग की कि हरिजनों और पिछड़े वर्गों को उनकी संख्या के मुताबिक सेवा आयोग में स्थान क्यों नहीं दिया जाता जबकि संविधान के अनुसार उनको अधिकार है, क्या उन्होंने कभी इस बात को सदन में कही? विरोधी पक्ष के लोगों ने कभी इस बात को नहीं कहा और आज वह सरकार से कहना चाहते हैं कि इस पर अमल किया जाय। अगर आप पहले आवाज उठाते होते तो लाजिमी था कि हमें प्रतिनिधित्व मिलता। इस प्रदेश के हरिजन और पिछड़े वर्ग यदि नौकरियों में नहीं जा सके, तो यह आपकी कमजोरी थी। आपके कहने की बात है मिसाल के रूप में हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग हैं। आपकी इस तरह की मनोवृत्ति है। आप नहीं चाहते कि यह प्रस्ताव पास हो और इस वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। अगर आपकी पास कराने की मनोवृत्ति होती तो इस प्रस्ताव को विरोधी दल की तरफ से लाते और सरकार को मजबूर करते कि हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि को सेवा-आयोग या अन्य चुनाव समितियों में भेजें। यह सब आप दिखाने के लिये कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---आप शांत चित्त से अपनी भावना व्यक्त करें।

श्री गंगाप्रसाद---अब मुझे भूपकिशोर जी के सम्बन्ध में एक बात कहनी है।

श्री अधिष्ठाता---आप अपने सुझाव दीजिये।

श्री गंगाप्रसाद---वह जिस नयी पार्टी के सदस्य हैं उसके अन्दर मद्रास में हरिजनों के गले में घंटी बांधी जाती थी, वहां के नेता श्री राजगोपालाचार्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हरिजनों की परछाई से घृणा करते थे और आज उन्हीं के कारण रामायण भी फड़वानी पड़ी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे न तो मनोवृत्ति बदलेगी और न गरीबों की सुनवाई होगी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस ओर प्रयास किया है और संविधान के अनुकूल जो बातें सरकार नहीं मान रही है उनको हम मनवाकर छोड़ेंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन बराबर यह मांग करता रहा था और आज भी कर रहा है कि हमारा प्रतिनिधित्व दिया जाय। उस प्रस्ताव के कारण हम आज समाज में आगे बढ़े हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि राजगोपालाचार्य ने किसी के गले में घंटी बांधी और स्वतंत्र पार्टी का नाम ले रहे थे। तो श्री भूपकिशोर जी न तो स्वतंत्र पार्टी के हैं और श्री राजगोपालाचार्य ने किसी के गले में घंटी बांधी थी इसलिये ऐसी बातों को कहने से रोका जाय।

श्री अधिष्ठाता---(श्री गंगा प्रसाद से) आप विषय पर बोलें ।

श्री गंगाप्रसाद---मैं उनके प्रान्त की बात कर रहा था, उनकी बात नहीं कर रहा था। मैं वहां की प्रथा का हवाला दे रहा था।

तो श्रीराम के युग में शबरी के जूठे बेर खाकर राम ऐसे महापुरुष भी पवित्र हो गये और शबरी को अमरपद मिला। उस युग में वाल्मीकि महर्षि जी ने आदि रामायण लिखी, तपस्या की और ब्रह्म ऋषि का पद मिला जबकि वह चोर, लुटेरे और न मालूम क्या-क्या थे। अभी इसी युग में बाबा अंबेदकर ने संविधान बनाकर सारे देश का कल्याण किया और वह महानमानव कहलाये। श्री जग जीवन राम जी को भी आज वही पद प्राप्त है । हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहेहैं। रेलवे आयोग में राम प्रसाद जी टमटा मेंम्बर है। इसी प्रकार से हमारे प्रान्त में भी धीरे-धीरे यह पद हम लोगों को प्राप्त होगा। ज्यों ज्यों इस प्रदेश के अन्दर हरिजन और दलित वर्ग में जाग्रति पैदा होगी त्यों त्यों वे अपने अधिकार को अवश्य ही प्राप्त करेंगे ।

मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि हमारे हरिजनों को दबा कर अब उनके अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। छोटी-छोटी जगहों को भी उनको नहीं दिया जाता है। उसका कारण यही है कि इन जगहों को भरने के लिये जो कमेटियां बनायी जाती हैं उनमें जिस जाति के लोग होते हैं वे उसी जाति के लोगों को ले लेते हैं। अन्त में आशा करता हूं कि माननीय राम वचन जी के प्रस्ताव को सरकार मान लेगी और मान कर शीघ्रातिशीघ्र सेवा आयोग में हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को रखेगी ।

***श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, उपस्थित संकल्प पर जो अपने विचार प्रकट करने का मौका आपने मुझे दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। संकल्प इस प्रकार है---इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य लोकसेवा आयोग तथा अन्य सेवा चुनाव समितियों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व रखा जाय। इसके विषय में मैं सरकार से केवल इतना जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इसका विरोध क्यों हो रहा है, जबकि सरकार की तरफ से रोजाना यह बात आती है कि हरिजनों को उठाना चाहिये, हरिजनों के मकानों का नवनिर्माण किया जाय, हरिजन विद्यार्थियों को पढ़ाया जाय, उनको विभागों में १८ प्रतिशत नौकरी दी जायं। वही मांग इसमें है, कोई अनुचित मांग नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार और सदन के सब माननीय सदस्य इसको स्वीकार कर लें । सरकार की तरफ से जब-जब बजट आया, यह कहा गया कि हम शीघ्र से शीघ्र समाजवाद को लाना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं। लेकिन वह समाजवाद कब आयेगा ? गरीबी कब मिटेगी ? हमारी समझ में तो उनकी यह बात आती नहीं है कि कब सरकार इसकी तरफ अपना कदम बढ़ायेगी ।

श्रीमन्, जब कि सरकार समाजवाद लाना चाहती है और दूसरी तरफ यह जो संकल्प आया है उसका विरोध करना चाहती है, तो यह क्या नीति है ? । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो सरकार के विरोध में हो। यह सरकार के लाभ की चीज है। किसी भी समिति में अगर अनुसूचित जाति के लोग पहुंच जाते हैं या पिछड़े वर्ग के लोग पहुंच जाते हैं तो क्या मैं यह मानूं कि वे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को ही लिया करेंगे ? हमारे हृदय में यह कभी भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि अभी तक जैसे हाई कास्ट के लोग सभी समितियों में हैं तो मुझे इत्मीनान है कि वे हरिजनों की तरफ ध्यान रखते हैं, गरीबों की तरफ ध्यान रखते हैं, पिछड़े वर्ग की तरफ ध्यान रखते हैं तो इसी खयाल को लेकर मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह उस संकल्प का कतई विरोध न करें और इसको पास करें क्योंकि हरिजन तथा वैकवर्ड क्लास के लोग भी इन समितियों में जाकर समान रूप से देश की सेवा करेंगे और कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामदीन]

अब एक बात के लिये मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि करीब-करीब १२, १३ वर्ष हो गये इस सरकार को और यह हमेशा कहा गया है कि हम अपने देश से छुआछूत और उठन बैठन की बात को जड़ मूल से मिटाना चाहते हैं। मैं सरकार से और प्रत्येक विभाग के मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर वे देहात के अन्दर इस चीज को देखें तो छुआछूत बदस्तूर पहले से ज्यादा बढ़ गया है, उठन बैठन का बहुत ज्यादा एतराज बढ़ गया है। हम यह देखते हैं कि देहात में फौजदारी, कत्ल जितने होते हैं सब उठन बैठन के ऊपर ही ज्यादा होते हैं। कहीं भी किसी हरिजन या बैकवर्ड क्लास के किसी आदमी को कोई बड़ा आदमी या पूंजीपति देख लेता है तो उसकी आंख से नहीं जाता है और वह चाहता है कि उसको किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिये जो हमारी बराबरी का हो। तो मैं सरकार से कहूंगा कि इस छुआछूत और उठन बैठन की चीज को दूर करना आवश्यक है और इसके लिये इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

जाति भेद के सम्बन्ध में मैंने जैसा कि पहले भी निवेदन किया था सदन में, कोई भी सरकार बने, जब तक इस जातिभेद को नहीं मिटाया जायगा तब तक कोई भी सरकार नहीं चल सकती। क्योंकि जातिभेद की बदौलत हमारे देश के प्रेम व्यवहार में बहुत फर्क पड़ जाता है, हम एकत्रित नहीं बैठ पाते हैं, हम इकट्ठा होकर बात नहीं सोच पाते हैं, तो मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि छुआछूत का जो व्यवहार है, उठन बैठन का जो व्यवहार है, खाने पीने का जो व्यवहार है इसको बहुत जल्द शीघ्र से शीघ्र अपने देश से मिटाना है ताकि हमारा देश जल्द से जल्द तरक्की कर सके।

अब मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि जैसे हमारे १८ परसेंट रिजर्वेशन के बारे में सरकार ने एक व्यवस्था बनायी है, हमने इस सदन में बहुत से प्रश्न किये और उनके जवाब भी रखे हैं। माननीया, यह जवाब मिलता है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार योग्य नहीं मिलते। मैंने अभी रोडवेज विभाग के लिये पूरे प्रदेश के बारे में एक प्रश्न पूछा, कि इतने समय में कितने प्रार्थना-पत्र आये और उसमें कितने सफल हुये, तो बताया कि हजार आये और उसमें से केवल ५०–६० प्रार्थना-पत्र कामयाब हुये और बाकी रद्दी की टोकरी में फेंक दिये गये। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि अब विद्यार्थी काफी पढ़ चुके हैं, लेकिन न लेने की बात यह है कि जिस विभाग के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जाता है वहीं हरिजन उम्मीदवार के मुकाबले में, अगर वह इंटर विद्यार्थी है तो बी० ए० का हाईक्लास विद्यार्थी रख कर मुकाबले में उसे हटा दिया जाता है। इसके लिये मैं कहूंगा कि बैकवर्ड या अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी आयें उनका मुकाबला उन्हीं जातियों के अन्दर किया जाय और उसके मुताबिक उनको स्थान दिये जायं। यह न हो कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के मुकाबले में हाई क्लास बी० ए० से करा के उसको अलग कर दिया जाय। इसी कारण से हमारे अधिकतर पिछड़े वर्ग के लोग नहीं आ पाते।

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि हमारे सूबे में इस समय जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो आज वजीफा पाते हैं उन्हें वजीफा परीक्षा के बाद मिलता है और उसका लाभ वह नहीं उठा पाते। मैं कहूंगा कि वह वजीफा या तो शुरू में ही दिया जाय ताकि वह पुस्तक मोल लेने में और पढ़ने में काम आ सके या वह दिया ही न जाय। अन्त में मिलने से विद्यार्थी की हानि होती है। वह गलत चीज खरीद कर गलत बातें समझ जाते हैं और परीक्षा में लाभ के बजाय और हानि उठाते हैं। इसलिये उन्हें वजीफा शीघ्रातिशीघ्र दिया जाय ताकि वह समय से पुस्तकें खरीद कर पढ़ लिख सकें।

मैं तो श्रीमन्, देहातों में बहुत घूमा हूं। मैंने अब भी देखा है कि ग्रामों में आज भी ऐसे बहुत से हरिजन हैं कि जो मड़ैयों में और झोपड़ों में गुजर करते हैं। मैं चाहूंगा कि इन फुटकर अनुदानों को रोक कर कोई ऐसी स्कीम बनाई जाय कि प्रत्येक जिले में गरीब हरिजनों की मदद की जाय,

एक तरफ से नवनिर्माण किसी कालोनी के हिसाब से किया जाय तो अच्छा होगा। अनुदान आज वही हरिजन पा जाते हैं कि जो स्वयं अच्छी हालत में हैं और जिनका सम्बन्ध विधायकों तथा मंत्रियों से है और वह गरीब हरिजन नहीं पाते, इसलिये मैं चाहता हूं कि यह पैसा बहुत देख-भाल कर के दिया जाय और गरीबों के अलावा कोई न पा सके, इससे उनका उद्धार हो सकता है।

मैंने पहले भी कहा था कि सरकार कुछ तो इस पर ध्यान दे रही है कि हरिजनों को खाना कपड़ा सब चीज मिले लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार यह तकावी अनुदान में जो रुपया देती है वह न दे और प्रत्येक जिले में कारखाने खोल दे और उसमें गरीब और हरिजन लोगों को इस खयाल से रखा जाय कि वह अपनी एक यूनियन कायम करें और कारखाना भी उनके सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वह अपनी मजदूरी भी ले सकें और उसकी आय भी उन्हीं के हित में जाय। इससे उनका बहुत अधिक लाभ हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से कहूंगा कि यह जो संकल्प सदन में आया है वह उसका समर्थन करे, यह संकल्प ऐसा है कि जो समाज के हित में है और देश के हित में है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अधिष्ठात्री महोदया, मेरा इस संकल्प के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद चल रहा है उसमें भाग लेने का विचार नहीं था परन्तु मुझको यह जानकर दुःख हुआ कि कुछ देर पहले सदन में आवश्यकता से अधिक, यों कहना चाहिये कि सर्वथा अनावश्यक गर्मी लाई गई और कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनको कि हर दृष्टि से अशोभन कहना होगा, जो कि सदन की मर्यादा के विरुद्ध और उन माननीय सदस्य की मर्यादा के विरुद्ध हुईं जो उनके लिये जिम्मेदार थे और जिनसे कि किसी का किसी प्रकार भी कोई लाभ नहीं हो सकता।

हो सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी ग्रन्थकार, किसी कवि, किसी लेखक की कोई युक्ति नापसन्द हो। तुलसीदास जी की वकालत करने की मुझको जरूरत नहीं है, परन्तु हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि आज इस देश में और इस देश में ही नहीं बल्कि इस देश के बाहर भी तुलसीदास जी की गिनती उन इने-गिने महाकवियों में है जो कि सभ्य जगत के साहित्य में मूर्धन्य और शीर्ष-स्थान माने जाते हैं उनके प्रति और उनके ग्रन्थ के प्रति किसी एक बात से रुष्ट होकर निरादर का भाव दिखलाना, अपने ही को लांछित करना है और यह दिखलाना है कि हम ऊंची चीजों का आदर करना नहीं जानते हैं।

हम सब जानते हैं कि दुर्भाग्य से हमारे समाज में ऊंच-नीच का व्यवहार है, परन्तु हम इसके साथ यह भी जानते हैं कि इस व्यवहार के होते हुए भी इस समाज ने उन लोगों का आदर किया है, परम पूज्य स्थान उन लोगों को दिया है जो कि जन्मना साधारण तरह से बहुत छोटे गिने जाते हैं। आज इस हिन्दू समाज में ऐसा कौन व्यक्ति है जो यह नहीं जानता कि कबीर का स्थान कितना ऊंचा है और कबीर को तो शायद हिन्दू भी नहीं गिना जा सकता। कबीर हैं, रैदास हैं, नाभा जी हैं। नाभा जी जाति के डोम थे। ऐसे-ऐसे महात्मा हो गये हैं जिनका स्थान पूज्य है। हर हिन्दू आदर के साथ उनके सामने फिर झुकाता है और आज की ही बात नहीं है, प्राचीन काल से यह चला आता है।

जिन लोगों ने पुराने साहित्य को देखा है, हिन्दुओं के पुराने वाङमय से परिचित हैं, वह जानते हैं कि ऋग्वेद का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंश वह है जिसके साथ ऐतरेय का नाम लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय समिधा, ऐतरेय शूद्र। उनका नाम महीदास था। मां का नाम इतरा था इसलिये ऐतरेय कहलाये। प्राचीन काल से ही यह चीज चली आई है। सब जानते हैं, प्रसिद्ध कथा है महाभारत काल की जब कि जो स्थान आदर का बड़े-बड़े अपने को ब्राह्मण मानने वाले, पूज्य मानने वाले ऋषियों को, मुनियों को नहीं मिला वह स्थान श्वपच ऋषि को मिला।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तो ऐसी हालत में जो हमारे समाज में बुराई के साथ एक अच्छी धारा आई है उसकी पुष्टि करें, न कि गलत चीज को उत्तेजित करते चले जायं जिससे द्वेष की आग बढ़ती जाय और जिस आग को बुझना चाहिये वह बजाय बुझने के और तेज होती जाय।

मैं चाहता यह हूं कि इस संकल्प पर हम ठंडे दिल से विचार करें। पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई चुनाव वाली कमेटी हो उसमें ३ मेम्बर होंगे, ५ होंगे या ७ होंगे, इससे अधिक नहीं हो सकते। उसमें इस तरह की बात करने लग जायं और जाति बिरादरी को प्रतिनिधित्व देने लग जायं तो यह चीज कहां खत्म होगी? कहने को तो नीची जाति, पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति बड़ी सादी बात मालूम होती है, लेकिन कौन नहीं जानता कि हमारे समाज में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनमें आपस में बहुत ज्यादा मतभेद है? ब्राह्मण को कायस्थ पर विश्वास नहीं, कायस्थ को अग्रवाल पर विश्वास नहीं, किसी को राजपूत पर विश्वास नहीं, किसी को भूमिहार पर विश्वास नहीं और जाति बिरादरी को जगह देने लगें तो कैसे काम चलेगा? अनुसूचित जाति वालों को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं। २, ३ अनुसूचित जातियां ऐसी हैं जो ज्यादा पढ़-लिख गयी हैं, ज्यादा जगह पा जाती हैं। दूसरी अनुसूचित जातियों को उनसे शिकायत है। तो किन-किन को हम जगह देने लगेंगे? लेकिन जहां एक बार हमने इस चीज को रखा कि प्रतिनिधित्व देना है तो उसका अन्त नहीं होगा। जिस चीज को खत्म करना चाहिये वह चीज खत्म होने के बदले और जोर पकड़ जायगी। इस बात को हमको ध्यान में रखना है।

एक परिणाम इसका और होगा, उसको हमें सोचना चाहिये। आज तो जो लोग इन कमेटियों में होते हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन में या दूसरी कमेटियों में किन्हीं जाति बिरादरी के होते हों, आज उनसे यह आशा की जाती है कि सभी बिरादरी के लोगों की वे रक्षा करेंगे, सभी के हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन जब अलग-अलग लोगों का प्रतिनिधित्व हो जायगा तो फिर इस बात की आशा नहीं की जा सकती। इन कमेटियों में इतनी जबरदस्त खींचातानी होगी कि किसी बात का पता नहीं लगेगा सिवा इसके कि योग्यता की बात खत्म कर दी जायगी और बटवारा होने लगेगा कि फलां जाति के इतने आदमी और फलां जाति के इतने आदमी और बाकी का भगवान रक्षक। जो लोग आज कल हैं उनसे यह कहा जा सकता है कि आपको सबका खयाल करना होगा, लेकिन जाति बिरादरी का प्रतिनिधित्व होने लगेगा तो कौन सबका रक्षक होगा? कोई किसी का रक्षक नहीं हो सकता। आपस में बटवारा होने लगेगा।

अभी हमारे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने बड़ी सुन्दर बात कही। उन्होंने कहा कि इस बात का किसी को डर नहीं होना चाहिये कि कल अगर अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के आदमी रहेंगे तो वे जबरदस्ती खींच-खींच कर अनुसूचित या पिछड़ी जाति के लोगों को भर देंगे, क्योंकि आज भी जो दूसरे लोग हैं वे अनुसूचित जाति के लोगों को चुनते हैं। बहुत सुन्दर विचार है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के विचारों की हम रक्षा करें। हम यह नहीं कहते कि कल को अनुसूचित जाति का आदमी आ जायगा तो केवल अनुसूचित जाति के आदमी को चुनेगा, मुसलमान रहेगा तो केवल मुसलमान को ही चुनेगा, ऐसी बात नहीं हो सकती।

जब आप यह मानते हैं कि किसी कमेटी में अगर अनुसूचित जाति के आदमी रहते हैं तो अनुसूचित जाति के साथ न्याय करेंगे और दूसरों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, उसी तरह से यह मानना चाहिये कि जिस कमेटी में अनुसूचित जाति के आदमी नहीं हैं, दूसरे लोग हैं वे भी सबके साथ न्याय करेंगे। जब तक ऐसा विश्वास नहीं करेंगे हममें कोई आदमी होगा एक जज की हैसियत से होगा, एक ऐसी जगह पर होगा जहां उसे निष्पक्ष होकर कार्य करना पड़ेगा। जब तक हम इस तरह का भाव पैदा नहीं करेंगे हममें से कोई आदमी हो जो इस तरह की जिम्मेदारी की जगह पर होगा तब तक कदापि हम में राष्ट्रीयता जैसी आनी चाहिये, नहीं

आयेगी। मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को ठंडे दिल से हमें सोचना चाहिये। हमारा उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरीके से, इस भेदभाव की पुष्टि करने से उस उद्देश्य की सिद्धि कदापि नहीं हो सकेगी। ठंडे दिल से हमको विचार करना चाहिये मेरा यही निवेदन है।

श्री रघुवीरसिंह---माननीया, मैं मुख्य मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उनको यह विश्वास है कि अगर हरिजन वर्ग के ही आदमियों को लोक सेवा आयोग या चुनाव समितियों में रख दिया जाय तो वे न्याय करेंगे या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे पूरा विश्वास है कि वे न्याय करेंगे।

संसदीय विषयक उप मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---प्वाइंट आफ आर्डर। माननीया, आज जो यहां पर एक घटना घटी, हमारी जो पवित्र पुस्तक है रामायण उसको, फाड़ने की, उससे मैं समझता हूं सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी करोड़ों के दिल पर चोट पड़ेगी। इस तरीके से न तो देश में एका हो सकता है और न हमारा समाज ही आगे बढ़ सकता है। जिस समय यह घटना घट रही थी तो मैंने चेयर से रिक्वेस्ट किया था कि इसको रोका जाय, क्योंकि यहां पर हम लोग हाथापाई करने नहीं आते हैं, न हम फ़िज़िकल फोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हममें से बहुतों को, इधर और उधर के, सब लोगों को दुःख हुआ। जो प्रस्ताव आज है, मैं खुले तौर से कह सकता हूं कि वह बहुत अच्छा प्रस्ताव था, उसके लिये सब को हमदर्दी थी और वह शायद पारित भी हो जाता. . .

श्री अधिष्ठाता---आपका प्वाइंट आफ़ आर्डर क्या है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं उसी पर आ रहा हूं। तो वह प्रस्ताव पारित भी हो जाता और मैं तो इसका खुले दिल से समर्थन करता हूं कि हरिजन और बैकवर्ड अधिक से अधिक रखे जायं, लेकिन इस सब के बावजूद यह जो बड़ी अप्रिय घटना घटी और जिसके बारे में चेयर भी कोई व्यवस्था नहीं कर सकी तो हमारे लिये और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि ऐसे सदन में न बैठें जहां ऐसे अपवित्र कामों को रोका न जा सके और चेयर कोई स्टेप न ले। इसलिये हम इस सदन का परित्याग करते हैं।

श्री अधिष्ठाता---उनको मना तो किया गया था।

[इसके बाद श्री गोविन्दसिंह विष्ट, जनसंघ के अन्य सदस्यों के साथ, सदन का त्याग करके चले गये।]

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---अधिष्ठात्री महोदया, मैंने प्रस्ताव पहले भी पेश किया है और अब फिर करना चाहता हूं कि अब यह विवाद समाप्त किया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और विरोध का कारण यह है कि आज इस प्रस्ताव पर सदन में बहुत से लोग बोलने के इच्छुक हैं। माननीया, अभी आपने देखा कि यह प्रस्ताव इतना अहम है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किये। तो उनके विचार प्रकट करने के बाद बहुत से लोग अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। यह इतना अहम मसला है कि इस पर अभी क्लोज़र नहीं आना चाहिये और इसको चलने देना चाहिये। इस समय ऐसा प्रस्ताव लाना बहुमत के बल पर एक जोर दिखाना होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वक्त आप इस प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत न दें।

श्री अधिष्ठाता---आपका यह विरोध क्लोजर मूव करने के बाद उठाया गया है इसलिये नहीं माना जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---अभी तो मुझे विरोध करने का मौका ही है । आपने अभी क्लोजर पर मत कहां लिये ?

श्री अधिष्ठाता---इस पर काफी स्पीचेज हो चुकी हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---आप स्वयं देख रही हैं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये। तो उनके विचार व्यक्त करने के पश्चात् विवाद तो असली स्वरूप में अब आया है। अब तक जो विवाद था उसमें सरकारी पक्ष का तो ज्ञान ही नहीं हो पाया कि उसकी क्या राय इस सम्बन्ध में है। अब इस पर और लोग अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो माननीय विष्ट जी ने प्रश्न उठाया है इसकी आप कतई इजाजत न दें। इन शब्दों के साथ मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री गरीबदास---एक व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि यह बड़े महत्व का प्रश्न है.....

श्री अधिष्ठाता---वह तो कह चुके हैं।

श्री गरीबदास---अभी यहां पर जो यह घटना घटी जिसका इस हाउस में गलत प्रचार हो रहा है और बाहर भी हो सकता है, इसका असर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसलिये मैं व्यवस्था चाहूंगा। भूपकिशोर जी ने जो कहा था रामायण के बारे में उससे बाहर भ्रम हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बात गलत हो जाती है तो बाहर भी अपमान हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता---श्री लाल बहादुर जी ने कहा था कि इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जायगा इसलिये इस समय कोई सवाल नहीं उठ सकता है। आप आसन ग्रहण कीजिये, आप कृपया बैठिये।

श्री झारखंडेराय---माननीया, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो मेरी प्रार्थना यह है कि भूपकिशोर जी द्वारा जो कार्य यहां पर किया गया है...

श्री अधिष्ठाता---इस समय आप क्लोजर पर ही बोलें, जो कुछ आपको कहना हो।

श्री झारखंडेराय---मैं उसी पर कह रहा हूं। एक बात कह दूं। मानना न मानना आपके हाथ है, लेकिन कहना मेरा अधिकार है। मेरा कहना यह है कि जो कार्यवाही इस सम्बन्ध में यहां हुई है उसको निकाल दिया जाय और पत्रों से भी प्रार्थना की जाय कि इसको न छापा जाय।

श्री लालबहादुर---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री झारखंडे राय---जो प्रस्ताव आया है कि इस पर बहस समाप्त की जाय तो इसके बारे में मुझे एक बात कहनी है कि पांच बजने में अभी समय है और दूसरा प्रस्ताव भी बहुत महत्व-पूर्ण है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है, यह चीज हमारे सामने नहीं आई। चूंकि मिनिस्टर साहब के बोलने के बाद चीज साफ हो गई है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो बोलना चाहें उनको जरूर समय दिया जाय। यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि लाल बहादुर जी ने सूचना दी है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठायेंगे, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो सूचना दी गई है वह उचित इसलिये नहीं है कि ....

श्री अधिष्ठाता—अभी तो यह विषय सामने नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इसी पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इसी तरह की घटना पार्लियामेंट में हुई थी। वहां पर श्री जगदीश अवस्थी एम० पी० ने सी० आर० पी० सी० की किताब फाड़ दी थी और कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता—इस समय सदन के सामने यह प्रश्न नहीं है। कल उठाया जायगा तब बोलने का मौका मिलेगा। आप आसन ग्रहण कीजिये।

श्री उग्रसेन—माननीया, जैसा कि माननीय सदस्यों ने भी निवेदन किया है और सदन का निश्चित मत भी मालूम होता है इसलिये इस पर अभी विवाद चालू रहना चाहिये।

श्री लालबहादुर—सदन समझता है कि वाद-विवाद बन्द किया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीया, आप को अधिकार है कि अभी इसको लिया ही न जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१३५,

विपक्ष में—४१।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे खेद इस बात का है कि माननीय मुख्य मंत्री ने बोलने के पश्चात् विरोधी दल को अवसर नहीं दिया कि वह सफाई करते यह बहुत ही अनुचित प्रथा हुई और वह अपने बहुमत के बल पर क्लोजर ले आये। इसलिये इसके विरोध में हम सदन का परित्याग करते हैं।

(इस समय सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन का परित्याग करके चले गये।)

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, यह प्रस्ताव जो मैंने पेश किया यह कोई जाति बिरादरी के आधार पर नहीं बल्कि एक पिछड़ा तुलनात्मक शब्द है कि किसी के मुकाबले में कोई पिछड़ा है। वैसे तो हमारा भारतवर्ष देश ही संसार के ५० देशों के मुकाबले में पिछड़ा है। हमारे देश के रहने वालों में कुछ के मुकाबले में कुछ लोग पिछड़े हैं। कोई वर्ण के आधार पर बैकवर्ड क्लास नहीं है। बम्बई प्रान्त में राजपूत बिरादरी को भी पिछड़ा वर्ग माना गया है। मैसूर में ज्योतिषी ब्राह्मणों को पिछड़ा वर्ग माना गया है। जाट बिरादरी बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में नहीं है, लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जाट जाति को भी बैकवर्ड माना गया है। पिछड़ापन एक आधार है संविधान में। उसमें एजूकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। गरीब-अमीर का सवाल नहीं है। जो लोग शिक्षा और समाज में पिछड़े हैं वे पिछड़े वर्ग में आते हैं। जिनको अमीर होने पर भी बराबर बैठने नहीं दिया जाता, यह सवाल सामाजिक है। शिक्षा में प्रतिशत लगाया गया है कि दस प्रतिशत से कम जिस बिरादरी में पढ़े लिखे हों, वह पिछड़ी मानी गई है। जो इससे ऊपर हैं वह बीच के माने गये हैं और जो इससे आगे हैं वह ऐडवांस्ड माने गये हैं। वह एक ऐसा पैमाना है कि चाहे जो किसी बिरादरी में पैदा हुआ हो, उसी से नापा जायगा। तो यह एक सामाजिक प्रश्न है। हो सकता है कि जो आज अगड़े हुये हैं वह कभी पिछड़े हो सकते हैं और जो पिछड़े हैं वह अगड़े हो सकते हैं। गरीब अमीर हो सकता है और अमीर गरीब हो सकता है, मगर इन जातियों को बदलना बड़ा मुश्किल है।

[श्री रामवचन यादव]

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि कोई कटुता की बात नहीं है, इसको ठंडे दिल से समझना चाहिये। एक विचार आया कि जो संविधान में व्यवस्था की गई है उसके अन्तर्गत हम विचार करते हैं। संविधान में सर्विसेज में रिजर्वेशन है, लोक सेवा आयोग या अन्य चुनाव समितियों में रिजर्वेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व है। आज बारह वर्ष से कोशिश हो रही है। सरकार भी चाहती है, नेता भी चाहते हैं, गांधी जी भी चाहते थे कि किसान, पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग के लोग ऊपर उठें। मगर मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि क्यों मुझे यह प्रस्ताव पेश करने की जरूरत पड़ी।

यह आंकड़े हैं---सरकार की तरफ से एक जवाब आया सन् १९५६ में इस तरह से कि १५ अगस्त सन् १९४७ और ३१ जुलाई, १९५५ को हरिजन, पिछड़ी जातियों और अग्रसर जातियों के गजेटेड आफिसरों की संख्या प्रदेश में अलग-अलग निम्न प्रकार है---१५ अगस्त को हरिजन १६ गजेटेड आफिसर थे और पिछड़ी जाति के ३४ थे और अग्रसर जाति के ३,१५२ थे। ३१ जुलाई, १९५५ को यह हो गए; हरिजन ७०, पिछड़ी जाति के ३४ से २५ हो गए, घट गए, और अग्रसर जाति के ३,१५२ से ५,१८५ हो गए। तो पिछड़ी जाति की संख्या घटी। हरिजनों के थोड़े बहुत प्रतिनिधि बढ़े रिजर्वेशन के कारण। लेकिन पिछड़ी जातियों का तो रिजर्वेशन भी नहीं है और कमीशन में या चुनाव समिति में उनका कभी भी लोग ध्यान नहीं रखते। इससे क्या पता चलता है कि दस या आठ वर्ष के अन्दर क्या पिछड़ी जाति के लोग पहले से कम पढ़े लिखे निकलने लगे हैं? इसमें कोई न कोई कसर कहीं न कहीं अवश्य है।

मैं यह नहीं चाहता कि एक-एक बिरादरी का आदमी वहां रखा जाय। यह एक लिस्ट गवर्नमेंट की बनायी हुई है। तीन हिस्से में यह बट गई है, उसमें किसी भी जाति वाले को रख दीजिये जिसको निष्पक्ष आप समझिये। क्या इतने बड़े प्रदेश में आप को तीन-चार निष्पक्ष आदमी इन जातियों में नहीं मिल सकते? रिजर्वेशन की बात मैं नहीं करता, बल्कि रिप्रेजेन्टेशन चाहता हूं और यह मेरे कहने से नहीं, प्रस्ताव से नहीं, पहले ही आप को रख देना चाहिये था। जब नहीं किया गया तब मुझे ये प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ी और मैंने यह निवेदन किया।

अब एक दूसरी बात मुझे कहनी है। बैकवर्ड क्लास कमीशन कायम हुआ। मैंने उस दिन कोट किया था, उसने भी रिकमेंडेशन कर दिया है कि इनके प्रतिनिधि को पब्लिक सर्विस कमीशन में रखने के वक्त ध्यान दिया जाय। वही तो ध्यान मैं दिला रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी सौभाग्य से आज उपस्थित हैं। यह २०६ पेज पर है---

"While in the selection of members for Public Service Commission appointment from amongst the members of Backward Class should continue on as liberal a scale as possible."

तो कमीशन ने भी थोड़ा-सा इशारा किया है इस बात के लिये। चुनाव समितियों में लिये जाने के लिये भी है इसमें। कई कैंडीडेटों से हमने यह सुना कि वहां उनसे बिरादरी पूछते हैं। जो लोग ऊंची बिरादरी के नहीं हैं वह ऊंचे नम्बर वाले होने पर भी नहीं लिये जाते।

अभी आप के सामने एक मिसाल रखी गयी---फर्स्ट क्लास फर्स्ट एम० एस-सी०, ए० जी० लड़का नहीं रखा गया। तीन-तीन जगह वह गया और तीनों जगह उससे नीचे की योग्यता के लड़के रख लिये गये, उसे नहीं रखा गया। तो यह कहीं न कहीं कसर है। हमारे चपरासियों में भी वह नहीं रखे जाते, उसके लिये कौन-सी योग्यता का सवाल है? इसी तरह से क्लर्कों में और जो छोटे-छोटे काम हैं उनमें भी उनकी संख्या पूरी नहीं होती। मैं तो यह समझता हूं कि अगर लोगों के दिमाग से पक्षपात निकल जाय, बिरादरी का सवाल दूर हो जाय, मेहनत करने वाले किसानों के आदमी वहां लिये जायं तो यह जो कठिनाइयां हैं, उत्पादन बढ़ाने की योजना चल रही

है इसी को अगर ठीक कर दिया जाय तो उससे जितना काम आज हो रहा है उससे दूना काम होने लगे। मेरे गांव में जो ब्लाक चलता है उसमें ११ ग्राम सेवक हैं जिनमें एक भी पिछड़ी जाति का या अनुसूचित जाति का नहीं है। उसी से मैं अन्दाजा लगाता हूं।

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

ग्रामसेविका पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति की होनी चाहिये, लेकिन नहीं है। इस लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है और मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है और न मेरा किसी के ऊपर कोई अविश्वास है। अगर यह बात है तो कहीं न कहीं कसर है।

अब एक प्रस्ताव इस सदन ने २३ अप्रैल सन् १९५४ को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। उस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह प्रस्ताव इस प्रकार था कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि संविधान व सरकार की नीति पिछड़े वर्ग के पक्ष में होते हुये भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में अभी तक न होने के तुल्य है। अतः पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु सरकारी नीति वास्तविक रूप में कार्यान्वित की जाय"। यह इस प्रकार का प्रस्ताव है जो सन् १९५४ में पास हुआ। तो जिस प्रस्ताव को इस सदन ने पहले स्वीकार किया है उसी की तरफ यह एक कदम है। उसकी नीति को ही पालन कराने के लिये यह एक कदम इस प्रस्ताव में निहित है। तभी यह पूरा हो सकता है। तो सदन यह प्रस्ताव पास करके एक नीति निर्धारित कर चुका है और आज भी यह उसी तरफ जाने की बात कहता है। इसलिये यह प्रस्ताव पास करने की जरूरत पड़ी।

हमारे प्रस्ताव के ऊपर जो सदस्य बोले मैं उन सब का आभारी हूं। ८० फी सदी बोलने वाले सदस्यों ने मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और जो माननीय सदस्य विरोध में बोले हैं वह गलतफहमी से बोले हैं। एक तो हमारे शुक्ल जी बोले हैं कि अगर यह हो जाय तो देश में एक बड़ी भारी लड़ाई हो जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि १० साल के लिये अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लिये रिजर्वेशन किया जाय। तो हमारे समाज में आज हिन्दू समाज अछूत का छुआ पानी नहीं पीता है। अगर इस १० साल के अन्दर इस छुआछूत को मिटा देते तो यह अनुसूचित जाति की लिस्ट खत्म हो जाती ....

श्री उपाध्यक्ष—समय कम रह गया है इसलिये आप समय का भी ध्यान रखें।

श्री रामवचन यादव—मैं उस समय कम बोला था तो आप मेरा समय बढ़ा दीजियेगा। यदि छुआछूत यहां से जल्द मिट जाय और पिछड़ा पन दूर हो जाय तो फिर इसकी क्या जरूरत रह जाती है कि इस तरह से यहां पर कहा जाय। आज मैं देखता हूं कि देश के कर्णधारों का ध्यान और पार्टी के नेताओं का ध्यान इस तरफ नहीं है। मैं देखता हूं कि विरोधी पार्टी के नेता भी यहां पर मौजूद नहीं हैं। अगर उनको कोई इससे दिलचस्पी होती तो यहां पर वे मौजूद रहते। उन लोगों की भी इसी तरह की भावना है और इधर-उधर भी कुछ इस तरह की भावना है। तो पोलिटिकल स्टेट के लिये यह कह देते हैं, फिर यहां पर कुछ कह देते हैं। लेकिन जब व्यवहार में कोई बात आती है तो उस पार्टी के लोग भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। मैं इस चीज को रोज देखता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि यह १० साल का समय कमीशन ने पिछड़ापन मिटाने के लिये दिया है। अगर इस दस साल के अन्दर यह चीज खत्म हो जाती है तो बहुत जल्द वह चीज दूर होगी और फिर इस प्रकार सवाल सामने नहीं आ सकता है। किन्तु यदि इसी तरह से रहता है तो यह कटुता बढ़ती जायगी और बढ़ने की सम्भावना रहेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा

[श्री रामवचन यादव]

कि जल्द से जल्द यह खाई पाटने का प्रयत्न किया जाय। सब जगह कुछ लोगों को लेने का प्रयत्न किया जाय, अगर पिछड़े वर्ग की २५ फीसदी आबादी है तो कम से कम १५ फीसदी लोगों को ही वहां पर जगह मिल जाय या हरिजनों की २० फीसदी आबादी है तो उनको १० फीसदी ही जगह मिल जाय तो यह कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ प्रयत्न इसके लिये हुआ है। यह चीज इस विचारधारा को सामने रखकर सोचनी चाहिये। इसके अन्दर कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होनी चाहिये

जो आप समाजवाद बनाना चाहते हैं जिसके अन्दर सामाजिक समानता हो उसमें आज काफी समानता है। सर्विसेज में जिस वर्ग के लोग देहात में घूमते हैं, जाते हैं उस वर्ग के लोग भले ही पास बिठाने काबिल न हों, लोग उनको चारपायी देते हैं और उनका सामाजिक स्तर उठता है। हमारे बजट का ४५ फीसदी रुपया सरकारी मुलाजिमों पर खर्च होता है और जिस वर्ग के लोग गजेटेड आफिसर होते हैं उस वर्ग के और १० लड़के पढ़ जाते हैं, कम्पटीशन में आ जाते हैं और दूसरों से मुकाबला कर पाते हैं।

इसके अलावा एक गजेटेड आफिसर के लड़के को अपनी जनरल नालेज बढ़ाने के लिये और घूमने आदि के लिये जितना सुभीता मिल पाता है उतना किसी देहात के सम्पन्न आदमी के लड़के को भी नहीं मिलता। इसलिये अगर इस वर्ग के कुछ गजेटेड आफिसर हो जायं तो उनके लड़के आगे बढ़ेंगे और कम्पटीशन्स में आसानी से आ सकेंगे। मुझे दुःख होगा अगर हमारे देश में यह बात और अधिक दिन चले। मैं चाहूंगा कि यह बात हमारे देश में जल्द से जल्द खत्म हो। और इसीलिये मैं अपना यह प्रस्ताव आप के सामने लाया था। अनेक सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये, और हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं। हम लोग इस पर थोड़ा विचार कर लें। इसमें रिजर्वेशन का कहीं सवाल नहीं है। इस पर भविष्य में भी विचार हो सकेगा, लेकिन चूंकि इसमें कुछ कटु बात भी हो गयी है, इस कारण इस समय मैं अपना यह प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सचमुच यह बात नहीं समझ पाया कि मुझे अब कुछ बहुत बोलना है, लेकिन इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यहां कुछ चर्चा हुई और कुछ कटु चर्चा हुई, इसलिये कुछ ऐसा समझता हूं कि शायद मेरा कर्त्तव्य है कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन से कुछ निवेदन कर दूं। वैसे तो माननीय राम वचन यादव जी ने सदन के सामने इस समय अपना जो दृष्टिकोण रखा वह शुरू-शुरू के दृष्टिकोण से बहुत भिन्न था। यह जो प्रस्ताव उनका था....

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन ने यह निश्चय कर लिया है कि इस प्रस्ताव पर विवाद समाप्त कर दिया जाय तो अब माननीय मन्त्री जी किस नियम के मुताबिक इस प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---सदन ने कोई निश्चय नहीं किया है कि विवाद समाप्त कर दिया जाय। चूंकि यह पायलट कर रहे थे इसलिये उनको उत्तर देने का मौका दिया। समाज कल्याण मन्त्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---सदन का यह निर्णय हो चुका है कि विवाद समाप्त कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी तो प्रस्तावक के बाद में ही बोलते हैं, यह मामूली-सी बात आप लोग भूल जाते हैं।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठिये। मैं आप का व्यवस्था का प्रश्न समझ गया....

श्री शिवप्रसाद नागर--जब आप मेरे कुछ कहने के पहले ही मेरी बात समझ गये तो आप सब की बात पहले ही समझ लेते होंगे और इसलिये मुझे कम से कम यह कहने का मौका तो दें कि आप उपाध्यक्ष भी हैं और ज्योतिषी भी।

श्री उपाध्यक्ष--मैं कह रहा हूं कि बहुत से माननीय सदस्य इस बात में एक्सपर्ट हैं कि व्यवस्था का प्रश्न किसी प्रकार उठाया जाय और विशेषकर आपके बारे में मुझे काफी जानकारी है कि आप व्यवस्था के प्रश्न में कभी-कभी ऐसी बात कह जाते हैं कि जो व्यवस्था से कोई ताल्लुक नहीं रखती। तो आपने अपने बारे में काफी गलतफहमी पैदा कर दी है....

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या हमेशा ऐसी बात होती है....

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है, मैं आप को अपनी बात कहने का मौका देता हूं। कहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर--जब इस पर क्लोजर मूव हो चुका है और प्रस्तावक महोदय ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और वोटिंग भी हो चुकी है और प्रस्ताव वापस हो गया तो अब किस चीज पर वादविवाद बाकी रह गया है? यह नान-आफिशियल रेजोल्यूशन है, सरकारी रेजोल्यूशन नहीं है, इसलिये सरकार की ओर से उत्तर देने का इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर सरकारी प्रस्ताव हो तो उनको जवाब देने का अधिकार है, लेकिन यह नान-आफिशियल रेजोल्यूशन है और इसलिये इस रेजोल्यूशन में इधर से जवाब ही देना चाहिये न कि सरकार की तरफ से।

श्री उपाध्यक्ष--पहली बात तो यह है कि आपकी इत्तला गलत है। वापसी का प्रस्ताव सदन में नहीं आया। वाद-विवाद अन्त होने का प्रस्ताव आया और यह होने पर ही नियमानुकूल प्रस्तावक महोदय को बोलने का अवसर दिया जाता है और नियम के अनुसार ही उनको मौका दिया गया। माननीय सदस्य के कहने से कि वे प्रस्ताव वापस लेते हैं, वह वापस नहीं होता। मुमकिन है सदन उसको वापस न ले। उसका तो प्रस्ताव आता है कि उसको वापस लिया जाता है या नहीं, और उसके बाद उस पर कार्यवाही होती है। इसलिये मैं जो कार्यवाही कर रहा हूं वह नियमानुकूल है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, हमेशा बहुत समय व्यवस्था के प्रश्न पर ही ले लिया जाता है। मुझे अपने कर्त्तव्य का पालन करना है, इसलिये मैं थोड़ी-सी चीजों को सदन के सामने रखना चाहता हूं और जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया कि इस प्रस्ताव के संबंध में जो वाद-विवाद इस सदन के सामने हुआ उसमें, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा। माननीय राम वचन यादव जी ने शुरू में एक भूल की थी और दुर्भाग्यवश इस सदन में उस भूल को बार-बार दोहराया गया। इस बार उन्होंने प्रतिनिधित्व की मांग की है और उसके मानी हैं अंग्रेजी में रिप्रेजेन्टेशन। अब उनकी मांग को किस प्रकार माना जा सकता है मैं नहीं जानता।

उन्होंने रिजर्वेशन की मांग की थी और इसलिये यह सारा वाद-विवाद हुआ और बराबर उसी भूल को दोहराया गया और अन्त में इस भूल को स्वयं उन्होंने स्वीकार किया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि शायद उनके सामने बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट न आई हो। उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि किसी भी रिजर्वेशन की मांग करना बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट की अवहेलना करना है। बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट में यह लिखा है कि बैकवर्ड का अर्थ कभी भी किसी प्रकार से किसी कम्युनिटी से संबंधित किसी जाति बिरादरी से नहीं है। उसमें लिखा है: --

"This will also enable us to remove the bitterness which the extremely poor and helpless amongst the upper class Hindus feel that they are being

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

victimized for no fault of their own. Once we eschew the principle of caste, it will be possible to help the extremely poor and deserving from all communities. Care of course must be taken to give preference to those who come from the traditionally neglected social classes."

तो जैसा कि मैंने कहा बैकवर्ड की यह परिभाषा कभी भी नहीं रही जिस पर यहां इतना लम्बा-चौड़ा विवाद चल रहा है। रिजर्वेशन के संबंध में बैकवर्ड कमीशन ने कहा है—

"I am definitely against reservation in Government Serivces for any community for the simple reason that the services are not meant for the servants but they are meant for the services of society as a whole."

आप देखें कि अमेरिका में भी अलग-अलग जातियां हैं जिसमें कुछ लोग पिछड़ी जाति के भी हैं और वहां पर भी निरन्तर सारी सर्विसेज में मेरिट्स की बेसिस पर ही नियुक्तियां की जाती हैं। वहां भी कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है।

इसके अलावा श्रीमन्, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि जिस संविधान का यहां जिक्र किया जाता है और जिसके निर्माता स्वयं डाक्टर अम्बेदकर साहब थे वहां उस कांस्टीटुएन्ट असेम्बली में कितनी संख्या पिछड़ी जाति के लोगों की थी या अनुसूचित जातियों की थी। और यदि मेरे मित्रों के तर्क को स्वीकार कर लिया जाय कि अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लोग उसमें नहीं थे तो इस प्रकार से जो संरक्षण विधान में देने की चेष्टा की गई वह आखिर क्यों दी जाती ? यदि यहां पर मैं विधान की उन सब धाराओं को पढ़कर सुनाने की चेष्टा करूं तो सदन का बहुत समय लग जायगा और मैं ऐसा भी विश्वास करता हूं कि वह शायद उपयोगी भी नहीं होगा लेकिन केवल दो-तीन बातों का ही मैं जिक्र करना चाहता हूं।

विधान में कुछ संरक्षण दिया गया अनुसूचित जातियों को और शेडयूल्ड ट्राइब्स को, लेकिन जहां तक बैकवर्ड क्लासेज का संबंध है, विधान में सिर्फ एक धारा रखी गई कि प्रेसीडेन्ट द्वारा एक कमीशन की स्थापना होगी, इसके अतिरिक्त कोई और काम नहीं किया गया। उस कमीशन की स्थापना हुई और उन्होंने अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया। तो किसी भी प्रकार से इस विधान में बैकवर्ड क्लासेज को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। जहां तक लोक सेवा का संबंध है, वहां ऐसी बात जरूर है कि कुछ थोड़ा-सा संरक्षण रखा गया और इस प्रकार की धाराओं को सन्निहित किया गया जिससे किसी प्रकार का संरक्षण देने की चेष्टा की जाय। यद्यपि यह बात सही है कि लोक सेवा आयोगों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायगा, इस प्रकार की १५ और १६ धारायें हैं। १६ (४) में कुछ इस प्रकार के रिजर्वेशन की बात कही गई है लेकिन इसके साथ में अनुच्छेद ३३५ जिसका कि यहां पर बार-बार जिक्र किया गया, पढ़कर भी सुनाया गया, उसकी ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह इस प्रकार से है "संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।"

मैं इसमें विशेष रूप से प्रकाशन कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार, अर्थात् एफीसिएन्सी की तरफ ध्यान रखते हुए, इन शब्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता था। तो यह जो यहां पर मांग है वह लोक सेवा आयोग के लिये और जो दूसरी सेलेक्शन कमेटीज बनती हैं उनके लिये है। लोक सेवा आयोग में या सेलेक्शन कमेटीज में किसी प्रकार का पिछड़ी जातियों का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस सरकार ने, जहां तक मैं जानता हूं, पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन को स्वीकार नहीं किया। जहां तक अनुसूचित

जातियों का प्रश्न है, सेवाओं में रिजर्वेशन देना उनके लिये स्वीकार किया जा चुका है और यह लोक सेवा उसका एक अंग है। तो इसके बाद फिर वाद-विवाद का प्रश्न नहीं उठता जब कि सैद्धान्तिक रूप से सेवाओं के लिये इसको स्वीकार किया जा चुका है। अब इसमें यह शिकायत की जा सकती है कि जिस प्रकार से १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन, देने की बात है, वह पूरा नहीं दिया जाता। इस प्रकार की बातों में कठिनाइयां हो सकती हैं और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि जितना संरक्षण देने की बात थी वह पूरे तौर से न दिया गया हो। जैसा कि सदन को मालूम है कि इसके लिये यहां पर एक कमेटी की स्थापना हो चुकी है जो इसको देख रही है। तो मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता था कि सैद्धान्तिक रूप में यह स्वीकार किया जा चुका है और पिछड़ी जातियों का प्रश्न नहीं उठता।

मुझे दुःख है कि यहां पर सदन में अनुसूचित जातियों के संबंध में, हरिजनों के संबंध में, छुआछूत के संबंध में कटुता दिखाई दी और कई तरह की बातें हुई। और एक घटना जो हुई उसके संबंध में मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कह देने के बाद मुझे कुछ कहना रुचता नहीं, मैं कहना भी नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि छोटी बातों में भी कितना संतुलन मस्तिष्क का खोया जा सकता है। उसका तो कुछ आज यहां एक स्पष्ट प्रतीक के रूप में एक साक्षी देखने का अवसर मिला।

यह प्रस्ताव स्वयं भूल पर आश्रित था। उसे यदि राम बचन जी अन्त में सुधार लें तो वह बधाई के पात्र हैं। यदि उन्होंने अन्त में यही कह दिया कि उनका मंशा कभी भी कोई रिजर्वेशन का नहीं था, तो मुझे आप यह कहने की आज्ञा प्रदान करें कि उनको शायद इस प्रस्ताव के रखने की आवश्यकता नहीं थी और न इस रूप में लाना वांछनीय था।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि वह प्रस्तावक महोदय को उनके प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान करे।

श्री गौरीशंकर राय—आज आपने माननीय मंत्री जी को बोलने की इजाजत दी ....

श्री उपाध्यक्ष—मैंने यह व्यवस्था बना दी है कि अपनी रूलिन्ग पर मैं वाद-विवाद का मौका नहीं दूंगा। आप इसके बाद सदन के बाहर मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं देखूंगा।

श्री गौरीशंकर राय—मैं आपकी रुलिंग को डिस्कस नहीं करना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष—आप मेरी रूलिन्ग को रिवाइज कराना चाहते हैं?

श्री गौरीशंकर राय—इसके पहले कि मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न को उठाऊं मेरे पास कोई मन्त्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कह सकते हैं कि आपने जो व्यवस्था दी उसके पुनर्विचार के लिये आपसे अपील करता हूं। या आप यह कहें कि उसमें आप स्पष्टीकरण चाहते हैं। इस किस्म की बात कहने पर ही मैं इजाजत दूंगा। माननीय सदस्य को मेरी व्यवस्था के बारे में चैम्बर में बात करनी चाहिये।

श्री मदन पांडेय—मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय १० मिनट बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अपने अधिकार से १५ मिनट तक बढ़ा देता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें। अब दूसरा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अब मैं इस प्रस्ताव की वापसी के संबंध में सदन का मत लेना चाहता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—मेरे दो व्यवस्था के प्रश्न हैं। पहला तो यह है कि व्यवस्था का प्रश्न रखने के पहले ही क्या किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह यह कहें कि आप बैठें, मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप कैसे व्यवस्था के प्रश्न उठाया करते हैं? मैं इसके ऊपर आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अध्यक्ष को डाइलेटरी टैक्टिक्स के बारे में हमेशा अधिकार है कि उन्हें रोके। मैं कुछ माननीय सदस्यों के प्रति कुछ दया का बर्ताव करता हूं कि बार-बार यह देखते हुए कि व्यवस्था के प्रश्न की बात कह कर ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं जो व्यवस्था के प्रश्न नहीं होते हैं, उनको अवसर देता हूं। ऐसी बहुत सी इंस्टांसेज पहले आ चुकी हैं जहां माननीय सदस्य ने सदन का समय लेकर अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। नागर जी को मैंने इजाजत दी, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न ....

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि आप माननीय सदस्यों के प्रति दया का बर्ताव करते हैं। अगर आपकी दया के ऊपर ही हम लोगों को यहां बैठना है ....

श्री उपाध्यक्ष—आप बात तो सुनें।

मैंने यह कहा कि कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं जब कि वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि इसको वापस लीजिये, बैठ जाइये या सदन को छोड़ दीजिये। तो जब इस प्रकार के डायलेटरी टैक्टिक्स अपनाये जायं तो चेयर को ऐसा करने का अधिकार होता है। हां, अगर सचमुच व्यवस्था का प्रश्न हो तब तो उसके लाने का अधिकार माननीय सदस्यों को है।

श्री जगन्नाथ लहरी—उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय खत्म हो गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि अब सदन की कार्यवाही किस नियम के तहत चल रही है?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने सदन को, आगे बढ़ाने की पहले ही घोषणा कर दी थी।

श्री गौरीशंकर राय—आपने जो व्यवस्था दी, वह तो शिरोधार्य है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं एक चीज अवश्य साफ करना चाहूंगा। आपने कहा बिना इस बात को जाने हुए कि कोई क्या कहना चाहता है, कि आप बैठिये, मैं जानता हूं। क्या इस प्रकार की रूलिंग अध्यक्ष को उचित है?

दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। पुरानी व्यवस्था तो मुझे शिरोधार्य है, लेकिन उसके सिलसिले में, उसके परिवर्तन के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब तक व्यवस्था यह रही है कि जब प्रश्न उपस्थित किये जाने वाला प्रस्ताव आता है तो मूवर आफ दि रिजोल्यूशन बोलता है और फिर वोट पर रखा जाता है। मूवर के बोलने के बाद वह प्रश्न उपस्थित किया जाता है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मंत्री बोला हो। आपने एक बात और कह दी कि संबंधित मंत्री बोल सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री विवाद में पहले ही हिस्सा ले चुके थे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपका ध्यान नियम २९२ (३) की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें यह है:—

"(३) कोई सदस्य जिसने कोई मूल प्रस्ताव या उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो या आय-व्ययक की मांगों के लिये किसी मद को कम करने या हटा देने का प्रस्ताव

प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में पुनः भाषण कर सकेगा, और यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी असरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उस मंत्री को, जिसके विभाग से चर्चाधीन विषय का संबंध हो, प्रस्तावक के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा, चाहे उन्होंने विवाद में पहले भाषण किया हो, या न किया हो।

मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण किया था वह एक सदस्य की हैसियत से किया था, विवाद में इन्टरवीन किया था। जब इस संकल्प का संबंध समाज कल्याण मंत्री से था तब उनको मैंने नियमानुसार ही मौका दिया।

श्री टीकाराम पुजारी—इस माननीय सदन के अन्दर मान जब ही रह सकता है जब उसमें पक्षपात न किया जाय। यह पक्षपात है और आपने कहा कि दया की। हम यहां आपकी दया पर नहीं आये हैं, हमें यहां जनता ने भेजा है। हमारे साथ दया यहां नहीं की जाती है। एक सदस्य निवेदन कर रहा है, वह सदन को छोड़ कर जा रहा है फिर भी ऐसी बात कही जाय तो यह सरासर अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष—कृपया आप बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी—बैठ तो जाऊंगा ही।

श्री बलदेवसिंह—आपने "दया" 'शब्द का प्रयोग किया। क्या आपका यह निश्चित मत है कि बगैर आपकी दया के यहां हम लोगों का कोई काम चलना नामुमकिन है, यानी क्या यह समझा जाय कि बगैर आपकी दया के काम नहीं चल सकता और वह दया आप किन तरीकों से और कहां तक बरतते हैं, उसके बारे में जरा व्याख्या कर दें?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विषय को लेकर माननीय सदस्यों में कुछ भ्रम-सा पैदा हो गया है। मैंने तो कुछ ऐसे माननीय सदस्यों का केवल जिक्र किया जो कि डाइलेटरी टैक्टिक्स के आधार पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं पर अन्त में वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। आमतौर पर मैंने किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात नहीं कही इस संबंध में मैं यह घोषणा कर देना चाहता हूं कि आयन्दा यह बात नहीं चलेगी। अगर कोई माननीय सदस्य ऐसी व्यवस्था का प्रश्न उठावेंगे जो सचमुच में व्यवस्था का प्रश्न न होगा तो उस संबंध में मैं तुरन्त उचित कार्यवाही करूंगा।

अब रहा आपके अधिकारों का सवाल, आपने मुझे अपने इन अधिकारों के संरक्षण के लिये यहां रखा है और मुझे एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर है कि जिस माननीय सदस्य पर मेरी पहली नजर पड़े उसी माननीय सदस्य को बुलाऊं। आप मुझे इस पद से हटा सकते हैं, लेकिन यह अधिकार आपका ही दिया हुआ है। इस पर आप बहस नहीं कर सकते हैं कि आपने फलां को क्यों मौका दिया और फलां को क्यों मौका नहीं दिया। मैं यह भी संकेत कर दूं कि यह संसदीय पद्धति है कि जो माननीय सदस्य व्यवस्था को भंग करते हैं और बार-बार चेयर की रूलिंग पर टोका-टिप्पणी करते हैं तो यह सर्वमान्य प्रथा सारे संसदों में, लोक सभा व हाउस आफ कामन्स में है कि चेयर इस बात को समझ ले कि ऐसे सदस्यों पर उसकी नजर नहीं पड़े। मैं यह स्पष्ट घोषणा कर देना चाहता हूं कि यह चेयर का एक्स्ट्रा-आर्डिनरी पावर है। अगर कोई माननीय सदस्य चेयर से असंतुष्ट है तो उसे रिमूव करने का प्रस्ताव ला सकते हैं लेकिन हमको, क, ख, ग तक इस तौर पर समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी कृपा आप न करें। सवाल यह है कि नम्रता बरतता हूं और नियमों का पालन स्ट्रिक्टली नहीं करता।

श्री बलदेवसिंह—आप "दया" शब्द वापस लें।

(आवाजें—नहीं, नहीं।)

श्री उपाध्यक्ष--वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। मेरी मर्जी के ऊपर तो आप बोल ही सकते हैं, इसमें क्या बात है ? इसके ऊपर आप क्या करेंगे ? मैंने तो केवल उन सदस्यों के लिये कहा जो हमेशा व्यवस्था भंग करने के लिये डाइलेटरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर सदस्यों के लिये मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो केवल उन सदस्यों के लिये कहा जो व्यवस्था का प्रश्न उठा कर डाइलेटरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सदन का समय लेने की कोशिश करते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर--श्रीमन्, आपने मेरा नाम ले लिया इसलिये मुझे भी कुछ कहने की जरूरत पड़ गयी। जिन लोगों के लिये आपने ऐसा कहा उनकी एक लिस्ट लगवा दीजिये ताकि वे लोग आपके सामने खड़े ही न हुआ करें।

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन निम्नलिखित प्रस्ताव लेने की अनुमति देता है:--

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य सेवा चुनाव समितियों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व रक्खा जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१४७,

विपक्ष में--३६।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
११ अप्रैल, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१७ पर)

जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर के संचालक मण्डल के सदस्यों की सूची

१—सर्वश्री० ए० पी० वर्मा	.. .. ..	प्रबन्ध संचालक
२—अक्षयवर सिंह	.. .. ..	निर्वाचित संचालक
३—द्वारिका प्रसाद पान्डेय	.. .. ..	"
४—गणेश प्रसाद पान्डे	.. .. ..	"
५—देवधारी उपाध्याय	.. .. ..	"
६—विभूति राम	.. .. ..	"
७—गौरीशंकर पान्डे	.. .. ..	"
८—अब्दुल हई सिद्दीकी	.. .. ..	"
९—चित्रकूट पान्डे	.. .. ..	"
१०—चौ० राम लखन चंद	.. .. ..	"
११—बृज रमन दास	.. .. ..	"
१२—रामदरस भल	.. .. ..	"
१३—राम अवध सिंह	.. .. ..	मनोनीत संचालक
१४—जगन्नाथ प्रसाद आचार्य	.. ..	"
१५—रामानुज सिंह सहायक निबन्धक	.. ..	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा